लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 9.1.84
Parliament Library

[खंड 9 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. IX contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 10, सोमवार, 27 नवम्बर, 1967/6 अग्रहायण, 1889 (शक)

No. 10, Monday, November 27, 1967/Agrahayana 6, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
270.–क ब्रिटेन में नियुक्ति के लिये मनोनीत उच्चायुक्त का नामनिर्देशन	Nomination of High Commissioner designate to U. K.	1397—1404
271. स्वतंत्रता दिवस पर आकाशवाणी से भाषण	Broadcast on Independence Day	1404—1407
272. पाकिस्तानियों द्वारा सीमा स्तम्भों का गिराया जाना	Demolition of Border Pillars by Pakistanis	1407—1409
273. चीन और पाकिस्तान के बीच व्यापार का मार्ग	Trade Route between China and Pakistan	1409—1410
274. चीनियों द्वारा शंघाई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर कब्जा	Indian Consulate in Shanghai taken over by Chinese	1410—1411

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. No.

275. पश्चिम एशिया की स्थिति के बारे में भारत का संकल्प	India's Resolution on West Asia Situation	1412

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
276.	भारतीय मिशनों में मितव्ययता	Economy in Indian Missions	1412
277.	चीन विरोध प्रचार	Anti Chinese Propaganda	1412—1413
278.	विदेशों में भारतीय दूतावास	Indian Missions Abroad	1413
279.	जम्मू तथा श्रीनगर के लिये बड़े शक्तिशाली ट्रांसमीटर	High power Transmitters for Jammu and Srinagar	1413—1414
280.	भारतीय सीमा पर पाक सेना का जमाव	Pak. Concentration on India's Borders	1414
281.	भारत के अफ्रीकी देशों के साथ सम्बन्ध	India's Relations with African Countries	1414—1415
282.	पाकिस्तान में हिन्दू	Hindus in Pakistan	1415
283.	नागाओं के साथ युद्ध विराम समझौते के सम्बन्ध में पुर्नविचार	Review of Cease Fire Agreement with Nagas	1515—1416
284.	वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का कार्य	Functioning of I.C.C. in Vietnam	1416
285.	काश्मीर के मामले में पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन	Turkish Support to Pakistan on Kashmir	1417
286.	वार्षिक योजना	Annual Plan	1417—1418
287.	फिल्मी गीत और नाटक का विकास	Development of Film Song and Drama	1418
288.	हैलीकाप्टरों का डिजाइन बनाने के लिये ठेका	Contract for Designing Helicopters	1418—1419
289.	दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका	South West Africa	1419
290.	चलचित्र प्रभाग (फिल्म डिवीजन) के बारे में चन्दा समिति का प्रतिवेदन	Chanda Committee's Report on Films Division	1419
291.	छिपे हुए नागाओं की सरकार को चीन द्वारा मान्यता	Recognition of Underground Naga Government by China	1419—1420
292.	चीन का परमाणु बमों का भण्डार	Chinese nuclear stockpile	1420
293.	तिब्बत सिक्किम सीमा पर मुठभेड	Clashes on Tibet Sikkim Border	1420—1421

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
294.	प्रतिस्वन विमानों को रोकने वाले विमान	Supersonic Interceptors	1421
296.	आकाशवाणी का पुनर्गठन	Reorganisation of A.I.R.	1421—1422
297.	भारत द्वारा संयुक्त अरब गणराज्य के विमान चालकों को दिया गया प्रशिक्षण	Training given to UAR Pilots by India	1422
298.	प्रतिरक्षा उत्पादन	Defence Production	1422
299.	छोटे समाचारपत्र	Small Newspapers	1422—1423
300.	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के विमान का निर्यात	Export of H.A.L.	1423

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. Q. Nos.

1979.	विदेशों में बसे हुए भारतीय लोग	Indian Migrated to Foreign Countries	1423—1425
1980.	गुजरात की चौथी योजना के लिये धनराशि का नियतन	Allocation for Gujarat for Fourth Plan	1425
1981.	भारत के लिये फ्रांसीसी प्रणाली की आयोजना	French System of Planning for India	1425—1426
1982.	उप-प्रधान मंत्री द्वारा अपनी विदेश यात्रा के बारे में रिपोर्ट	Deputy Prime Minister's Report on his Foreign Tour	1426
1983.	तिब्बती शरणार्थी	Tibetan Refugees	1426
1984.	निदेशक सिद्धान्तों की क्रियान्विति	Implementation of Directive Principles	1426—1427
1985.	विज्ञान तथा टेक्नोलाजी के लिये अलग मंत्रालय	Separate Ministry for Science and Technology	1427
1986.	भारत को हेलीकाप्टर विमान बेचने के संबंध में रूस की पेशकश	USSR offer to sell Helicopter to India	1427—1428
1987.	पख्तूनिस्तान	Pakhotoonistan	1428
1988.	फीजी	Fiji	1428
1989.	आसाम में सीमा सड़कों का निर्माण	Construction of Border Roads in Assam	1429
1990.	जम्मू–श्रीनगर राजपथ	Jammu Srinagar Highway	1429

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1991.	संयुक्त राष्ट्र संघ में राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	State and Central Government Employees in UNO	1429—1430
1992.	आकाशवाणी में ठेके श्रम प्रणाली की व्यवस्था	Contract Labour System in AIR	1430
1993.	केरल में भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड का कारखाना	Unit of Bharat Electronics Ltd. in Kerala	1430—1431
1994.	दक्षिण कोरिया का प्रतिनिधि मंडल	Delegation from South Korea	1431
1995.	आकाशवाणी के पटना केन्द्र के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के काम के घंटे	Duty Hours of Class IV Staff Patna A.I.R. Station	1431—1432
1996.	भाषाओं के समाचारपत्र	Language Newspapers	1432
1997.	अनुसंधान तथा विकास संगठन में वैज्ञानिक	Seientists in Research and Development Organisation	1432
1999.	मध्य प्रदेश के लिये चौथी योजना	Fourth Plan for Madhya Pradesh	1433
2000.	1965 के भारत पाकिस्तान संघर्ष में वीरगति प्राप्त जवानों के परिवारों की सहायता	Help to Families of Jawans Killed in 1965 Indo-Pak. Conflict	1433—1434
2001.	सेना में आदिवासीय लोग	Adiviasis in Army	1434
2002.	नेपाल में विकास परियोजनाओं के लिये सहायता	Aid for Development projects in Nepal	1434
2003.	सैनिक स्कूल, कुंजपुरा (करनाल)	Sainik School, Kunjpura (Karnal)	1434—1435
2004.	अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत द्वारा भाग लिया जाना	India's participation in International Conferences	1435
2005.	अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व	India's Representation in International Organisations	1435
2006.	कांगडा के लिये रेडियो स्टेशन	Radio Station for Kongra	1435—1436
2007.	विदेशों में भारतीय परमाणु वैज्ञानिक	Indian Nuclear Scientists Abroad	1436
2009.	राष्ट्रीय छात्र सेना अधिकारी	N.C.C. Officers	1436

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2010.	पेकिंग स्थित भारतीय दूतावास को हुई क्षति	Damage caused to Indian Embassy in Peking	1437
2011.	अरबी भाषा का मासिक पत्र अल-बाथ-उल-इस्लामी	Arabic Monthly 'Al-Baath-Ul Islami'	1437
2012.	परमाणु इंजीनियरों को प्रशिक्षण	Training to Nuclear Engineers	1438
2013.	संयुक्त राज्य अमरीका से संचार उपकरण	Communications Equipment from USA	1438
2014.	प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये भूमि का अर्जन	Land Acquired for Defence purposes	1438—1439
2015.	अफ्रीका की पुर्तगाली बस्तियों में राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन	National Liberation Movement in Portuguese colonies of Africa	1439
2016.	हथियार बनाने वाले कारखानों के कार्यभार में कमी	Reduction in workload in ordnance Factories	1439—1440
2017.	समाचार पत्र	Newspapers	1440
2018.	अहमदाबाद के निकट उपग्रह (सेटेलाइट) संचार	Satellite Communication Centre near Ahmedabad	1441
2019.	दिल्ली के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना	Fourth Plan for Delhi	1441
2020.	आकाशवाणी स्टाफ आर्टिस्टों के साथ करार	Contracts with staff Artistes in All India Radio	1441—1442
2021.	परमाणु शस्त्रास्त्रों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन	UNO Experts Committee's Report on Nuclear weapons	1442
2022.	भूटान में विशेष सम्पर्क अधिकारी	Special Liasion Officer in Bhutan	1442
2023.	मारिशस के लिये आर्थिक सहायता	Economic Assistance for Mauritius	1443
2024.	राजस्थान में आणविक बिजली घर में आग	Fire in Atomic Power Station in Rajasthan	1443
2027.	विमान दुर्घटनाएं	Air Accidents	1443—1444

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2028.	भूतपूर्व वैदेशिक कार्य मंत्री के साथ इसरायल के प्रधान मंत्री की मुलाकात	Israel Prime Minister's meeting with the Ex-Minister of External Affairs	1444—1445
2029.	विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में लाये जाने वाले फार्म तथा प्रोफार्मा	Forms and Proformas used in Indian Mission Abroad	1445
2030.	नेपाल नागरिकता अधिनियम	Nepal Citizenship Act	1445
2031.	फिजी द्वीप समूह	Fiji Islands	1445—1446
2032.	इमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी	Emergency Commissioned Officers	1446—1447
2033.	संयुक्त राज्य अमरीका से संचार उपकरण	Communication Equipment from USA	1447
2034.	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये रिहायशी मकान	Residential Accommodation for Defence Personnel	1447—1448
2035.	भूतपूर्व बिना विभाग के मंत्री द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों और साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा	Tour of Drought affected Areas and Communal Roits by former Minister without Portfolio	1448
2036.	महात्मा गांधी की कृतियां	Works of Mahatma Gandhi	1448
2037.	प्रतिरक्षा संबंधी उपकरणों का आयात	Import of Defence Equipment	1448—1449
2038.	भारतीय वायु सेना के पुराने विमान का प्रयोग में लाया जाना	Use of Obsolete IAF Aircraft	1449
2039.	तिब्बती शरणार्थी	Tibetan Refugees	1449—1450
2040.	मध्य प्रदेश के लिये ट्रान्समिटर	Transmitter of Madhya Pradesh	1450
2041.	मूल्य सम्बन्धी बुलेटिन का प्रसारण	Broadcast of Price Bulletin	1450
2043.	हज यात्री	Haj Piligrims	1451
2044.	स्वेज नहर का बन्द होना	Closure of Suez Canal	1451
2045.	आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण	Broadcasting by AIR in Regional Language	1451—1452

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2046.	चीनी राष्ट्रीय दिवस समारोह	Chinese National Day Celebrations	1452
2047.	सेवा मुक्त किये गये एमरजेंसी प्राप्त सैनिक अफसर	Released Emergency Commissioned Officers	1452
2048.	सेवायुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त सैनिक अफसरों की आयु सीमा बढ़ाना	Raising of age limit for Released Emergency Commissioned Officers	1452
2049.	देहू रोड छावनी डिपो	Dehu Road Cantonment Depot	1453
2050.	छावनी अधिनियम 1924 में संशोधन	Amendment of Cantonment Act, 1924	1453
2051.	फिल्म अभिनेताओं की नाथूला दर्रे को यात्रा	Visit by Film Stars to Nathu La Pass	1454
2052.	भारतीय तथा विदेशी चलचित्रों की संसद् व्यवस्था	Censor of Films-Indian and Foreign	1454—1455
2053.	चलचित्रों के मनोरंजन कर से छूट	Exemption of Films from Entertainment Tax	1455
2054.	1968-69 की योजना के लिये उड़ीसा को धन का नियतन	Plan Allocation for Orissa for 1968-69	1455
2055.	1967-68 में उड़ीसा के लिये योजना संबंधी राशि नियतन	Plan Allocations for Orissa during 1967-68	1455
2056.	मास्को में पाकिस्तानी दूतावास	Pak. Embassy in Moscow	1455—1456
2057.	भारत जापान सहयोग	Indo-Japanese Collaboration	1456
2058.	नौसैनिक प्रशिक्षण संस्थापन को पारादीप ले जाया जाना	Shifting of Naval Training Establishment to Paradeep	1456
2059.	बिहार की वार्षिक योजना (1968-69)	Annual Plan for Bihar (1968-69)	1456—1457
2061.	आगरा में रेडियो स्टेशन	Radio Station at Agra	1457
2062.	आजाद हिन्द फौज के शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पण	Memorial service to INA Martyrs in Calcutta Maidan	1457—1458
2063.	भारतीय आयुध कारखानों में कारतूसों का उत्पादन	Manufacture of Ammunition in Indian Ordnance Factories	1458

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2064. आयुध कारखानों के बनाये गये 12 बोर के कारतूस	12 Bore Ammunition Manufactured at Ordnance Factories	1458—1459
2065. राइफलों के कारतूसों का निर्माण	Production of Ammunition for Rifles	1459
2066. मैच कारतूसों को फिर से भरना	Reloading of Match Cartridges	1460
2067 शाटगन के कारतूस	Shortgun Ammunition	1460
2068. चन्डीगण में टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान वेधशाला	Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh	1460—1461
2069. सैनिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिए स्थान का आरक्षण	Reservation of Seats for S. C. & S. T. Candidates in Sainik Schools	1461
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1461—1462
राजभाषा (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित	Official Language (Amendment) Bill-Introduced	1462—1468
सभा में गण पूर्ति के बारे में	Re: Quorum in the House	1468
न्यायालय शुल्क (दिल्ली संशोधन) विधेयक	Court Fees (Delhi Amendment) Bill	1468—1471
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	
श्री जार्ज फर्नेन्डीज	Shri George Fernandes	
खण्ड 2 से 5 तथा 1	Clauses 2 to 5 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidhya Charan Shukla	
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	
सूती कपड़ा कम्पनियां (उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था तथा परिसमापन अथवा पुनःस्थापन) विधेयक	Cotton Taxtile Companies (Management of undertakings and Liquidation or Reconstruction) Bill	1471—1487
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	
श्री नन्दकुमार सोमानी	Shri N. K. Somani	

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
	श्री प० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	
	श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrate Barua	
	श्री बृजभूषण लाल	Shri Brij Bhushan Lal	
	श्री शशि भूषण वाजपेयी	Shri Shashibhusahan Bajpai	
	श्री श्री० अ० डांगे	Shri S. A. Dange	
	श्री देवराव पाटिल	Shri Deorao Patil	
	श्री स० कुन्दु	Shri S. Kundu	
	श्री दत्तात्रेय कुन्टे	Shri Dattatraya Kunte	
	श्री वि० कृष्णमूर्ति	Shri V. Krishnamurthi	
	श्री जार्ज फर्नेन्डीज	Shri George Fernandes	
	श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukum Chand Kachwai	
	शिव सेना के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Disscussion Re: Shiv Sena	1487—1491
	श्री उमानाथ	Shri Umanath	
	श्री वि० कृष्णमूर्ति	Shri V. Krishnamoorthi	
	श्री कंवरलाल गुप्त	Shri Kanwarlal Gupta	
	श्री जार्ज फर्नेन्डीज	Shri George Fernandes	
	श्री स० कुन्दू	Shri S. Kundu	
	श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	

लोक-सभा
LOK-SABHA

सोमवार, 27 नवम्बर, 1967/6 अग्रहायण, 1889 (शक)
Monday, November 27, 1967/Agrahayana 6, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

+

ब्रिटेन में नियुक्ति के लिये मनोनीत उच्चायुक्त का नामनिर्देशन

*270-क **श्री मी० रु० मसानी :**
श्री नारायण दांडेकर :

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ब्रिटेन में नियुक्त के लिये मनोनीत उच्चायुक्त श्री एस० एस० धवन ने 29 जनवरी, 1966 के 'ब्लिट्ज' पत्र में प्रकाशित एक लेख में अन्य बातों के साथ-साथ यह लिखा था :

"नेहरू ने ब्रिटेन द्वारा विश्वासघात का पूर्वानुमान नहीं लगाया था । उन्होंने यह अनुभव नहीं किया कि ब्रिटेन अब भी शक्तिशाली तथा संगठित भारत का घोर शत्रु है ..... जहां तक ब्रिटेन का सम्बन्ध है मुझे भारत-ब्रिटेन मैत्री की कोई संभावना दिखाई नहीं देती क्योंकि मैं ऐसा न चाहते हुए भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि ब्रिटेन अपने हितों की दृष्टि से शक्तिशाली भारत का अस्तित्व पसंद नहीं करता और भारत में यदि विघटन हो जाये तो ब्रिटेन को किंचित मात्र भी दुख नहीं होगा"; और

(ख) क्या श्री धवन के ऐसे विचारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ब्रिटेन में उच्चायुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति पर पुनर्विचार करेगी ?

must be

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत)

(क) जी हाँ।

वैदेशि

नागा समस्या हलउद्धरण वास्तव में एक लम्बे लेख में से लिये गये हैं जिसका शीर्षक था "क्या से लोगों की वैदेशिक नीति असफल हो गई है ? पहला तो स्वर्गीय श्री नेहरू की काश्मीर नीति क संदर्भ में से है और दूसरा समाप्ति लेख में से है जिसमें भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों का विशेष रूप से उल्लेख किया है।

(ख) जिस संदर्भ में यह उद्धरण लिये गये हैं उनको ध्यान में रखते हुए सरकार इस नियुक्ति पर पुनः विचार करना उचित नहीं समझती जो कि ब्रिटिश सरकार की अनुमति से की गई है।

श्री नारायण दांडेकर : क्या मैं जान सकता हूँ कि (क) क्या यह उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि उच्चायुक्त के पद पर उस व्यक्ति को भेजा जाता है जो अपने देश तथा जिस देश में भेजा जाता है उसके बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करे तथा उन्हें बनाये रखने में सहायक हो; और

(ख) क्या यह सच है कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति हुई है वह लखनऊ में ब्लिट्ज नेशनल फोरम नाम की संस्था के प्रधान हैं और यह संस्था तथा ब्लिट्ज समाचार पत्र लगातार ब्रिटिश विरोधी रहा है, और

(ग) क्या मैं जान सकता हूँ कि जो व्यक्ति उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं वह यह बिल्कुल विश्वास करते हैं कि ब्रिटेन ने भारत के साथ धोखा किया है तथा भारत का शत्रु है और भविष्य में भारत तथा ब्रिटेन के बीच मैत्री स्थापित करने की संभावना नहीं है जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है ? और

(घ) क्या इन परिस्थितियों में इस व्यक्ति को सरकार भारत का ब्रिटेन में उच्चायुक्त नियुक्त करने के प्रश्न पर पुनः विचार करेंगी ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

जैसा कि राज्य मंत्री ने बताया कि यह वक्तव्य न्यायाधीश धावन ने भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय दिये थे। यह उस समय कहा था जब ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने कहा था कि भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया है। इसलिये मेरे विचार में किसी के एक वक्तव्य, जिसे संदर्भ से तोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है, हमें सब मामले को इकट्ठे रूप में देखना चाहिये। मुझे विश्वास है कि न्यायाधीश धावन ब्रिटेन में अच्छा कार्य करेंगे। उनके बारे में सारे तथ्य ब्रिटिश सरकार के सामने रखे थे और वह सहमत हो गये हैं कि उन्हें वहां नियुक्त किया जाये। इसलिये उसमें अब परिवर्तन करना संभव नहीं है। मुझे आशा है कि भारत तथा ब्रिटेन के बीच मैत्री को दृढ़ बनाने में वह कार्य करेंगे।

हम में से बहुत लोगों ने ब्रिटेन के विरुद्ध विचार व्यक्त किये थे और हमारा स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटेन के विरुद्ध था।

श्री रंगा : क्या उन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था ? क्या वह भी जेल गये थे ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : वह जेल तो नहीं गये थे परन्तु उन्होंने भी इसमें कुछ कार्य किया था। उनके वहां जाने से भारत तथा ब्रिटेन के लोगों के बीच नये सम्बन्ध स्थापित होंगे।

श्री नारायण दांडेकर : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या वह लखनऊ में ब्लिट्ज नेशनल फोरम के सभा-पति नहीं है जो कि लगातार ब्रिटेन के विरुद्ध रहा है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या श्री धावन अब भी यह विश्वास नहीं करते कि ब्रिटेन तथा भारत के बीच मैत्री स्थापित नहीं हो सकती क्योंकि वह देश हम से धोखा करता है। इसका उत्तर नहीं मिला ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : मेरे सहयोगी ने उत्तर दिया है कि श्री न्यायाधीश धावन ने इन्कार किया है कि वह ब्लिट्ज फोरम के प्रधान हैं। वह इसका उत्तर फिर दे सकते हैं। दूसरे श्री धावन ने एक विशेष परिस्थिति में वह वक्तव्य दिया था और उनका अब वह विचार नहीं है अन्यथा वह वहाँ जाने को तैयार नहीं होते।

श्री ब० रा० भगत : यह प्रश्न श्री मसानी ने एक समाचारपत्र को लिखे पत्र में उठाया था कि श्री धावन लखनऊ में ब्लिट्ज नेशनल फोरम के सभापति हैं। अब उन्होंने इसका स्पष्ट रूप से उत्तर दिया है कि ऐसा नहीं है।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान ब्रिटेन के कुछ समाचारपत्रों में छपे समाचारों की ओर गया है जिसमें श्री धावन के वहाँ उच्चायुक्त नियुक्त होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है ? गार्जियन ने लिखा है कि एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्त करके जिसे भारत तथा ब्रिटेन में पता है कि वह यह कार्य नहीं करते तथा जिस पद पर श्रीमती पंडित और श्री कृष्णा मेनन जैसे व्यक्ति रह चुके हैं, से पता चलता है कि भारत इस नियुक्ति को अब पहले वाला महत्व नहीं देता। 'टाईम' ने लिखा है कि वह खाने-पीने के मामले में निमन्त्रण नहीं बर्तते क्योंकि वह एक पंजाबी हैं। उनकी योग्यता यह है कि वह --

(क) कैम्बरिज विद्यार्थी संघ के प्रधान थे।

(ख) वह "ब्लिट्ज" तथा "लीडर" के लिये कभी-कभी लिखते हैं।

(ग) वह खाने-पीने के बारे में निमन्त्रण नहीं बर्तते। क्या ऐसे व्यक्ति की नियुक्त से भारत का कार्य सिद्ध होगा ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : सरकार के विचार में श्री धावन की नियुक्ति से भारत का हित सिद्ध होगा क्योंकि उन्हें भारत तथा ब्रिटेन के सम्बन्धों का ठीक परिचय है। श्री धावन ऐसी स्थिति में सहायक होंगें।

श्री रा० कृ० सिंह : क्या भविष्य में ऐसा उपबन्ध होगा कि राजदूतों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में भारत या पाकिस्तान, अमेरिका या ब्रिटेन की अलोचना न की जाये, क्योंकि ऐसा करना देश के हित में नहीं होता या इस सम्बन्ध में विचार इसलिये व्यक्त न किये जायें कि राजदूतों की नियुक्तियों के संबन्ध में विदेशों से ली गई स्वीकृति का प्रश्न उठ जाता है। क्या यह भी सच

है कि श्री धावन ने अपने लेख में यह लिखा है कि श्री मसानी ने अपने दलगत हितों को देश के हितों से अधिक समझा है ?

श्री ब० रा० भगत : हमारे देश में प्रजातंत्र है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। प्रत्येक व्यक्ति किसी प्रत्येक किसी विषय पर अपने ढंग से विचार कर सकता है यदि श्री धावन ने एक लेख में किसी विषय पर किसी विशिष्ट ढंग से विचार व्यक्त किये हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि यह उनका स्थायी विचार था। यह उनका व्यक्तिगत विचार था जो उन्होंने किसी विशेष अवसर पर व्यक्त किये थे। यह सच है कि धवन ने अपने लेख में यह लिखा है कि श्री मसानी ने देश के मुकाबले में अपने दलगत हितों को तरजीह दी है।

Shri George Fernandes : The appointments of ambassadors abroad are frequently criticized. It is often said that defeated Ministers or the retired bureaucrates are appointed as ambassadors in foreign countries. In view of such criticism, may I know, whether Government will take this House into confidence while making appointments of ambassadors ? If it is difficult, a committee on Foreign Policy, on the pattern of the other existing committees should be constituted which may give its approval to such appointments?

Shrimati Indira Gandhi : I am afraid whether any such committee, if appointed, will ever be able to agree unanimously on any issue concerning foreign affairs.

Shri Madhu Limaye : Why on the basis of unanimity, it can be done on the basis of majority. She has not replied to the question of George Fernandes regarding constitution of a committee on Foreign Affairs. He insisted that Government should consult some Parliamentary Committee on the appointments of ambassadors abroad, as is the case in America where Senate approves such appointments?

Shrimati Indira Gandhi : An ambassador abroad is appointed to project Indian views and policy there. So appointments should be made by Government alone.

Shri Madhu Limaye : It is stated that before appointments the matter should come up before Parliament or a Parliamentary Committee as in America, where it could be seen whether the person is capable or not.

Shri George Fernandes : They will consult the British Government but they cannot consult their own people.

Shri B. R. Bhagat : हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है जिसमें विधान मंडल और कार्यपालिका के कार्य स्पष्ट रूप से परिभाषित किये गये हैं। माननीय सदस्य ने अमरीका का उदाहरण दिया है, परन्तु वहाँ पर राष्ट्रपति-प्रधान (प्रेजिडेंशल सिस्टम) शासन है और वहाँ की प्रत्येक पद्धति हमारे यहाँ ठीक नहीं बैठती।

Shri Madhu Limaye : Now such Committees are being constituted in House of Commons also.

(Interruptions)

श्री पीलू मोदी : क्या सरकार को 50 करोड़ व्यक्तियों में से ब्रिटेन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिये केवल एक ऐसा व्यक्ति ही मिल सका, जो ब्लिट्ज के सामयिक संवाददाता थे ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका उत्तर दिया जाये ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या कारण है कि ऐसे पदों पर वृद्ध व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता है और नवयुवकों को ब्रिटेन में प्रतिनिधित्व करने के लिये क्यों नहीं चुना जाता ? क्या यह काम इतना महत्वहीन हो गया है कि इसे कोई भी युवक व्यक्ति अपने हाथ में लेना नहीं चाहता ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह कार्य महत्वपूर्ण है । परन्तु यहाँ प्रश्न आयु का नहीं है । बल्कि प्रश्न यह है कि कौन हमारी नीतियों की ब्रिटेन में समुचित व्याख्या कर सकता है ।

डा० रानेन सेन : क्या सरकार की यह नीति है कि कुछ पिट्ठू लोगों को ही भारत के राजदूत नियुक्त किया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : उत्तर की आवश्यकता नहीं है ।

श्री बलराज मधोक : विभिन्न देशों में राजदूत इसलिये नियुक्त किये जाते हैं कि वे वहाँ भारत की स्थिति को ठीक ढंग से प्रस्तुत करें और भरत के पक्ष में जनमत तैयार करें । तथा अन्य स्थानों पर भारत के समर्थन में जनमत तैयार करें । साथ ही एक राजदूत का यह काम भी होता है कि उस देश में रहने वाले भारतीयों की समस्याओं पर भी वह ध्यान दे । इस संदर्भ में क्या भारत सरकार ब्रिटेन में ऐसे व्यक्ति को राजदूत के रूप में भेजेगी जिसे लोगों का विश्वास प्राप्त हो और जो दूसरे देश की सरकार को भी स्वीकार्य हो ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : यह एक परम्परा है कि जब किसी देश के लिये कोई राजदूत नियुक्त किया जाता है तो उस देश से पूछा जाता है कि वे अमुक व्यक्ति की राजदूत के पद पर नियुक्ति पर सहमत हैं या नहीं । दूसरे देश भारतीय सरकार से भी ऐसी सम्मति लेते हैं । श्री धवन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन-विरोधी नहीं हैं और जो उच्च आयुक्त के रूप में ब्रिटेन को स्वीकार्य हैं । उन्होंने भारत तथा ब्रिटेन में पारस्परिक मैत्री की वकालत की है । जैसा कि मैंने पहले बताया है कि श्री धवन ने यह लेख उस समय लिखा था जबकि इस मामले पर सब लोग चिंतित थे । इस लेख में न केवल ब्रिटेन-विरोधी विचार व्यक्त किये गये हैं बल्कि उसमें उन्होंने ब्रिटेन की प्रशंसा भी की है और कहा है कि साम्राज्यवादी होते हुये भी ब्रिटेन और ब्रिटिश सरकार में ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की स्वाधीनता की माँग का समर्थन किया था, तथा जिन्होंने भारत सरकार की नीतियों का सदैव समर्थन किया । वास्तव में दिक्कत यह है कि जो भी व्यक्ति अपने विचार ईमानदारी से व्यक्त करता है, उसे किसी न किसी की आलोचना का शिकार तो बनना ही पड़ेगा ।

श्री जी० भा० कृपालानी : क्या ऐसे व्यक्तियों को विदेशों में भारतीय राजदूत नियुक्त करना वांछनीय होगा, जिसे सभा के अधिकांश सदस्य पसन्द नहीं करते ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : जब तक किसी व्यक्ति के कार्य को देखा न जाये तब तक उसकी योग्यता को कैसे परखा जा सकता है । जैसा बलराज मधोक ने कहा था राजदूत को विदेश में रहने वाले अपने देशवासियों की समस्याओं पर भी ध्यान देना होता है । श्री धवन ब्रिटेन में

रहने वाले भारतीयों की समस्याओं से भली भांति परिचित हैं, इसलिये भी उनको इस नियुक्ति के लिये चुना गया है।

श्री जी० भा० कृपालानी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उसके प्रति भारत के लोगों के विचारों का उल्लेख कर रहे हैं ।

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं यह विश्वास नहीं करती कि सभा के अधिकतर सदस्य श्री धवन के खिलाफ हैं। श्री धवन के कुछ अपने मत हैं, धारणायें हैं । यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राजदूत बनाया जाये जिसकी अपनी कोई विचारधारा न हो तो वह राजदूत के कार्यों को पूर्णतः न निभा सकेगा।

श्री रणधीर सिंह : श्री धवन एक विधिवेत्ता, देशभक्त और यथार्थवादी हैं ।

श्री नाथपाई : अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार अपने राजदूतों और उच्च आयुक्तों आदि के महत्व को कम करती जा रही है । कुछ ऐसे उदाहरण सामने आये हैं कि सरकार ने चुनाव में पराजित व्यक्तियों को दूसरे देशों में राजदूत नियुक्त किया है । जो व्यक्ति इस देश का दूसरे देशों में प्रतिनिधित्व करने के लिये चुने जाते हैं, उनकी योग्यता का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है ? कुछ समय पहले तो राजदूतों की आकांक्षा यह रहती थी कि वे शुल्क-मुक्त कार, रेफ्रीजेरेटर तथा रेडियोग्राम आदि विदेश से लेकर घर लौटेंगे ।

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारे राजदूतों पर यह एक बहुत भद्दी टिप्पणी है। शेष प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही दे चुकी हूँ।

श्री नाथपाई : वह श्री धवन की ओर क्यों संकेत कर रही हैं । मैंने तो श्री धवन का नाम नहीं लिया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न श्री धवन की नियुक्ति के बारे में है ।

श्री नाथपाई : किन्तु अनुपूरक प्रश्न में वह तथ्य से दूर नहीं हट सकतीं। प्रधान मंत्री क्या कसौटी बतला रही हैं और यह बात वहाँ तक सत्य है कि पराजित व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : सामान्य रूप से राजदूतों के बारे में ऐसी टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिये । यदि किसी राजदूत विशेष के बारे में कोई शिकायत हो तो वह मुझे बता सकते हैं । जहां तक श्री धवन का सम्बन्ध है, वह निर्वाचन में पराजित व्यक्ति नहीं हैं । वह कांग्रेस दल के भी सदस्य नहीं हैं ।

श्री हेम बरुआ : श्री राजबहादुर के बारे में क्या है ? वह भी हारे हुए हैं ।

Shri S. M. Joshi : May I know whether she will agree with the principle that our ambassadors in foreign countries should be appointed after consultation with the opposition parties ?

सदस्य : जी नहीं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह व्यावहारिक नहीं है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या श्री धवन भारत-रूस सांस्कृतिक संस्था की उत्तर-प्रदेश शाखा के अध्यक्ष हैं और क्या वह संजीव नाम से नैशनल हेरल्ड में ब्रिटेन विरोधी लेख नियमित रूप से कई वर्षों से लिखते रहे हैं ? क्या यह सच नहीं है कि वह पिछले 20 वर्षों से व्यवस्थित ढंग से ब्रिटेन विरोधी कार्यवाही कर रहे हैं ? क्या सरकार इस व्यक्ति की कार्यवाहीयों की जांच करने के लिए तैयार है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुकी हूँ कि श्री धवन ब्रिटेन विरोधी या रूस समर्थक नहीं हैं । रूस के प्रति सरकार की नीति का समर्थन करना ब्रिटेन विरोधी नहीं है ; वास्तव में ब्रिटेन के लोग भी कभी-कभी रूस का समर्थन करते हैं ।

श्री सा० मो० बनर्जी : विभिन्न प्रश्नों से यह प्रतीत होता है कि कुछ लोग इसलिये नाराज हैं कि श्री धवन ने कुछ ऐसे लेख लिखे थे जिन्हें ब्रिटेन विरोधी कहा जाता है। एक समय प्रत्येक भारतीय ब्रिटेन विरोधी था । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या श्री धवन को अनुदेश भेजे गये हैं कि वह जब तक ब्रिटेन में इस पद पर हैं वह भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के पक्ष में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के जहरीले प्रचार का मुकाबिला करें ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : स्पष्ट रूप से ये हिदायतें हमारे सभी राजदूतों को जारी की जाती हैं न कि केवल एक को ही ।

श्री लोबो प्रभु : उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाना कहाँ तक उचित है, क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है, क्योंकि इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप उनकी सेवाओं के लिये उन्हें इनाम दे रहे हैं ? यदि यह न्यायाधीश इतने ही योग्य थे तो इन्हें मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त क्यों नहीं किया गया ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं नहीं समझ सकती कि यह प्रश्न क्यों उठाया जाता है। प्रश्न यह नहीं है कि कोई न्यायाधीश अच्छा है या नहीं । सब को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जा सकता । मैं सभा को आश्वासन दिलाती हूँ कि किसी सेवा निवृत्त न्यायाधीश को नौकरी दिलाने का प्रश्न नहीं है । प्रश्न किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने का था जो उस पद के लिये उपयुक्त हो जो न केवल राजनयिक है अपितु जिसके लिये अन्य गुण भी होने चाहिये। जैसा कि श्री मधोक ने सही-सही कहा कि इंगलैंड में भारतीय विद्यार्थियों और भारतीय प्रवासजनों के सम्बन्ध में एक बड़ी विशेष समस्या है । उच्चायुक्त के कार्य का यह भी एक उतना ही महत्वपूर्ण अंग है जितना कि ब्रिटेन के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाना ।

Shri Kanwar Lal Gupta : What were the reasons for the post of Indian High Commissioner in Britain lying vacant for the last 10 months ? Does it not affect the relations between ths two countries and hamper the work ? How far is it justified to offer diplomatic assignments to the judges and do Government propose to appoint an independent enquiry commission to look into this matter and submit its recommendations ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : न्यायाधीशों को इस पद पर नियुक्त करने का कोई नियम नहीं है । एक या दो नियुक्तियां पहले हुई हैं । जहाँ तक पद के खाली पड़े रहने का सम्बन्ध है वह

10 महीने से नहीं अपितु कम समय से खाली था। मैं नहीं समझती कि ब्रिटेन के साथ हमारे सम्बन्धों पर इसका कोई बुरा प्रभाव पड़ा है। वहां पर हमारे एक बहुत ही अच्छे और सक्षम उप-उच्चायुक्त थे। मैं यह भी बता दूँ कि कुछ व्यक्ति वहां जाने के लिये तैयार नहीं थे और इस कारण से भी कुछ विलम्ब हुआ।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह पद पिछले 9-10 महीनों से क्यों खाली पड़ा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे चुकी हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं यह भी बता दूँ कि कुछ लोग वहाँ जाने को तैयार नहीं थे, इसलिये भी कुछ विलम्ब हुआ।

स्वतंत्रता दिवस पर आकाशवाणी से भाषण

*271. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर पश्चिम बंगाल के किसी भी मंत्री ने, जिसमें मुख्य मंत्री भी शामिल हैं, आकाशवाणी से कोई भाषण नहीं किया ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) :

(क) जी हां।

(ख) पश्चिमी बंगाल का संयुक्त दल सरकार के एक मंत्री के प्रस्तावित प्रसारण से जो मतभेद पैदा हो गए थे, उनके कारण उस सरकार के मंत्रिमंडल ने मतभेद दूर होने तक आकाशवाणी, कलकत्ता से कोई भी प्रसारण न करने का फैसला किया था। सहिता पर सहमति हो गई थी, परन्तु उसके कार्यान्वय के ढंग पर मतभेद अभी दूर होना है।

श्री स० मो० बनर्जी : 1 मई, 1967 के मई दिवस से यह हुआ है। इस मामले को निपटाया नहीं जा सका और अब दूसरे मुख्य मंत्री आ गये हैं। अब उनके पास एक ऐसे मुख्य मंत्री हैं कि यदि वह आकाशवाणी कलकत्ता से भाषण देना चाहें तो उस पर पहले श्री धमंवीर और श्री यशवन्त राव चह्वाण के हस्ताक्षर होंगे। क्या स्टेशन डायरेक्टर के विरुद्ध कोई कार्य-की गई है या वह अब भी वहीं पर हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के०शाह) :

स्टेशन डायरेक्टर अभी वही पर हैं क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है और कोई कारण नहीं है कि उनकी बदली की जाये।

डा० रानेन सेन : उनकी बदली की जा चुकी है।

श्री के० के० शाह : बदली पहली दिसम्बर से होगी।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या चैटर्जी के स्थानान्तरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं ?

श्री के० के० शाह : यह सच है कि श्री चैटरजी को सामान्य रूप से 1 दिसम्बर से स्थानान्तरित किया जायेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : अब यह कहा जाता है कि संहिता को स्वीकार कर लिया गया है । क्या इस चीज को अन्तिम रूप देने से पूर्व गैर-कांग्रेसी सरकार के प्रतिनिधि के साथ दूसरी बैठक की जायेगी और इस परामर्श के पश्चात की गई अन्तिक कार्यवाही की जानकारी इस सभा को देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री के० के० शाह : मैं अपने माननीय मित्र का ध्यान उस संयुक्त वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूँ जो 22 सितम्बर, 1966 को मेरे तथा श्री लहरी द्वारा जारी किया गया था जिसने श्री लहरी, मेरे द्वारा किये गये सुझाव पर मंत्रिमण्डल का परामर्श लेने के पश्चात मुझे लिखने के लिये राजी हो गये थे । मैं उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था, परन्तु अब मैं उस उत्तर की प्रतीक्षा नहीं कर सकता ।

मैं अपने माननीय मित्र को यह भी बता दूं कि श्री अजय मुकर्जी ने मुझे क्या लिखा था और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपनाई गई नीति में किया गया परिवर्तन किस प्रकार से इस चर्चा को लम्बा कर रहा था.....

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा तो सीधा सा प्रश्न है । मैं तो केवल यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह गैर-कांग्रेसी सरकार के प्रतिनिधि से आग्रेतर परामर्श करेंगे ?

श्री के० के० शाह : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मैं एक पत्र से कुछ अंश पढ़ना चाहता हूँ ताकि मेरे माननीय मित्र श्री बनर्जी संतुष्ट हो जायें कि जहां तक इस ओर का सम्बन्ध है समझौता करने और उसके दृष्टिकोण को रखने का पूरा प्रयत्न किया गया था । हमने जो नीति अपनाई वह श्री अजय मुकर्जी के पत्र पर आधारित है ।

उन्होंने 6 मई, 1967 के प्रधान मन्त्री को लिखे अपने पत्र में कहा था :—

"यदि किसी राज्य सरकार के एक मन्त्री का प्रस्तावित रेडियो भाषण स्टेशन डायरेक्टर को आपत्तिजनक प्रतीत होता है, तो क्या उसको भाषण में संशोधन करने का अधिकार है या क्या उस भाषण को सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्री को उसकी राय के लिये भेजा जाना चाहिये? मैं मानता हूँ कि यदि कोई आपत्ति है, तो उसका फैसला केन्द्रीय मन्त्री द्वारा राज्य के मन्त्री के परामर्श से किया जायेगा ।"

परन्तु दुर्भाग्य से श्री सोमनाथ लहरी ने इसको स्वीकार नहीं किया और इस प्रकार चर्चा लम्बी हो गई ।

श्री रंगा : मेरा सुझाव है कि इस पत्र को सभा पटल पर रख दिया जाये ।

श्री के० के० शाह : मैं इसको सभापटल पर रख दूंगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनके तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि के बीच बातचीत से यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या किसी राज्य सरकार के भाषण में आपत्तिजनक बात के बारे में अन्तिम निर्णय करने का अधिकार स्टेशन डायरेक्टर को होता है या किसी केन्द्र के मन्त्री को होता है

उन्होने कहा कि स्टेशन डायरेक्टर को इसका अधिकार नहीं होगा और भाषण को यहां भेजना होगा । यदि ऐसी बात है तो उनके और राज्य सरकार के बीच में अब क्या झगड़ा हैं ?

श्री के० के० शाह : श्री लहरी के अनुसार केन्द्रीय मन्त्री द्वारा इस प्रश्न पर फैसला करने से पूर्व ही भाषण को प्रसारित करने की अनुमति दे दी जानी चाहिये, और मैं कहता हूँ कि आचार संहिता को स्वीकार करने के बाद ऐसा नहीं किया जा सकता । यदि कोई आपत्ति उठाई जाती है तो राज्य का मन्त्री और केन्द्र का सूचना तथा प्रसारण मन्त्री उस पर बातचीत कर सकते हैं और यदि हम सहमत न हों तो मुख्य मंत्री और प्रधान मन्त्री भी बातचीत कर सकते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: क्या यह सच नहीं है कि पिछले अवसर पर जब कि यह विवाद खड़ा हुआ था, स्टेशन डायरेक्टर ने हस्तक्षेप करके भाषण को प्रसारित होने से रोक दिया था और ऐसा करना नियमों के अनुकूल न था ?

श्री के० के० शाह : जी नहीं । स्टेशन डायरेक्टर को सम्बन्धित मन्त्री को यह बताने का हक है कि भाषण आचार संहिता के अनुसार नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: वह बता सकते हैं परन्तु भाषण को प्रसारित होने से रोक नहीं सकते ।

श्री के० के० शाह : इससे पहले कि वह भाषण को मेरे पास भेजते, श्री सुबोध बनर्जी ने इन्कार कर दिया और भाषण को रद्द कर दिया । मुझे खेद है कि उन्होंने सारी बातों को वही पढ़ा है ।

श्री मनुभाई पटेल : क्या इस संहिता का केवल बंगाल के लिये पालन किया गया या अन्य राज्यों के बारे में भी पालन किया गया था क्या अन्य राज्यों में जहां पर कि गैर कांग्रेसी सरकारें थी उन्होंने भी इसी तरीके से इन्कार किया था ?

श्री के० के० शाह : यह आचार सहिता सब पर लागू होती है । सभी राज्यों ने इसको स्वीकार किया है और क्रियान्विति के प्रश्न पर जो बगाल के मामले में उत्पन्न हुआ, सब राजी हो गये हैं और मैं उनका आभारी हूँ ।

श्री तिन्नेटि विश्वनाथम : इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है । क्या प्रसारण विभाग केन्द्रीय सरकार की निजी सम्पत्ति है ? स्टेशन डायरेक्टर को किसी राज्य के मन्त्री के भाषण पर आपत्ति उठाने का अधिकार देने का क्या मतलब है ? क्या यह केन्द्रीय सरकार की निजी सम्पत्ति है जहाँ कि राज्य के मन्त्री को रेडियो पर अपना भाषण देने के लिए एक विशिष्ट आचार संहिता का पालन करना पड़ता है ? मैं समझता हूँ कि इस मामले पर गम्भीर रूप से विचार करने की आवश्यकता है ।

श्री के० के० शाह : मेरे माननीय मित्र इस तथ्य को भूला रहे हैं कि यह सम्पत्ति सारे देश की है और जो सारे देश को स्वीकार्य हो केवल वही नियम हो सकता है ।

Shri George Fernandes : Will it be decided by the Station Director ?

श्री के० के० शाह : क्या मेरे माननीय मित्र यह करना चाहते हैं कि सरकार के आदेशों का पालन करने के लिये कोई अधिकारी नहीं होने चाहिये ?

पाकिस्तानितों द्वारा सीमा स्तम्भों का गिराया जाना

272. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** **श्री निहाल सिंह :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नादिया जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा को अंकित करने वाले अधिकांश स्तम्भों को पाकिस्तानी अधिकारियों ने नष्ट कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) मई 1965 में, पश्चिम पाकिस्तान के नादिया जिले में भारत पाकिस्तान सीमा से पाकिस्तानी राष्ट्रकों ने कुछ सीमा स्तम्भ उखाड़ दिये ।

(ख) इस मामले पर पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ विभिन्न स्तर पर बातचीत की गई है । 25 और 26 सितम्बर 1967 को पश्चिम बंगाल और पूर्व पाकिस्तान भू-अभिलेख एवं सर्वेक्षण निदेशकों की जो बैठक ढाका में हुई थी उसमें वे पूर्व-पाकिस्तान-पश्चिम बंगाल सीमा पर क्षतिग्रस्त और लापता स्तम्भों को फिर से लगाने पर राजी हो गए हैं, जिसमें नादिया क्षेत्र भी शामिल है ।

Shri Nihal Singh : May I know whether our border police was there or not at the time the pillars were demolished and if the border police was there, what action did it take ?

Shri B. R. Bhagat : Had the pillars been demolished in their presence, they would certainly have taken some action.

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि न केवल नादिया में ही अपितु त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल के भी कुछ भागों में सीमा स्तम्भ गिराये गये हैं ? अक्तूबर और नवम्बर के महीनों में सशस्त्र पाकिस्तानी कई बार इन क्षेत्रों में आये हैं । पाकिस्तानियों की इस घुसपैठ को रोकने और पाकिस्तानियों द्वारा स्तम्भों के गिराये जाने को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : मुख्य प्रश्न में विशेष रूप से नादिया जिले का उल्लेख किया गया है और मैंने जानकारी पहले ही दे दी है । यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि अन्य क्षेत्रों में ऐसी कितनी घटनायें हुई हैं तो इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

Shri S. M. Joshi : The language of the question is "Most of the pillars". Therefore we should have some fully prepared.

Shri B. R. Bhagat : The question is about Nadia.

Shri Hukam Chand Kachwai : This is not the soltiary instance when these pillars have been demolished. In the past also they have been demolished several times. It appears that they are demolishing them under a phased programme. Why instantaneous action is taken by your Jawans when these pillars are demolished ?

Shri B. R. Bhagat : It is true that they have demolished the pillars, but they have done so in a surreptitious manner. As regards the question of taking action, we had lodged a protest and now they have agreed for the reinstallation of the pillars.

श्री हेम बरुआ : नेहरू-लियाकत अली समझौते में यह दिया गया है कि विवादास्पद क्षेत्र के मामले में भी यथापूर्व स्थिति बनाई रखनी चाहिये और यदि एक पक्ष यथापूर्व स्थिति का उलंघन करता है तो दूसरा पक्ष कड़े उपाय कर सकता है। नदिया के मामले में पाकिस्तान ने सीमांकित क्षेत्र में सीमा स्तम्भों को गिराया है और केवल इतना ही नहीं पाकिस्तान ने वहां पर स्कूल स्थापित किये हैं, सड़कें बनाई हैं और उस क्षेत्र में अपने नागरिकों को बसाया है। इस सम्बन्ध में नेहरू-लियाकत अली समझौते के प्रकाश में क्या सरकार सीमा स्तम्भों को गिराने के लिये पाकिस्तान के विरुद्ध कड़े उपाय करना चाहती है ?

श्री ब० रा० भगत : जैसा कि मैंने बताया, पाकिस्तान सीमा स्तम्भों को बहाल करने के लिये राजी हो गया है और इसलिये सीमा उल्लंघन का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री हेम बरुआ : वह स्तम्भ पुनः लगाने को सहमत हो गया है, परन्तु उन्होंने स्तम्भ गिराये क्यों थे ? उनके विरुद्ध क्या कोई कड़ी कार्यवाही की जा रही है ?

Shri Ram Charan : Have our Government issued any instructions to our Border force not to interfere or resist when border pillars are being demolished ?

Shri B. R. Bhagat : No such orders have been issued.

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : पाकिस्तान और चीन निरन्तर रूप से हमारे सीमावर्ती क्षेत्र को हड़पने का प्रयत्न करते रहते हैं। क्या पूरी सीमा को अंकित कर दिया गया है ? हमारे सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : जहाँ तक इस प्रदेश का सम्बन्ध है, यह साफ साफ सीमांकित है। कहां पर स्तम्भ थे। सच यह है कि कुछ स्तम्भों को हटा दिया गया था या क्षति पहुंचाई गई थी। अब उन्हें बहाल किया जा रहा है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : सीमा की सुरक्षा के लिये क्या कदम उठाये जाते हैं ? क्या सीमा पर हमारी सुरक्षा पुलिस है ?

श्री ब० रा० भगत : उनको बहाल करने के लिये सफल कदम उठाया गया है। आप और क्या कार्यवाही चाहते हैं ?

श्री मनुभाई पटेल : ये स्तम्भ किसने गिराये थे; क्या ये पकिस्तान के राजनीतिक दलों के लोगों द्वारा गिराये गये थे या अन्य लोगों द्वारा विशेष रूप से चीन समर्थक और वामपन्थी साम्यवादियों द्वारा ?

श्री ब० रा० भगत : विशिष्ट रूप से यह बताना कठिन है कि ये स्तम्भ किसने गिराये थे।

Shri Bhogendra Jha : Were Pakistani officers involved in the demolition of those pillars or the civilians did it ? Was it done with the intention of undoing the partition between the two countries and if so, what objection Government have to that ?

Shri B.R. Bhagat: I can not say whether Pakistani officials had a hand in it or not. Now since they have agreed for the survey and to put up pillars, we will achieve what we wanted.

श्री श्रीनिवास मिश्र : मंत्री महोदय ने कहा है कि दोनों देशों के भूमि रिकार्ड निर्देशक खम्बों को फिर लगाने के लिये सहमत हो गये हैं। पाकिस्तान की हठधर्मी को देखते हुये क्या यह सच है कि खम्बे पूर्व के स्थान पर लगाये जायेंगे तथा उनके लगने में कितना समय लगेगा ?

श्री ब० रा० भगत : वह अवश्य उन्हीं स्थानों पर लगाये जायेंगे। मेरे विचार में कार्य इसी मास से आरंभ हो जायेगा ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या मैं जान सकता हूँ कि जो भूतपूर्व कच्छ राज्य ने कच्छ सीमा पर खम्बे लगाये थे वह अब भी वहीं हैं अथवा हटा दिये गये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : इसके लिये मुझे अलग सूचना चाहिये ।

Shri Ranjit Singh: Is in not a fact that at many places these pillars have not only been removed but have been refixed in Indian territory? Is it not a fact that instead of removing those pillars and putting them on their previous places, we have been conducting negotiations with them for months?

Shri B.R. Bhagat: We have no such information.

चीन और पाकिस्तान के बीच व्यापार का मार्ग

273. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपनी सीमाओं के पार व्यापार के मार्ग को पुनः खोलने के लिये पाकिस्तान ने चीन के साथ एक करार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार उससे उत्पन्न होने वाले समस्त परिणामों की जांच कर रही है और इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही कर रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलीराम भगत) :

(क) पाकिस्तान सरकार के प्रेस सूचना विभाग द्वारा जारी किये गये वक्तव्य के अनुसार चीन और पाकिस्तान ने गिलगित और सिकियांग के बीच पुराने कारवां मार्ग को फिर से खोलने के लिये इस साल 21 अक्टूबर को एक करार पर हस्ताक्षर किए ।

(ख) जी हां । सरकार इस घटना का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर रही है और आवश्यक उपाय बरतेगी ।

Shri R.S.Vidyarthi: Is it a fact that smuggled goods from China are still available in our country in large quantities? Does Government feel that with this agreement more Chinese goods would come to India and if so what steps are being taken by the government in this regard?

Shri B.R. Bhagat: Whenever we come to know of any Chinese goods available anywhere we always take action to prevent this with the help of our customs and police departments.

श्री रा० स्व० विद्यार्थी : केवल दिल्ली में ही उन्हें करोड़ों रुपये का चीनी माल दुकानों

पर मिल सकता है। क्या सरकार को पता नहीं है कि इस प्रकार का सामान भारत के अन्य नगरों में भी मिलता है और यदि हां तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : हमारे विचार में करोड़ों रु० का सामान यहां नहीं है ।

श्री स० कुण्डू : पाकिस्तान के साथ इस व्यापार करार के अतिरिक्त पाकिस्तान सरकार ने चीन सरकार के साथ अन्य करार भी किये हैं जिसमें सैनिक समझौता भी है और उनके द्वारा भारत के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है जैसे भारत की आन्तरिक एकता तथा सार्वभौमिकता को समाप्त करना, नागा तथा मिजों विद्रोहियों को चीन में सैनिक प्रशिक्षण देना। सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : यह सच है और यह सबूत है कि चीन और पाकिस्तान का गठ-जोड़ भारत के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहा है । मैं तो केवल यह कहता हूँ कि हम अपने साधनों द्वारा उसको रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री न० कु० सांघी : क्या मंत्री महोदय इस मामले पर पाकिस्तान सरकार से बात करेंगे कि पाकिस्तान तथा चीन के बीच व्यापार मार्ग भारत के विरुद्ध कार्यवाही समझी जायेगी तथा यह ताशकंद भावना के विरुद्ध है ?

श्री ब० रा० भगत : हम अन्य मामलों के साथ साथ इस बात पर भी विचार कर रहे हैं ।

चीनियों द्वारा शंघाई स्थित भारतीय दूतावास पर कब्जा

*274. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि शंघाई में चीनी अधिकारियों ने सिक्खों के गुरुद्वारों के अतिरिक्त भारतीय वाणिज्य दूतावास के भवन पर कब्जा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलिराम भगत) :

(क) जी हां । शंघाई आवास और भूमि एस्टेट प्रशासन ने 30 जून 1967 को पीकिंग में हमारे राजदूतावास को यह सूचना दी थी कि शंघाई-स्थित पूर्व प्रधान कौंसल के मकान की जमीन को म्यूनिसिपल प्रशासन ने ले लिया है ।

(ख) हमारे राजदूतावास ने पीकिंग के अधिकारियों के पास विरोध-पत्र भेज दिया है। भारत सरकार भी आगे की समुचित कार्यवाई करने पर विचार कर रही है ।

Shri Yajna Datt Sharma: May I know what steps are being taken by government to take back all these possession? In case government's weak efforts fail to take back these properties fail will it take the definite step to take into possession all the property of the Chinese embassey here? Is government aware that through the Nepal government the Chinese have taken possession of all our property in Lhasa too?

श्री ब० रा० भगत : हम अनुभव करते हैं कि चीन सरकार की कार्यवाही मनमानी तथा अवैध है और हम जवाबी कार्यवाही के पगों पर विचार कर रहे हैं। सदन यह मानेगा कि उन कार्यवाहियों का यहाँ कहना जनहित में नहीं है।

Shri Yajna Dutt Sharma: If government fails to take back that property and people of this country take direct action, will government stop them from doing so?

Shri B.R. Bhagat: We do not want people to take direct action, this should be left to the government.

Shri Yanjna Dutt Sharma: This government's inactivity is clear from the way it is functioning for the last twenty years.

श्री नाथ पाई : महोदय एक अच्छी राजनय का आधार पारस्परिकता है। चीन सरकार ने जो करार हमसे किये थे उनको मान नहीं रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या यह उचित है कि हम उन्हें वाणिज्य दूतावास के लिये भूमि देते चले जाये क्योंकि चाणक्यपुरी का दसवां भाग हमने चीनी दूतावास को दिया हुआ है। क्या यह बात चीन सरकार के ध्यान में लाई गई है कि यदि वह करारों को तोड़ेंगे तो हमें भी जवाबी कार्यवाही करने का अधिकार है ?

श्री ब० रा० भगत : इस मामले पर भी विचार होगा परन्तु उन कार्यवाहियो का यहां कहना जनहित में नहीं है।

श्री बेदब्रत बरुआ : चाणक्यपुरी में चीनी दूतावास को सबसे अधिक भूमि दी हुई है और उसमें बहुत सा भाग तो उपयोग में भी नहीं लाया गया। यह भूमि उस समय दी थी जब चीन के हमारे देश से अच्छे सम्बन्ध थे। क्या सरकार वर्तमान स्थिति को देखते हुये यह आवश्यक नहीं समझती कि उनसे कहें कि अनउपयोगी भूमि को हमें वापस करें ?

श्री ब० रा० भगत : इस समय ऐसा कोई सुझाव हमारे सामने नहीं है।

Shri Buta Singh: We know what happens to our protest notes sent to China and the present one will also meet the same fate. Does the government not deem it proper to take as much land from the Chinese Embassy here as they did in taking over our gurudwaras in Shinghai?

Shri B. R. Bhagat : It is a matter of details about which we cannot say anything at present.

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

India's Resolution on West Asia situation

*275. **Shri Ramji Ram:**
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Ram Avtar Sharma:
Shri Shiv Kumar Shastri:
Shri Raghuvir Singh Shastri:
Dr. Surya Prakash Puri:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri Hem Barua:
Shri Yajna Dutt Sharma:
Shri V. Krishnamoorthi:
Shri Ram Kishan Gupta:
Dr. Ranen Sen:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the outcome of the Resolution on the situation in West Asia moved by India;

(b) wheter it is also a fact that this Resolution could not muster support especially because of the firm attitude adopted by the Arab countries; and

(c) if so, whether fresh attempts have been initiated in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh)

(a) India, Mali and Nigeria co-sponsored a draft resolution in the Security Council on November 7, 1967. This was not pressed to a vote.

(b) This is not correct. No Arab country is a member of the Security Council, but it is otherwise known that except for Syria the draft was not objected to by Arab countries.

(c) After prolonged consultations among members of the Security Council, a draft resolution sponsored by U.K. was passed unanimously on Wednesday, November 22, 1967.

भारतीय मिशनों में मितव्ययता

*276. **श्री अदिचन:** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों के कार्य-संचालन में मितव्ययता लाने के प्रश्न पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रयत्न किये गये हैं ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में मितव्ययता के उपायों के परिणामस्वरूप कितनी रशि की बचत होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) जी हां।

(ख) और (ग) सदन की मेज पर एक वक्तव्य रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1744/67]

चीन-विरोधी प्रचार

*277. **श्री हेम बरूआ :**
श्री रणधीर सिंह :
श्री प्रेम चन्द वर्मा :
श्री धीरेश्वर कलिता:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण-पूर्व एशिया में तथा हमारे देश के अन्दरूनी क्षेत्रों तथा नेफा में, चीनी रेडियो के भारत विरोधी प्रसारणों का खण्डन करने के लिए अब क्या कार्यवाही, की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसाण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) रेडियो पेकिंग द्वारा किए जाने वाले भारत विरोधी प्रचार पर निगरानी रखी जाती है। रेडियो पेकिंग द्वारा समय समय पर पेश किए गए गलत तथ्यों का खंडन करने के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए दी जाने वाली हमारी सेवाओं में मुनासिब कार्रवाई की जाती है। नेफा और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम सम्बन्धित लोगों की प्रादेशिक भाषा/बोली में ही प्रसारित किए जाते हैं ।

(ख) चीनी प्रचार का खंडन करने के लिए विदेशों के लिए सेवाओं के अन्तर्गत प्रतिदिन दो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इन में एक 15 मिनट की दैनिक समाचार समीक्षा है और दूसरा सम्पादकीय राय का सारांश। नेफा और सीमावर्त्ती क्षेत्रों में चीनी प्रचार का खंडन समाचार बुलेटिनों और समाचार समीक्षाओं के माध्यम से किया जाता हैं। चीनी प्रचार के खोखेलपन का पर्दाफ़ाश करने के लिए कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने दिया जाता ।

विदेशों में भारतीय दूतावास

*278. **श्री जि० ब० सिंह :** **श्री श्रीधरण :**
श्री एस० एम० जोशी : **श्री कामेश्वर सिंह :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूतावासों पर होने वाले व्यय का अध्ययन करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी विदेशों में गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रतिवेदन को प्रकाशित करने का है ; और

(घ) सरकार द्वारा उस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में रज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत):

(क) विदेश और वित्त मंत्रालयों में से एक-एक सह सचिव के विदेश सेवा निरीक्षक दल ने 1966-67 में कुछ भारतीय मिशनों का निरीक्षण किया।

(ख) से (घ) सरकार दल की रिपोर्टों पर विचार कर रही है और आवश्यक कार्रवाई की जायगी । सदन इस बात की सराहना करेगा कि इस तरह की आंतरिक रिपोर्टों को प्रकाशित करना न तो संभव है और न ही उसका व्यवहार है ।

जम्मू तथा श्री नगर के लिए बड़े शक्तिशाली ट्रांसमिटर

*279. **श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू तथा श्री नगर में स्थित दो प्रसारण केन्द्र अपने प्रसारणों द्वारा दूरस्थ

क्षेत्रों में समाचार सुनाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं और क्या वर्तमान व्यवस्था सीमा क्षेत्रो में हमारे दो शत्रुओं के गलत प्रचार का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इन्हें पर्याप्त शक्तिशाली बनाने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) श्री नगर का शार्ट वेव ट्रांसमिटर सारे राज्य के लिये सेवा प्रदान करने में समर्थ है। श्रीनगर के मीडिमय वेव ट्रांसमिटर से काश्मीर घाटी में कार्यक्रम सुने जाते हैं और रात्रि के समय सीमावर्त्ती क्षेत्रों सहित काश्मीर के अधिकांश क्षेत्र में भी कार्यक्रम सुने जा सकते है। उच्च पर्वतीय भूखंड होने के कारण इसके कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां सन्तोषजनक रूप से कार्यक्रम न सुनाई देते हों। जम्मू के वर्तमान ट्रासंमिटर की शक्ति अपर्याप्त है और वहां पर उच्च शक्ति वाला एक ट्रांसमिटर लगाने के लिये कार्रवाई की जा रही है जो सारे राज्य की सेवा में सुधार करने के साथ साथ, इस प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए भी कार्य-क्रम देगा।

भारतीय सीमा पर पाक सेना का जमाव

*280. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार सीमा क्षेत्र के नागरिको को बड़े पैमाने पर शस्त्र बांट रही है ; और उन्हें छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दे रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान सरकार ने जम्मू और काश्मीर सीमा के द्वारा छिपे तौर से बहुत बड़ी संख्या में जवान तथा शिक्षित लड़कियों को भारत में जासूसी करने के लिए भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति का मुकाबला करने के बिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री(श्री स्वर्ण सिंह): (क) सरकार को इस बात का ज्ञान है कि पाकिस्तान ने कुछ सीमावर्ती ग्रामो को हथियार जारी किए हैं।

(ख) कुछ पाकिस्तानी गुप्तचर पाकिस्तान को सूचना देने के लिए जम्मू तथा काश्मीर में काम करने का प्रयास करते हैं, परन्तु उल्लिखित प्रकार की कोई घटना सामने नहीं आई हैं।

(ग) अपनी सुरज्ञा को प्रभावित करने वाली सीमा के उस पार की सभी क्रियाओं का सावधानी से वाच किया जाता है, और अपनी ओर उचित उपाए किए जाते हैं।

भारत के अफ्रीकी देशों के साथ सम्बन्ध

*241. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में अफ्रीकी देशों के साथ भारत के सम्बन्ध खराब हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनके साथ सम्बन्ध सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं । इसके विपरीत अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंध मित्रतापूर्ण है और राजनयिक तथा तकनीकी दोनों दृष्टियों से पहले से बेहतर हुए हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अफ्रीकी देशों के साथ संबंध बेहतर और निकटतर करने के लिए भारत सरकार ने रिहायशी राजनयिक मिशनों की संख्या बढ़ा दी है और किसी एक देश में स्थित अपने राजनयिक प्रतिनिधि को दूसरे देश में भी प्रत्यायित करके राजनयिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया हैं । भारत में अफ्रीकी उपस्थिति की दृष्टि से दिल्ली-स्थित अफ्रीकी राजनयिक प्रतिनिधित्व हाल ही में कांगो लोक गणराज्य के एक राजदूतावास की स्थापना से और सुदृढ़ हुआ है । ऐसे संकेत मिले हैं कि कीनिया भी जल्दी ही ऐसा करने जा रहा है ।

भारत सरकार ने इन देशों के साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग की एक योजना भी शुरू की है और व्यापार को सभी दिशाओं में बढ़ने की ज़बर्दस्त कोशिश की गई है । हमने इन देशों के विद्यार्थियों और प्रशिक्षार्थियों को भारत में शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करने की ओर भी बहुत ध्यान दिया है ।

Hindus in Pakistan

282. **Shri Hukam Chand Kachwai: Shri Hem Barua:**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Hindus in Pakistan at the time of partition and their number at present;

(b) whether Government have inquired into the causes of decline in the number of Hindus in Pakistan;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the action taken against the ill-treatment being meted out to the minorities in East Pakistan?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B.R. Bhagat):

(a) There were 18.4 million Hindus in Pakistan at the the time of Partition. According to the 1961 Census of Pakistan, there were 10 million Hindus in that country. Exact number of the Hindus living there at present is not known.

(b) Yes, sir.

(c) The main cause of the decline in the number of Hindus in Pakistan has been their migration to India in large numbers, due to the existence of number of difficulties and disabilities.

(d) The Government have repeatedly reminded the Government of Pakistan of their obligation towards their minorities under the Nehru—Liaquat Pact of 1950.

नागाओं के साथ युद्ध-विराम समझौते के सम्बन्ध में पुनर्विचार

*283. **श्री मधु लिमये** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागाओं के साथ युद्ध-विराम समझौते की अवधि तथा उसके क्षेत्र के बारे में पुनर्विचार किया गया है :

(ख) इस पुनरीक्षण का आधार क्या है;

(ग) क्या नागाओं की विद्रोहात्मक गतिविधियों तथा हिंसा के कृत्यों का इस पुनरीक्षण से कोई सम्बन्ध है ; और

(घ) क्या बातचीत टूट जाने/निलम्बित हो जाने का युद्ध-विराम की अवधि तथा क्षेत्रीय विस्तार पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) लड़ाई बंद रखने से संबद्ध समझौते की अवधि तीन महीने के लिए और बढ़ाकर 31 जनवरी 1968 कर दी गई है । इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) सरकार ने अपनी इस ज्ञात नीति के अनुसार ही इस की अवधि बढ़ाई है कि नागालैंड के अधिकांश लोगों की इच्छा के अनुरूप सरकार उस समझौते की अवधि बढ़ाने के लिए तब तक तैयार रहेगी जब तक कि दूसरा पक्ष यानी छिपे नागा इसकी व्यवस्थाओं को मानते हैं । इस समझौते की अवधि बढ़ाते समय कानून और व्यवस्था की कुल स्थिति पर संवैधानिक रूप से निर्वाचित सरकार के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों की व्यक्त इच्छाओं पर ध्यान रखा जाता है ।

(घ) जी नहीं ।

वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का कार्य

*284. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण वियतनाम में सैनिक संघर्ष तेज होने और उत्तरी वियतनाम में अमरीका के हवाई हमलों में वृद्धि होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के कार्य संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(ख) क्या वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण आयोग की कठिनाइयां बढ़ गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो आयोग का काम सुचारु ढंग से चले, इस उद्देश्य के लिये आयोग के अन्य सदस्यों की सलाह से भारत क्या कार्यवाही कर रहा है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) और (ख) जी हां ।

(ग) इन कठिनाइयों के बावजूद कमीशन वर्तमान दशाओं में अपना कार्य करने की यथासंभव पूरी कोशिश कर रहा है । कमीशन के कार्य से संबंद्ध जो समस्याएं समय समय पर खड़ी होती हैं उन पर कमीशन विचार करता है और समुचित कार्रवाई करता है । वह सह अध्यक्ष के पास आवश्यक सिफारिशें भी भेजता है । कमीशन के कार्य से संबद्ध सामान्य स्थिति पर सरकार अन्य संबद्ध सरकारों के पास सलाह-मशविरा करके बराबर विचार करती रहती है ।

काश्मीर के मामले में पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन

*285. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अंकारा में पाकिस्तान तथा तुर्की के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति की ओर दिलाया गया है, जिसमें तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष ने साइप्रेस पर तुर्की के दावे के लिये पाकिस्तान द्वारा समर्थन किये जाने के बदले में काश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान का समर्थन करने का बचन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत):

(क) संभवतः माननीय सदस्य उस सम्मिलित विज्ञप्ति का हवाला दे रहे हैं जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति की तुर्की यात्रा की समाप्ति पर 31 अक्तूबर 1967 को जारी की गई थी। इस विज्ञप्ति में तुर्की और पाकिस्तान इस पर सहमत हुए कि जम्मू तथा काश्मीर के प्रश्न का समाधान आत्म-निर्णय और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार किया जाना चाहिए । उसी विज्ञप्ति में, दोनों पक्ष इस पर भी सहमत हुए कि साइप्रेस का समाधान खोजते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि उस द्वीप में दो पृथक-पृथक राष्ट्रीय समुदाय रहते हैं और इसका भी कि उनके न्यायोचित अधिकारों और हितों की रक्षा की जाए। विज्ञप्ति में यह नहीं कहा गया कि तुर्की ने काश्मीर पर पाकिस्तान के विचार का जो समर्थन किया है, वह पाकिस्तान द्वारा साइप्रेस पर तुर्की के विचार का समर्थन करने के बदले में है।

(ख) भारत और तुर्की के बीच वर्तमान मैत्रीपूर्ण संबंधों के बावजूद तुर्की की सरकार ने काश्मीर के विषय पर पाकिस्तान के प्रति पक्षपातपूर्ण रुख अपनाया जिससे हमें निराशा हुई है।

भारत सरकार के इस निश्चय को कई बार बताया जा चुका है कि जम्मू तथा काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और यह तुर्की की सरकार को अच्छी तरह मालूम है। तुर्की सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये के बारे में भी उन्हें समय-समय पर बताया जा चुका है ।

वार्षिक योजना

*286. **डा० रानेन सेन :** **श्रीमती सुशीला रोहतगी :**
श्री रमानी : **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्री प० गोपालन : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री भगवान दास : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968–69 की वार्षिक योजना के लिये अस्थायी लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फिल्मी गीत और नाटक का विकास

*287. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्मी गीत और नाटक के विकास के लिये 3 करोड़ रुपये की एक परियोजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क) और (ख) फिल्म गीत और नाटक के विकास के लिए 'तीन करोड़ रुपए' की ऐसी कोई प्रायोजना नहीं है, किन्तु इस मंत्रालय के फिल्म विभाग और गीत व नाटक विभाग ने चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए, योजना का अधिक प्रचार करने सम्बन्धी, क्रमशः 4.01 करोड़ रुपए और 31.48 लाख रुपए के कुछ प्रस्ताव तैयार किए है। परन्तु ये प्रस्ताव अभी तैयारी-अवस्था में हैं जिस पर अभी सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के परामर्श से उनकी विस्तार से जांच पड़ताल कर, विचार किया जाना है ।

हैलिकाप्टरों का डिजाइन बनाने के लिये ठेका

*288. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिमालयन हैलीकाप्टर्स (प्राइवेट) लिमिटेड को जायरो विमान परियोजना के बारे में दिये गये ठेके में संतोषजनक प्रगति हो रही है ;

(ख) ठेके के अनुसार पहली मशीन कब प्राप्त होने की संभावना है ; और

(ग) क्या विशेषज्ञ समिति तथा कर्णधार समिति ने भारतीय वायुसेना के पास उपलब्ध अन्य किस्म के हैलीकाप्टरों के स्थान पर इस विमान को अधिमान देने की सिफारिश की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) गाईरोप्लेन के परीक्षण संस्करण का निर्माण शुरू कर पाने के लिए गाईरोप्लेन के अभिकल्पन और उसके पूरे स्केल पर प्रारूप के निर्माण के संबंध में काफी प्रगति हुई है ।

(ख) करारनामें में यह शर्त थी कि निरीक्षण और तकनीकी परीक्षणों के लिए पहला प्रारूप जून 1967 तक वितरित कर दिया जाए । उड़ान परीक्षणों के पश्चात् प्रारूप को आशा है, जुलाई 1968 तक पारित कर दिया जाएगा ।

(ग) विशेषज्ञों की समिति ने इस प्रकार की मशीन के गुण दोषों पर विचार किया था, और उसने सिफारिश की थी कि प्रायोजना को परीक्षण योजना के तौर पर स्वीकार कर लिया जाए। परीक्षण योजना के सफलतापूर्वक सम्पूर्ण हो जाने और एक प्रगति संस्करण के विकसित

हो जाने के पश्चात् ही वायु सेना को इस समय प्राप्त हैलिकाप्टरों के स्थान पर इन गाईरोप्लेन को लेने का प्रश्न उठेगा।

दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका

*289. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के न्यास राज्य क्षेत्र के भविष्य के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी निर्णयों की निरंतर उपेक्षा की है ; और

(ख) यदि हां, तो दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य संघ के निर्णयों को शीघ्र लागू करवाने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र महासभा के 27 अक्तूबर 1966 के प्रस्ताव संख्या 2145 (XXI) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र द्वारा दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के प्रशासन का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र महासभा के 22वें अधिवेशन की कार्य सूची पर है जो कि आजकल चल रहा है। भारत की नीति अफ्रीका और एशिया के प्रगतिवादी देशों के साथ मिलकर ऐसे सभी उपायों का समर्थन करना है जिनका उद्देश्य दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पर से दक्षिण अफ्रीका का प्रादेश (Mandate) समाप्त करना और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस प्रदेश का प्रशासन अपने हाथ में लेना है।

चलचित्र प्रभाग (फिल्म डिवीजन) के बारे में चन्दा समिति का प्रतिवेदन

*290. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चलचित्र प्रभाग (फिल्म डिवीजन) के कार्य संचालन के बारे में चन्दा समिति की सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके बारे में क्या निर्णय किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारणमंत्री (श्री के० के० शाह):

(क) और (ख) वृत्त-चित्रों और समाचार-चित्रों की रिपोर्ट में 101 सिफारिशों में से 79 पर निर्णय को अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है। वर्तमान अधिवेशन में सभापटल पर एक विवरण रखने का प्रस्ताव है जिसमें अब तक लिये गये निर्णयों का ब्यौरा होगा।

छिपे हुए नागाओं की सरकार को चीन द्वारा मान्यता

291. **श्री यशपाल सिंह** ;
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री राम अवतार शर्मा :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री बलराज मधोक ;
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चीन छिपे हुए नागाओं की सरकार को कुछ शर्तों पर मान्यता देने का विचार कर रहा है ;

(ख) क्या उन्हें छिपे हुए नागाओं का कोई पत्र मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) फिजो-समर्थक छिपे स्रोतों से आई इन अखबारी खबरों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि चीन लोक गणराज्य की सरकार नागालैंड के विद्रोही दल को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सरकार कृत संकल्प है कि वह नागालैंड में, जो कि भारत संघ का एक अभिन्न अंग है, विदेशी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दे सकती ।

चीन का परमाणु बमों का भण्डार

*292. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लन्दन की सामरिक अध्ययन सम्बन्धी संस्था के बारे में, जिसने चीन को 200 किलो टन क्षमता के 30 परमाणु बमों का भंडार रखने का श्रय दिया है, 15 सितम्बर, 1967 के हिन्दुस्तान टाइम्स के छपे समाचार को देखा है;

(ख) क्या सरकार ने परमाणु क्षेत्र में चीन की शक्ति का स्वयं भी कोई अनुमान लगाया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) ऐसा विश्वास किया जाता है कि चीन प्रतिवर्ष 40 न्यूक्लीयर बम तैयार कर सकता है, और आशा की जा सकती है कि अब तक उसने 20 किलो टन क्षमता के 100 बम इकट्ठे कर लिए हैं ।

तिब्बत-सिक्किम सीमा पर मुठभेड़

*293. **श्री रा० बरुआ :** **श्री ना० स्वा० शर्मा :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत सितम्बर और अक्तूबर में चीन तथा भारत की सेनाओं के बीच तिब्बत-सिक्किम सीमा पर हुई मुठभेड़ों में कितने सैनिक स्थायी रूप से अपंगु हो गये ; और

(ख) मारे गये सैनिकों के परिवारों तथा अपंगु हुए सैनिकों को दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जख्मी हुए कर्मचारियों में से कोई भी सर्विस के लिए अभी तक अयोग्य नहीं हुआ है ।

(ख) झड़पों के परिमाणस्वरूप जो कर्मचारी मारे गए या अशक्त हुए हैं उनके परिवारों को मिलने वाली पेन्शन सम्बन्धी लाभ की निर्दिष्ट करता हुआ एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1745/67]

अतिस्वन विमानों को रोकने वाले विमान

*294. **श्री अदिचन :** **श्री स० मो० बनर्जी**
श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री ओंकार लाल बेरवा**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमटेड ने भारतीय वायुसेना के लिये अतिस्वन विमानों को रोकने वाले विमान बनाने के हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) अतिस्वन विमानों को रोकने वाले प्रथम विमान के कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) (क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० ने भारतीय वायु सेना की भावी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए एक अतिस्वन विमान के एक नए संस्करण के लिए अभिकल्पन अध्ययन शुरू कर दिए हैं ।

(ख) और (ग) यह अभिकल्पन अध्ययन अभी आरंभिक प्रावस्था में हैं ।

आकाशवाणी का पुनर्गठन

*296. **श्री स० मो० बनर्जी**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी का पुनर्गठन करने के प्रश्न की जाँच करने के लिए एक विभागीय समिति का गठन किया गया है;

(ख) क्या इस प्रस्तावित पुनर्गठन के परिणामस्वरूप 100-150 से अधिक स्टाफ आर्टिस्टों की छटनी किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) आकाशवाणी में उन स्टाफ़ आर्टिस्टों की कुल संख्या कितनी है जिनका अब भी 5 वर्ष से कम अवधि का अनुबन्ध है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क) आकाशवाणी के स्टाफ़ सम्बन्धी ढांचे के पुनर्गठन और उसका सुव्यवस्था की जाँच करने के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया है ।

(ख) अध्ययन दल की रिपोर्ट मिलने से पहले यह जानना संभव नहीं है कि उसका इस

बारे में कोई सिफारिश होगी। परन्तु यदि ऐसी कोई सिफारिश हुई तो उम्मीद है कि अनुमानित फालतू कर्मचारी आकाशवाणी के हो रहे विस्तार के कारण आकाशवाणी में ही रख लिए जाएंगे।

(ग) 275, इसमें अधिकायु वाले और तदर्थ आधार पर नियुक्त हुए स्टाफ़ आर्टिस्ट भी शामिल हैं।

भारत द्वारा संयुक्त अरब गणराज्य के विमान चालकों को दिया गया प्रशिक्षण

*297. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि संयुक्त अरब गणराज्य की वायु सेना के विमान चालकों का इसरायल के विरुद्ध असफल रहने का कारण यह था कि उन्हें भारत द्वारा गलत प्रशिक्षण दिया गया था; और

(ख) अरब-इसरायल संघर्ष से पहले संयुक्त अरब गणराज्य के विमान चालकों को भारत द्वारा वास्तव में कितनी तथा किस प्रकार की प्रशिक्षण सुविधाएं दी गई थीं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जी नहीं। हालांकि पाकिस्तान के अखबारों ने इस तरह का जरूर झूठा प्रचार किया तो भी, संयुक्त अरब गणराज्य के अधिकारियों ने इससे इन्कार किया है।

(ख) भारत ने संयुक्त अरब गणराज्य के पायलटों को उड़ान और नौपरिवहन का प्रशिक्षण देने के लिए कुछ प्रशिक्षक भेजे हैं।

प्रतिरक्षा उत्पादन

*298. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा उत्पादन में देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ; और

(ख) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):

(क) और (ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1746/67]

छोटे समाचारपत्र

*299. **श्री रा० बरुआ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी से व्यापारिक प्रसारण चालू करने के फलस्वरूप छोटे समाचार-पत्रों के हितों की रक्षा करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

सरकार का यह सतत प्रयत्न रहेगा कि छोटे समाचार पत्रों के हितों को देखा जाए और

इनको हानि न पहुंचे। समाचार पत्रों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए, व्यापारिक प्रसारण सेवा के बारे में सरकार को सलाह देने के लिये गठित किये सलाहकार बोर्ड में इन्डियन एन्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर्ज सोसायटी के दो और इन्डियन लैंगवैजिज न्यूपेपर्ज एसोसियेशन का एक प्रतिनिधि शामिल किये गये हैं।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के विमानों का निर्यात

*300. **श्री इन्द्रजीत गुप्त:** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड को विमान-निर्यात करने के लिए विदेशों से कुछ क्रयादेश मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से क्रयादेश मिले हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):

(क) और (ख) जी नहीं : विमानों के निर्यात के लिये कोई आर्डर प्राप्त नहीं हुए हैं। विमानों/विमान इंजनों के संघटकों के निर्यात के लिए यू० के० से कुछ आर्डर प्राप्त हुए हैं।

विदेशों में बसे हुए भारतीय

1979. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय लोगों की संख्या कितनी है, जिन्होंने अपनी नागरिकता छोड़ दी है और उन देशों के नाम क्या हैं, जहां वे लोग 15 अगस्त, 1947 के बाद बसे हैं ;

(ख) इन प्रव्रजक भारतीयों में कितने व्यक्ति डाक्टर, वैज्ञानिक और अन्यथा विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्ति हैं और कितने लोग कारीगर और श्रमिक हैं;

(ग) उन देशों के नाम क्या होंगे, जो भारतीय डाक्टरों, वैज्ञानिकों और विशिष्ट ज्ञान वाले व्यवसायियों को प्रव्रजन के लिये निमंत्रण और प्रोत्साहन देते हैं;

(घ) क्या उन प्रजव्रकों को भारत से अपनी समस्त सम्पत्ति ले जाने की अनुमति दी जाती है ;

(ङ) यदि नहीं, तो उन्हें किस अनुपात में और किस प्रकार से अपनी सम्पत्ति ले जाने की अनुमति दी जाती है; और

(च) विदेशों को भारतीय डाक्टरों, वैज्ञानिकों और विशिष्ट ज्ञान वाले अन्य व्यावसायियों के प्रव्रजन को रोकने या निरुत्साहित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) लगभग 88,861 ब्रिटेन, नोरवे, जर्मनी, मलेसिया, हांगकांग, बैहरिन, नेपाल, कनाडा, साऊदी अरब, न्युजीलैंड, कम्बोडिया, अमरीका, ईरान, श्रीलंका, डैनमार्क, सिंगापुर, तानजानिया, स्वीडन, मयूरिसस, इथोपिया, मैक्सिको, अफगानिस्तान, पनामा, गुयाना, फीजी, जोरडान, और जापान। चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के बाद बड़ी मात्रा में प्रव्रजन हुआ है, इसलिये इन आंकड़ों में पाकिस्तान को गये व्यक्तियों की संख्या शामिल नहीं है।

(ख) लगभग 600 डाक्टर और इतने ही अन्य व्यवसायों के व्यक्ति भारतीय प्रव्रजक अधिकतर व्यापारी तथा कारीगर हैं। 15 अगस्त, 1947 के बाद 18,919 कारीगरों और 4,36,613 श्रमिकों को अन्य देशों में जाने की अनुमति दी गई है। ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि इनमें से कितने कारीगरों तथा श्रमिकों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है।

(ग) ऐसा कोई देश नहीं है जो भारतीय डाक्टरों के प्रव्रजन को आमंत्रित तथा प्रोत्साहित करता है। फिर भी कनाडा को जाने वाले भारतीय प्रव्रजकों का कोटा 300 प्रतिवर्ष है और इस में से 50 प्रतिशत कोटा उन व्यक्तियों के रिशतेदारों के लिये आरक्षित है जो भारतीय मूलक व्यक्ति कनाडा के नागरिक हैं, चाहे ऐसे व्यक्ति की शिक्षा अथवा दक्षता कुछ भी हो। अमरीका के लिये भारतीयों का कोटा 100 प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। जिसमें 50 प्रतिशत स्थान व्यवसायियों, तथा वहां के स्थायी निवासियों के माता पिताओं के लिये 30 प्रतिशत, और बच्चों तथा पति।पतनियों के लिये 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। 3.10.1965 को पारित किये गये अधिनियम के अनुसार अमरीका की वर्तमान कोटा पद्धति वर्ष 1968 में समाप्त हो जायेगी तथा नये कानून के अनुसार अमरीका में प्रतिवर्ष 1,70,000 प्रव्रजकों (जिसमें पश्चिमी गोलार्ध के व्यक्ति भी शामिल हैं) को आने की अनुमति दी जायेगी। प्रव्रजकों के लिये प्रत्येक देश को निर्धारित की गई वरिष्ठताओं के आधार पर प्रतियोगिता करनी होगी, परन्तु किसी एक देश से 20,000 से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश की आज्ञा नहीं दी जायेगी। प्रव्रजक वरिष्ठतायें इस प्रकार हैं :—

(एक) पुत्र तथा पुत्रियाँ	कोटे के 20 प्रतिशत।
(दो) स्थायी निवासियों के बच्चे तथा पति पतनियाँ	कोटे के 20 प्रतिशत।
(तीन) व्यवसायी	कोटे के 10 प्रतिशत।
(चार) विवाहित पुत्र तथा पुत्रियाँ	कोटे के 10 प्रतिशत।
(पांच) भाई तथा बहिनें	कोटे के 24 प्रतिशत।
(छः) दक्ष तथा अदक्ष श्रमिक	कोटे के 10 प्रतिशत।
(सात) शरणार्थी	कोटे के 6 प्रतिशत।

(घ) और (ङ) वर्तमान नीति के अनुसार भारतीय प्रव्रजकों को अपनी आस्तियाँ भारत से बाहर ले जाने की सुविधा नहीं दी जाती तथापि विशेष मामलों में जब कि आव्रजक देश इस शर्त पर प्रव्रजन की अनुमति देता है कि प्रव्रजक अपने साथ कुछ न्यूनतम धन लायें तों उन्हें इतनी विदेशी मुद्रा ले जाने की अनुमति दी जाती है जितनी की आव्रजक देश ने मांग की है तथा उस देश से यह करार करा लिया जाता है कि वह मुद्रा एक वर्ष की अवधि के अन्दर भारत वापस भेज दी जायेगी।

आंग्ल-भारतीयों तथा यहूदियों को (केवल इजराइल जाते समय) प्रति परिवार अधिक से अधिक 50,000 रुपये की सम्पत्ति भारत से बाहर ले जाने की अनुमति दी जाती है। उनकी

शेष भारतीय आस्तियां एक प्राधिकृत व्यापारी के साथ निरुद्ध लेखे में रख दी जाती हैं। निरुद्ध लेखे से होने वाली आय में से अधिक से अधिक 20,000 प्रतिवर्ष भेजे जा सकते हैं तथा आयकी शेष राशि को निरुद्ध लेखे में जोड़ दिया जाता है। विदेशों में पैदा हुई ऐसी स्त्रियों के बारे में जिन्होंने भारतीय राष्ट्रकों से विवाह किया है, और जो अपने जन्म के देश को वापस जाना चाहती हैं, उनके पतियों की मृत्यु के बाद 75,000 रुपये तक की राशि अपने जन्म के देश को ले जाने की अनुमति दी जाती है। शेष आस्तियों की आय भारत में निरुद्ध खाते में रख ली जाती है और 20,000 प्रतिवर्ष तक भेजने की अनुमति दी जाती है। यदि किसी वर्ष आय 12,000 से कम होती है, तो उस कमी को आस्तियों के धन से पूरा करके भेजा जा सकता है। यह सुविधा तब तक ही दी जाती है जब तक उनका कोई आय का साधन नहीं होता अथवा वे पुनः विवाहनहीं करती।

(च) सरकार की नीति योग्य व्यक्तियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा ऐसी विशेष शिक्षा प्राप्त करने जिसकी व्यवस्था भारत में नहीं है, के लिये विदेशों में जाने से रोकने अथवा निरुत्साहित करने की नहीं है। साथ-साथ सरकार यह भी नहीं चाहती कि हमारे ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति विदेशों में चले जायें, जिनकी हमारे देश को आवश्यकता है। भारत सरकार समय-समय पर ऐसे विभिन्न उपाय करती रही है, जिससे विदेशों में गये हुए हमारे वैज्ञानिक तथा डाक्टर वापस आ जायें जैसे डाक्टरों सहित वैज्ञानिकों का पूल बनाया गया है, राष्ट्रीय रजिस्टर में दर्ज किये गये सब डाक्टरों का विवरण समय-समय पर सब मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि को भेजी जाती हैं, संघ लोक सेवा आयोग तथा अन्य भर्ती अभिकरणों द्वारा उन डाक्टरों को जिनका उन्हें विवरण भेजा गया है, सब ज्ञापित पदों के लिये व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थी उमीदवार समझा जाता है, पूल में नियुक्त व्यक्तियों को अनुसंधान संस्थाओं, विश्वविद्यालयों आदि में भेजा जाता है।

चौथी योजना के लिये गुजरात के लिये धनराशि का नियतन

1980. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में गुजरात को उक्त योजना के अन्तर्गत इस योजना की कार्यान्विति के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ख) उक्त अवधि में इस धनराशि में से गुजरात को वस्तुतः कितनी धनराशि दी गई ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

(क) 21.7 करोड़ रुपये।

(ख) इस राशि में से अब तक राज्य सरकार को जो राशि दी जा सकती है, वह 19.28 करोड़ रुपये है।

भारत के लिये फ्रांसीसी प्रणाली की आयोजना

1981. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारी आयोजना प्रणाली "अनिवार्य" आयोजना अथवा आदे-

नुसार आयोजना मानी जाती है, जो फ्रांसीसी प्रणाली की आयोजना से भिन्न है जिसे "सांकेतिक" आयोजना अथवा "प्रेरणा द्वारा" अथवा "पथ प्रदर्शन द्वारा" आयोजना कहा जाता है; और

(ख) क्या इन दोनों प्रणालियों के गुण-दोष का अध्ययन किया गया है और भारतीय आयोजना के दोषों को इसके स्थान पर आयोजना की फ्रांसीसी प्रणाली लागू करके कहाँ तक दूर किया जा सकता हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

(क) भारतीय आयोजना प्रणाली को "अनिवार्य" आयोजना की संज्ञा देना ठीक नहीं है।

(ख) चुँकि दोनों देशों की परिस्थितियाँ तथा योजना की आवश्यकतायें मूलतः भिन्न हैं इसलिये हमारी योजना का उद्देश्य हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

उप-प्रधान मंत्री द्वारा अपनी विदेश यात्रा के बारे में रिपोर्ट

1982. **श्री मधु लिमये :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उप प्रधान मंत्री ने ससद के बजट सत्र तथा शीतकालीन सत्र की मध्यावधि में अपनी विदेश यात्रा के आर्थिक तथा वित्तीय परिणामों से भिन्न राजनैतिक पहलुओं के बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है, और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

(क) और (ख) उपप्रधान मंत्री ने गत सत्र से अब तक की अपनी विदेश यात्राओं के दौरान राजनैनिक, आर्थिक तथा अन्य सम्बन्द्ध मामलों पर हुई अपनी बातचीत से मुझे अवगत कराया है। सभा यह बात से सहमत होगी कि विदेशी मित्र सरकारों के नेताओं के साथ हुई गोपनीय वार्ता को इस सभा में बताने की न तो प्रथा ही है और नहीं यह वांछनीय है।

तिब्बती शरणार्थी

1983. **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 3,000 तिब्बती शरणार्थी अगस्त, 1967 में मेना और नीती दर्रे से होकर चमोली जिले में आये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्हें बसाया गया है और यदि हाँ, तो कहाँ ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

निदेशक सिद्धान्तों की क्रियान्विति

1984. **श्री क० लक्कप्पा :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की दृष्टि से राज्यों को संविधान में निर्धारित "निदेशक सिद्धातों" को लागू करने की हिदायत करने का केन्द्रीय सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) और (ख) संविधान के चतुर्थ भाग में दिये गये निदेशक सिद्धान्तों का उद्देश्य बहुत व्यापक है। सरकार की सब नीतियों का अन्तिम उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना होता है। निदेशक तत्वों में निहित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें आपस में विचार विमर्श करती रही हैं। निदेशक सिद्धान्तों से सम्बन्धित विषय पर जब भी आवश्यक हुआ है केन्द्रीय मंत्रालय ने भी राज्य सरकारों को लिखा है।

विज्ञान तथा टेक्नोलाजी के लिये अलग मंत्रालय अथवा एक अन्तर्मंत्रालय परिषद्

1985. **श्री भोगेन्द्र झा :** **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में हुए विज्ञान तथा टैक्नालाजी सम्बन्धी गोलमेज सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था कि राष्ट्रीय विज्ञान सम्बन्धी नीतियों को क्रियान्वित करने के विशेष प्रयोजन के लिये विज्ञान तथा टैक्नोलाजी का एक अलग मंत्रालय बनाया जायेगा फिर विकल्प के रूप में एक अन्तर्मंत्रालय परिषद् की स्थापना की जाये; और

(ख) यदि हाँ,तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) :

(क) और (ख) गोल मेज सम्मेलन में विस्तृत चर्चा के लिये जो तीन पैनल बनाये गये थे उन्होंने विज्ञान तथा टैक्नोलाजी के लिये एक अलग मंत्रालय बनाये जाने के विकल्प के रूप में एक अन्तर्मंत्रालय परिषद् स्थापित करने का सुझाव दिया था। गोल मेज ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की थी परन्तु सरकार सुझाये गये कई विचारों पर विचार कर रही है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी कई अध्ययन दल स्थापित किये हैं जिनमें से कुछ का सम्बन्ध विज्ञान के संगठन से है। सरकार इन निकायों की सिफारिशों पर विचार करेगी।

भारत को हलीकापटर विमान बेचने के सम्बन्ध में रूस की पेशकश

1986. **श्री मोलहू प्रसाद :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस ने भारत को वही हेलीकाप्टर विमान बेचने की पेशकश की थी, जो उसने पाकिस्तान को बेचे थे; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने ये हेलीकाप्टर विमान किन कारणों से नहीं खरीदे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) और (ख) प्रश्न प्रत्यक्षतः एम० आई० 6 हैलीकापटरों के बारे में है इस प्रकार

के हेलीकापटरों की हमें भी पेशकश की गई थी परन्तु देखभाल के पश्चात् ऐसा पता लगा कि यह विमान हमारी आवश्यकताओं के लिये उपयुक्त नहीं हैं और इसलिये इन को खरीदने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

PAKHTOONISTAN

1987. **Shri Ram Avatar Sharma:**
Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Raghuvir Singh Shastri:
Shri D.C. Sharma:
Shri Shiv Kumar Shastri:
Shri Shiv Charan Lal
Shri Ramji Ram:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether any message has been received from Khan Abdul Chafar Khan for extending cooperation in the Pakhtoonistan movement; and

(b) if so, the reation of Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

फिजी

1988. **श्री म० ला० सोंधी :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन की सरकार फिजी में विभिन्न समुदायों के बीच और विशेषकर भारतीयों तथा फिजी निवासियों के बीच मतभेद बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है;

(ख) क्या ब्रिटेन के इस प्रयास के प्रभावों को समाप्त करने के लिये कोई शिष्ट मंडल वहाँ भेजने का सरकार का विचार है; और

(ग) क्या सरकार ने ब्रिटेन की सरकार से कोई औपचारिक प्रार्थना की है कि वे कोई ऐसा प्रचार न करें, जिससे वहां पर रहने वाले भारतीयों के जीवन के लिये कठिनाइयां पैदा हो सकती हों ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) दुर्भाग्य से ब्रिटिश सरकार ने फिजी में कुछ ऐसे उपाय बरते जा प्रदेश में सांप्रदायिक मेलजोल और राष्ट्रीय एकता के अनुकूल नहीं हैं।

(ख) अभी नहीं।

(ग) औपचारिक रूप से ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की गई। संयुक्त राष्ट्र और अन्य जगहों में भारत ने अपनी सामान्य नीति के अनुसार, फिजी को औपनिवेशिक शासन से आजादी दिलाने के व्यापक हित का समर्थन किया है। भारत को आशा है कि विभिन्न मूल के फिजी वासी मेलजोल की स्थिति में जल्दी ही स्वाधीनता प्राप्त कर लेंगे।

CONSTRUCTION OF BORDER ROADS IN ASSAM

1989. **Shri O.P. Tyagi** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the work of construction of vital roads on the Assam borders has been entrusted to the State P.W.D. resulting in slow progress and slackness in the construction of roads;

(b) if so, the reason therefor; and

(c) whether Government propose to entrust the work of construction of these roads to the Defence Department?

The Minister Of Defence (Shri Swaran Singh):

(a) and (b) The immediate programme of the Border Roads Development Board includes the construction/improvement of certain roads in Assam. After due consideration of the various factors including capacity of the State P.W.D., the construction of certain roads has been entrusted to the Assam P.W.D. The progress of the works entrusted has been according to schedule.

(c) It is not proposed to change the agency for construction from the Assam P.W.D. to the Director General Boarder Roads.

जम्मू-श्रीनगर राजपथ

1990. **श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और श्रीनगर के बीच की सड़क को राजपथ घोषित किये जाने के पश्चात से लेकर अब तक इसकी मरम्मत और इसके विकास पर कुल कितना धन व्यय किया गया है; और

(ख) इस राजपथ पर अब तक किस प्रकार के सुधार कार्य किये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह):

राष्ट्रीय राजपथ एकक के जम्मू-श्रीनगर भाग को बोर्ड के कार्यक्रम में सम्मिलित किये जाने के बाद से 1961-62 से 1967-68 (अगस्त,1967 तक) सीमा सड़क संगठन द्वारा पूंजीगत कार्य और मरम्मत पर क्रमशः 941·73 और 229·06 लाख रुपये व्यय किये गये हैं । बोर्ड के कार्यक्रम में शामिल किये जाने से पूर्व सड़क के इस भाग पर किये व्यय के आँकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) यातायात के बिना रोक टोक चलने के लिये सड़क में सुधार किया जा रहा है तथा इसको चौड़ा किया जा रहा है । कई स्थानों पर सड़क को मजबूत करने तथा संरक्षात्मक सड़कें बनाने का कार्य भी किया जा रहा है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ में राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

1991. **श्री म० ला० सोंधी** :

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियों में काम करने के लिये विभिन्न राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारियों को चुना गया है;

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक कार्यालय में इस समय कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं तथा प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति की शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या कुछ कर्मचारियों को एक से अधिक बार संयुक्त राष्ट्र संघ में सेवा करने के लिये भेजा गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) वांछित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

आकाशवाणी में संविदा श्रम पद्धति

1992. **श्री मधु लिमये** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि आकाशवाणी में संविदा श्रम पद्धति प्रचलित है ;

(ख) क्या आकाशवाणी के आर्टिस्टों/उनके गिल्ड ने इस पद्धति का विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) जी, नहीं । आकाशवाणी में कोई संविदा श्रम पद्धति नहीं है । वहां कर्मचारियों की एक श्रेणी है जो 'स्टाफ आर्टिस्टों' के नाम से जानी जाती है । यह आर्टिस्ट प्रायः एक बार पांच वर्ष के ठेके, जिसको फिर से दुहराया जा सकता है, पर रखे जाते है । इसके स्थान पर अब उन्हें 55 वर्ष की आयु तक के नियुक्ति पत्र दिये जाते हैं जिन्हें आकाशवाणी महानिदेशक बढ़ा कर 58 वर्ष की आयु तक कर सकता है और विशेष मामलों में 60 वर्ष की आयु तक ।

(ख) आकाश वाणी के आर्टिस्टों की संस्था समय-समय पर यह मांग करती रही है कि स्टाफ आर्टिस्टों को स्थायी सरकारी कर्मचारी बना दिया जाए।

(ग) सरकार ने इस प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर विचार करने और यह निश्चय करने के लिये कि ऐसा करना कहां तक सम्भव हो सकेगा,एक समिति नियुक्त की है ।

केरल में भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड का कारखाना

1993. **श्री जनार्दनन** :

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या केरल में भारत इलेक्ट्रोनिक्स का एक कारखाना स्थापित करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे स्थापित करने के स्थान के बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) निर्माण कार्य के कब आरम्भ होने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) से (ग) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा प्रतिरक्षा की इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये लगाये जाने वाले प्रस्तावित कारखानों का उल्लेख किया गया है । इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है कि कारखाने को कहां लगाया जायेगा। नये कारखाने का आयोजन अभी आरम्भ हुआ है। अतः निर्माण कार्य के कार्यक्रम तथा अन्य ब्यौरे को अन्तिमरूप देने में अभी कुछ समय लगेगा।

दक्षिण कोरिया का प्रतिनिधि मंडल

1994. **श्री मरंडी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण कोरिया सरकार के एक उच्च अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का उद्देश्य क्या था;

(ग) क्या प्रतिनिधि मंडल के साथ कोई करार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) जापान में कोरिया गणराज्य के राजदूत के नेतृत्व में कोरिया गणराज्य सरकार का 6 सदस्यों का एक सद्भावना और आर्थिक सहयोग मिशन भारत की यात्रा पर आया था और 23 से 27 अगस्त 1967 तक यहाँ ठहरा था।

(ख) इस प्रतिनिधि मंडल का इस यात्रा का घोषित उद्देश्य "दोनों देशों के बीच सदा से चले आ रहे सौहार्दपूर्ण और मित्रतापूर्ण संबंधों को और सुदृढ़ करना" था ।

(ग) यह विशुद्ध रूप से एक सद्भावना यात्रा थी और कोई करार करना इसका उद्देश्य नहीं था ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आकाशवाणी के पटना केन्द्र के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के काम के घंटे

1995. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सारे देश में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये एक दिन में आठ घण्टे की ड्यूटी निश्चित की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि निश्चित घण्टों से अधिक काम करने पर सरकारी कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो आकाशवाणी के पटना केन्द्र पर काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से उन्हें समयोपरि भत्ता दिये बिना लगातार 12 घण्टे काम क्यों लिया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) जी, नहीं । लंच के आध घंटे को मिलाकर सामान्य काम के घंटे साढे सात घंटे हैं । शिफ्ट ड्यूटी में काम करने वाले कर्मचारियों के रोजाना के काम के घंटों का फैसला स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है ।

(ख) जी, हां, केवल, कुछ श्रेणियों के लिये ।

(ग) चौकीदार शिफ्टों में काम करते हैं और एक दिन में 12 घंटे की ड्यूटी देते हैं । 12 घंटे से अधिक ड्यूटी देने पर उन्हें समयोपरि भत्ता दिया जाता है ।

LANGUAGE NEWSPAPERS

1996. **Shri R. S. Vidyarthi**: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of languages other than 15 languages of the country in which newspapers are published;

(b) whether some newspapers are published in foreign languages as well;

(c) if so, the number and particulars thereof; and

(d) the number of dailies and weeklies among them and the names of places, Statewise, from which they are brought out?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K.K.Shah) :

(a) Thirty (20 in Indian languages and 10 in foreign languages).

(b) and (c) Yes Sir. 29 newspapers are published in foreign languages particulars in respect of which are given in the statement laid on the table of the sabha **[Placed in library See No.LT—1747/67]**

(d) Three Dailies—two in Protuguese published from Goa and one in Chinese from Calcutta. Five Weeklies—two in Nepali (one from Delhi and the other from West Bengal), two in Portuguese from Goa and one in Tibetan from Calcutta.

अनुसंधान तथा विकास संगठन में वैज्ञानिक

1997. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसंधान तथा विकास संगठन में वैज्ञानिकों से लिपिकीय काम लिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे वैज्ञानिकों की संख्या क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) और (ख) अनुसंधान तथा विकास संगठन में वैज्ञानिकों को लिपिकीय कार्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा रहा है । फिर भी वैज्ञानिक विकास के क्षेत्र में उचित मोड़ देने तथा तकनीकी / वैज्ञानिक परियोजनाओं के सम्बन्ध में नीति निदेशों को क्रियान्वित करने के लिये विभिन्न संस्थापनों में तकनीकी प्रशासन संबंधी पत्रव्यवहार के लिये कुछ वैज्ञानिकों को रखा गया है ।

मध्य प्रदेश की चौथी पंचवर्षीय योजना

1999. **श्री मणीभाई ज० पटेल :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये अपनी योजनायें प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उन पर अनुमानतः कितनी धनराशि व्यय होगी; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जाने वाली योजनाओं के लिये धन जुटाने से सम्बन्धित प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी):

(क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) नवम्बर 1966 में हुई बातचीत में यह प्रस्ताव आये हैं :

	करोड़
कृषि कार्यक्रम (सामुदायिक विकास तथा सहकार सहित)	119.9
सिंचाई तथा विद्युत	164.0
उद्योग तथा खनन	20.9
परिवहन तथा संचार	36.0
सामाजिक सेवायें	110.1
विविध	7.1
कुल	458.0

(घ) चौथी योजना के लिये उपरोक्त 458 करोड़ की राशि इस प्रकार जुटायी जायेगी :

	करोड़
केन्द्रीय सहायता	288
राज्य साधन	170
कुल	458

1965 के भारत-पकिस्तान संघर्ष में वीरगति प्राप्त जवानों के परिवारों को सहायता

2000. **श्री अदिचन :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुये युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुये जवानों के परिवारों की सहायता करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) इस बारे में अब तक कितना धन खर्च किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1748/67]

(ख) इस बारे में कुल व्यय अनेक प्राधिकारियों से प्राप्त करना पड़ेगा और इसमें समय लगेगा । इस जानकारी को एकत्र करने में जितना समय लगेगा और प्रयत्न करना पड़ेगा वह प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

ADIVASIS IN ARMY

2001. **Shri Shashibhushan Bajpai:**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the steps proposed to be taken by Government in connection with recruitment of Adivasis in the Army;

(b) whether any separate regiment of Adivasis was raised at the time of First World War or thereafter;

(c) if so, whether there is such a regiment in a regular form even now; and

(d) if so, the total number of personnel therein?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh):

(a) Adivasis are eligible for recruitment into the Army in all arms and services. Their recruitment has so far been satisfactory. The Government have already taken the following steps to popularise their recruitment:—

(i) Recrulting staff regularly visits areas inhabited by Adivasis for pupose of enrolment.

(ii) Close liaison is maintainted with the ex-servicemen of these areas.

(iii) Wide publicity is carried out in these areas by the Recruiting staff with a view to popularise Army as a career among Adivasis.

(iv) Contacts with local civil authorities are maintained.

No further steps are, therefore, proposed to be taken in connection with their recruitment.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) Does not arise.

AID FOR DEVELOPMENT PROJECTS IN NEPAL

2002. **Shri Shashibhushan Bajpai:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6515 on the 24th July, 1967 and state:

(a) the number of other development projects undertaken by the Government of Nepal for which aid would be given by India during the current year; and

(b) the details thereof ?

The Prime Msnister, Ministr of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi)

(a) and (b) A major development project started during the current year under the Indo Nepal economic cooperation programme is for the setting up of a carrier trunk telephone line between Kathmandu and Raxaul, and a domestic telephone exchange at Birgang in Nepal, involving an estimated outlay of Rs.94.5 lakhs. India will also provide, at additional cost, training facilities to Nepalese personnel in the telecommunication field.

SAINIK SCHOOL, KUNJPURA (KARNAL)

2003. **Shri Ram Avtar Sharma:**

Will the Minister of **Defence** he pleased to state:

(a) whether it is a fact that the boarding arrangements for the students studying in the Sainik School Kunjpura (Karnal) are not satisfactory;

(b) whether it is also a fact that the students in the said school are not supplied milk and butter for months together;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the steps taken to check these shortcomings in future ?

The Minister Of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L.N. Mishra) :

(a) to (d) Boarding arrangements in the Sainik School, Kunjpura are satisfactory and milk and butter are provided to the students regularly except when, on odd days, due to shortage of production or procurement, tne National Dairy Research Institute, Karnal, which is responsible for the supplies; fails to meet the demand in full. On such occasions gram and beans preparations are substituted for milk.

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत द्वारा भाग लिया जाना

2004. **श्री राम चरण :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1966 में भारत सरकार ने 114 अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, समागमों तथा गोष्ठियों आदि में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में रुपयों में तथा विदेशी मुद्रा में अलग अलग और कुल कितना खर्च हुआ ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 1966 में भारत ने 114 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया और कुछ मामलों में हिस्सा लेने वाले गैर-सरकारी भारतीय संगठन थे ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व

2005. **श्री राम चरन :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इस समय कई अतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है;

(ख) यदि हां, तो इन अतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय प्रतिनिधियों में से कितने प्रतिनिधि अनुसूचित जातियों के लोग हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर प्रतिवर्ष औसतन कितना धन व्यय किया जाता है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

कांगड़ा के लिये रेडियो स्टेशन

2006. **श्री प्रेमचन्द्र वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सारी कांगड़ा घाटी में कोई रेडियो स्टेशन नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार धर्मशाला या घाटी के किसी अन्य महत्वपूर्ण नगर में एक प्रसारण केन्द्र खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां तो उक्त प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है और इस पर कब तक निर्णय हो जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) कांगड़ा घाटी की आवश्यकता जलन्धर के उच्च शक्ति वाले मीडियम वेव ट्रांसमिटर द्वारा पूरी हो रही है। जम्मू तथा शिमले के निकट दूसरे स्थान पर उच्च शक्ति वाले जिन ट्रांसमीटरों के लगने का प्रस्ताव है उनसे इस क्षेत्र में रात्रि के समय सन्तोषजनक सेवा दी जा सकेगी परन्तु इनकी मुख्य सेवा दिन के समय घाटी के हर हिस्से में पूरी तरह नहीं सुनी जा सकेगी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशों में बसे भारतीय परमाणु वैज्ञानिक

2007. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भारतीय परमाणु वैज्ञानिक विदेशों में बस गये हैं तथा वे किन किन देशों में बसे हैं; तथा

(ख) सरकार ने उनको भारत में वापिस बुलाने के लिये क्या क्या कदम उठाये हैं तथा उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) इस सम्बन्ध में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

(ख) विदेशों में बसे भारतीय वैज्ञानिकों को भारत में वापिस बुलाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उन्हें सुविधायें तथा नौकरी के अवसर देने के लिये अनेक कदम उठाये हैं । ऐसे वैज्ञानिकों, जिनकी सेवाओं का उपयोग भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के सम्बन्ध में किया जा सकता है, का पता लगाया जाता है तथा विदेशों में ही इनका इन्टरव्यू करने के लिये उनसे मिला जाता है ।

राष्ट्रीय छात्र सेना अधिकारी

2009. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** :

क्या **प्रतिरक्षा मत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की राष्ट्रीय छात्र सेना से अब तक कितने व्यक्ति जूनियर कमीशंड अफसर और सार्जेंट-मेजर इंस्ट्रक्टर नियुक्त किये गये हैं;

(ख) क्या अब उन्हें इन पदों से हटाया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) सार्जेंट मेजर इंस्ट्रक्टर्स–कोई नहीं । जूनियर कमीशंड अफसरों के बदले में अंडर आफिसर इंस्ट्रक्टर्स 8 ।

(ख) और (ग) उनको दिसम्बर, 1966 से पहिले हटाया गया था क्योंकि नियुक्तियां अस्थायी आधार पर की गई थीं और इनको उस समय हटा दिया गया जब नियमित सेना कर्मचारी उपलब्ध हो गये ।

Damage Caused to Indian Embassy in Peking

2010. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4411 on the 3rd July, 1967 and state:

(a) the action since taken for realising compensation from the Government of China for the damage caused to Indian Embassy at Peking; and

(b) the result thereof?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) The Embassy of India had obtained estimates about the damage caused to the Indian Embassy in Peking but before the Embassy could lodge a claim with the Chinese Government for compensation on this account, that Government in violation of the contractual obligations have unilaterally repudiated the lease governing the tenancy. Consequently, the Embassy of India has moved under protest to new premises. The question of seeking compensation for damage caused in the month of June has, now been linked with that of compensation for the loss of the premises itself. Settlement of these claims will inevitably take time.

"अल-बाथ-उल-इस्लामी" नामक अरबी मासिक पत्रिका

2011. **श्री शारदा नन्द :** **श्री श्रीचन्द गोयल :**

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ से अरबी में 'अल-बाथ-उल-इस्लामी' नामक एक मासिक पत्रिका प्रकाशित होती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस पत्रिका के एक से अधिक अंकों में कई ऐसी आपत्तिजनक सामग्री, जो अरब देशों में भारत की साख को दूषित करती है, प्रकाशित हुई है;

(ग) यदि हाँ, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस प्रकार के आपत्तिजनक प्रचार को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार-पत्र में कुछ ऐसी सामग्री प्रकाकित हुई जो भारत के अरब देशों के साथ सम्बन्ध के बारे में हानिकारक समझी गई।

(ग) समाचार पत्र को इस बारे में उचित सलाह दे दी गई।

(घ) निगरानी रखी जाती है और जहाँ आवश्यक हो; वहाँ उचित कार्यवाही की जाती है।

आणविक इंजीनियरों का प्रशिक्षण

2012. **श्री शारदा नन्द :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परमाणु बिजली घर बनाने तथा परमाणु ऊर्जा के अन्य शान्तिमय उपयोग करने की योजना को ध्यान में रखते हुये इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स के कुछ प्रमुख सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि भविष्य की अवश्यम्भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये भारतीय विश्वविद्यालयों में आणविक इंजीनियरों तथा तकनीशनों को प्रशिक्षण दिया जाये ;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) और (ख) भारतीय विद्यालयों में आणविक वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता के बारे में इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स तथा अन्य तकनीकी संस्थाओं द्वारा समय-समय पर दी गई सिफारिशों की तरफ सरकार ने ध्यान दिया है । परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिये इंजीनियरों को प्रतिक्षण देने के लिये परमाणु ऊर्जा विभाग विश्वविद्यलयों से निकट सम्पर्क रखता है ।

संयुक्त राज्य अमरीका से संचार उपकरण

2013. **श्री भोगेंद्र झा :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 5 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 284 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राडारों के साथ प्रयोग में लाने के लिये संचार उपकरणों की सप्लाई के बारे में संयुक्त राज्य अमरीका की पेशकश पर कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी हाँ । अमरीका की सरकार को एक औपचारिक प्रार्थना की गई है । विस्तृत पेशकश के बाद ही अन्तिम निर्णय किया जायेगा ।

प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये भूमि का अर्जन

2014. **श्री अब्दुल गनी दार :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों में देश में प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये कुल कितने एकड़ भूमि का अर्जन किया गया;

(ख) उक्त अवधि में प्रतिरक्ष प्रयोजनों के लिये कुल कितने एकड़ भूमि प्रयोग में लाई गई; और

(ग) शेष भूमि किन प्रयोजनों के लिये प्रयोग में लाई जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अफ्रीका की पुर्तगाली बस्तियों में राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन

2015. **डा० रानेन सेन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अफ्रीका की पुर्तगाली बस्तियों के राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन की सहायता करने के लिये भारत द्वारा क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): भारत सरकार ने अंगोला, मोजाम्बिक और गिनी में पुर्तगाली शासन बने रहने का हमेशा पुरजोर विरोध किया है और संयुक्त राष्ट्र में तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पुर्तगाली बस्तियों के वासियों का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र की उप निदेशवाद सम्बन्धी 24 देशों की विशेष समिति का भारत भी सदस्य है और इस समिति ने संसार को यह दिखाने में सराहनीय कार्य किया है कि पुर्तगाली उपनिदेशवादी संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मानवाधिकारों के विरुद्ध मोजाम्बिक अंगोला और गिनी के वासियों पर कितना जुल्म कर रहे हैं। इस समिति की कोशिशों से, जिसमें भारत ने महत्वपूर्ण कार्य किया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कई प्रस्ताव पास किये हैं जिनका उद्देश्य अफ्रीका में पुर्तगाली उपनिवेशों को आजाद कराना है।

इस समय अंगोला के 24 विद्यार्थी भारत में नर्सिंग का प्रशिक्षण ले रहे हैं। पुर्तगाली उपनिवेशों के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष भारत में उच्च अध्ययन के लिये कुछ छात्रवृत्तियों की पेशकश की जाती है तथा हमने इन उपनिवेशों के देशबहिष्कृत राष्ट्रवादियों को दवाइयां, फर्स्ट एड का सामान, सिलाई की मशीनें, किताबें आदि दी है। इसके अतिरिक्त हमने दारेस्सलाम स्थित मोजाम्बिक संस्था को एक अध्यापक की सेवायें भी प्रदान कर रखी है और संबद्ध आन्दोलन के लिये भविष्य में जब और जैसे हमसे इस प्रकार की सहायता मांगी जायगी हम उस पर पूरी सहानुभूति के साथ विचार करेंगे।

हथियार बनाने वाले कारखानों में कार्यभार में कमी

2016. **श्री स० मो० बनर्जी** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हथियार बनाने वाले कुछ कारखानों के कार्यभार में भारी कमी हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसका कारण यह है कि बहुत सी वस्तुओं का निर्माण-कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंप दिया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है; और

(घ) 1964 और 1965 में उत्पादित माल का अलग अलग क्या मूल्य था ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) जी, हां, केवल वस्त्रों और सामान्य सामान की चीजों के बारे में।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) दी गई वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार था :—

	1963-64	1964-65	1965-66
		(करोड़ रुपयों में)	
वस्त्र तथा सामान्य सामान	48.24	37.74	29.96

समाचार-पत्र

2017. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने समाचार-पत्र-दैनिक, साप्ताहिक और मासिक या अन्य पत्रिकायें हैं जिनकी खपत 10,000 से कम और अधिक है;

(ख) ऊपर बताये गये दोनों प्रकार के समाचार-पत्रों की विज्ञापनों से होने वाली वार्षिक आय का क्या प्रतिशत है;

(ग) ये दो प्रकार के समाचार-पत्र कहाँ तक एक ही मालिक के हाथ में हैं; और

(घ) दोनों प्रकार की श्रेणियों के समाचार-पत्रों के मुख्य मालिक कौन-कौन हैं;

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क)

	ऐसी समाचार पत्रों की संख्या जिनकी प्रचार संख्या 10,000 से अधिक है	ऐसे समाचार पत्रों की संख्या जिनकी प्रचार संख्या 10,000 से कम है	कुल
दैनिक	146	338	484
साप्ताहिक, मासिक और अन्य पत्रिकायें	308	5,180	5,488
	..	..	...
कुल	454	5,518	5,972

(ख) माँगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं है

(ग) 1966 में 10,000 से कम प्रचार संख्या वाले समाचार पत्रों की कुल संख्या 5,518 थी जिसमें से 68 समाचार पत्र ऐसे थे जिनके 38 सांझे मालिकों और 10,000 से अधिक प्रचार संख्या वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की कुल संख्या 454 में से 126 साझे मालिकों द्वारा प्रकाशित किये जाते थे ।

(घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1749/67**]

Satellite Communication Centre Near Ahmedabad

2018. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether the experimental Sattellite Communication Centre has been established near Ahmedabad; and

(b) if so, the benefits likely to accrue to the country as a result thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) Yes, Sir.

(b) The Station will provide facilities for training our engineers and scientists in all phases of design, construction, operation and maintenance of a satellite communication earth station. It will also provide facilities for tracking and operation of communication satellite and to particapate in tests with other countries who have similar facilities. The station gives to Indian engineers an understanding of a new technology of great potential significance for point to point communications and for mass communications.

दिल्ली के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना

2019. **श्री हरदयाल देवगुण** :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में दिल्ली के लिये कुल कितनी धनराशि नियत की गई है ;

(ख) क्या दिल्ली के विकास के लिये अधिक धन दिये जाने के संबंध में महानगर परिषद् की ओर से कोई सिफारिश आई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी):

(क) लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 214 के 1 जून, 1967 को दिये गये उत्तर में वर्णित स्थिति में कोई परिवर्तन नही है । अन्य राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों की योजनाओं के साथ साथ उचित समय पर दिल्ली की चौथी योजना के समूचे आकार के बारे में नये सिरे से विचार करना पड़ेगा ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के साथ ठेका

2020. **श्री मरंडी** : **श्री डी० एन० पाटोदिया** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने स्टाफ़ आर्टिस्टों के लिए 20 वर्षीय ठेके के पहले प्रस्ताव को छोड़ देने का फैसला किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या स्टाफ़ आर्टिस्टों के भविष्य के बारे में कोई अंतिम निर्णय लिया गया है ; यदि नहीं तो देरी के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)

(क) से (ग) ऐसे आदेश जारी कर दिए गए हैं जिनके अनुसार स्टाफ़ आर्टिस्ट आकाशवाणी में 55 वर्ष की आयु तक काम कर सकता है चाहे रिटायर होने के समय तक उसकी सेवा कितने ही वर्ष की हो जाए । मूल प्रस्ताव में यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि 20 वर्ष की सेवा-अवधि रखने से अधिकांश स्टाफ़ आर्टिस्टों को काफ़ी नुकसान पहुँचता।

परमाणु शस्त्रास्त्रों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

2021. **श्री मरंडी :** **श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक विशेषज्ञों के एक 12 सदस्यीय दल ने जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के महा सचिव को परमाणु हथियारों के प्रभाव के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, यह बताया है कि भारत रचनात्मक कार्यों से तकनीकी संसाधनों में बड़े पैमाने पर फेरबदल किये बिना परमाणु शस्त्रास्त्रों का विकास करने की क्षमता रखता है;

(ख) इस विशेषज्ञ समिति ने भारत के सम्बन्ध में और क्या-क्या बाते कही हैं, और

(ग) इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मंत्री अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी):

(क) जी, हां । इस प्रतिवेदन के अनुसार भारत उन छः देशों में से एक है (परमाणु हथियारों वाले पाँच देशों को छोड़कर) जो रचनात्मक कार्यों से अपने तकनीकी संसाधनों के एक बड़े भाग का पुनर्नियतन करे बिना एक अच्छा परमाणु हथियार बना सकते हैं।

(ख) प्रतिवेदन में भारत के बारे में कोई अन्य बाते नहीं कही गई ।

(ग) सरकार ने प्रतिवेदन पर कोई ठीक टिप्पणी नहीं की है ।

भूटान में विशेष सम्पर्क अधिकारी

2022. **श्री बलराज मधोक :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि भारत सरकार का एक विशेष सम्पर्क अधिकारी भूटान की राजधानी में नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अधिकारी को क्या कार्य सौंपे गये हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

(क) भूटान और भारत की सरकारें एक आपसी समझौते द्वारा भूटान की राजधानी थिम्पू में जल्दी ही 'भूटान में भारत का विशेषाधिकारी' नियुक्त करने पर सहमत हो गई हैं ।

(ख) यह अधिकारी भूटान में भारत की सहायता से चलाई जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं में समन्वय स्थापित करेगा और उनके क्रियान्वयन की गति तीव्र करेगा और सुविधाजनक बनाएगा ।

मारिशस के लिये आर्थिक सहायता

2023. **श्री म० ला० सोंधी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(ख) क्या मारिशस ने भारत से प्रार्थना की है कि भारत उसे आर्थिक सहायता दे तथा अधिक पूंजी लगाये;

(ख) विशेषज्ञों का जो दल मारिशस में कपड़े का एक आधुनिक कारखाना स्थापित करने के लिये गया था, उसका क्या परिणाम रहा है;

(ग) क्या सरकार उस देश को आर्थिक सहायता बढ़ाने के लिये किन्हीं और उपायों पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो वे उपाय क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी, नहीं तथापि जब भी मारीशस ने सहायता मांगी है, उसे विभिन्न क्षेत्रों में सहायता दी गई है तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाने के उपायों की खोज की गई है।

(ख) एक विशेषज्ञ द्वारा 1965 के प्रारम्भ में मारीशस का दौरा करने के बाद नवम्बर 1965 में मारीशस की सरकार को कपड़ा मिल सम्बन्धी एक व्यवहार्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। मारीशस सरकार ने और जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगा है। जिस आधार पर भारतीय दल इस उपक्रम में भाग लेने के लिये तैयार हुआ था उसके साथ-साथ यह जानकारी मारीशस को बाद में दे दी गई थी। मारीशस सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही हैं।

(ग) सहायता अभी तक तदर्थ आधार पर दी गई है। मारीशस से आर्थिक सहायता के लिये जो भी प्रार्थनाये प्राप्त होगी उन पर सरकार बहुत सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Fire in Atomic Power Station in Rajasthan

2024. **Shri Nihal Singh** : Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1476 on the 31st July 1967 and state :

(a) whether any decisions has since been taken by Government on the enquiry report in regard to the fire that has broken out in the Atomic Power Station in Rajasthan; and

(b) if not, the reasons for the delay?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Ministes of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) and (b) Action on all the recommendations made in the Enquiry Report has been taken .

विमान दुर्घटनायें

2027. **श्री बाबू राव पटेल :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एयर मार्शल अर्जुन सिंह द्वारा 19 अक्तूबर, 1967 को बंगलौर के निकट हैं हैबैल में दिये गये भाषण की ओर आकर्षित कराया गया है जिसमें उन्होंने वायु सेना में जो अत्यधिक विमान दुर्घटनायें हो रही हैं, उन्हें रोकने के लिए शीघ्र ही ठोस कदम उठाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो बार-बार इन दुर्घटनाओं के होने के क्या कारण हैं जिनमें बहुत सी जानें चली जाती हैं ?

(ग) इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और

(घ) एक वायुयान चालक को कितने वर्ष के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और इस पर सरकार की कितनी धनराशि व्यय होती है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :(क) जी हां।

(ख) तकनीकी खराबी, चालक की भूल, पर्यवेक्षण सम्बन्धी भूल और कारण का पता न चलना।

(ग) प्रत्येक दुर्घटना की जांच न्यायालय द्वारा जांच की जाती है। इस प्रकार की दुर्घटनाओं को पुनः न होने देने के लिये जाँच न्यायालय द्वारा जिन उपायों की सिफारिश की जाती है उनको काम में लाया जाता है।

(घ) 18 महीने का उड़ान प्रशिक्षण, शेष प्रशिक्षण कार्यक्रम लोक हित में नहीं बताया जा सकता।

भूतपूर्व वैदेशिक कार्य मंत्री के साथ इसरायल के प्रधान मंत्री की मुलाकात

2028. **श्री प्र० के० देव:**
श्री रणजीत सिंह :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व वैदेशिक कार्य मन्त्री, श्री मुहम्मद करीम चागला जब पिछली बार न्यूयार्क गये थे, क्या तब इसरायल के प्रधान मन्त्री, मिस्टर इश्कोल से मिले थे, जैसाकि उन्होंने 18 जुलाई, 1967 को अपने मन्त्रालय की अनुदानों की माँगों पर हो रहे वाद-विवाद का उत्तर देते समय बताया था, और

(ख) यदि हाँ, तो उस बातचीत का क्या निष्कर्ष निकला ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी):

(क) विदेश मन्त्रालय की अनुदान मांगों पर बहस के जवाब में पूर्व विदेश मन्त्री ने यह कहा बताते हैं कि उन्होंने न्यूयार्क की यात्रा के दौरान श्री एशकोल के साथ बातचीत की थी। वास्तव में उनके कहने का मतलब था कि इसराईल के विदेशी मन्त्री श्री अब्बा ईवान उनके पास बातचीत करने आए थे। यह मूल बहस पूरे रिकार्ड के अशुद्ध रूप में देखी गई और तत्काल एक शुद्धि-पत्र लोकसभा सचिवालय के पास भेज दिया गया।

(ख) श्री ईवान ने श्री चागला के साथ इस मीटिंग के दौरान पश्चिम एशिया के संकट पर बातचीत की थी ।

Forms and Proformas Used in Indian Missions Abroad

2029. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether all the forms and proformas, in use in Indian Embassies abroad, and the literature being sent to the Indian residents and also to foreigners in response to their letters etc., have been got translated into Hindi; and

(b) if not, when they are likely to be got translated in Hindi?

The Prime Minister , Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) and (b) : Indian passports are printed in both Hindi and English. Instructions have been issued that letters received in Hindi should be answered in Hindi as far as possible. Publicity material meant for foreigners has necessarily to be in languages known to them. The question of issuing other forms and proformae, particularly those relating to the grant of passports and visas, in Hindi is under consideration.

नेपाल नागरिकता अधिनियम

2030. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने अपने देश में देशीयकृत नागरिकों की अवाप्त राष्ट्रीयता की समस्या को हल करने की दृष्टि से हाल ही में अपने नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया है;

(ख) नागरिकता सम्बन्धी अधिकारों की संशोधित विधि का नेपाल में रहने वाले लगभग 20 लाख भारतीयों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में नेपाल सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री अणु-शक्ति मंत्री योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य, मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख) जी हां । नेपाल के महमहिम की सरकार ने वर्तमान विधान को उदार बनाने और नेपाल में रहने वाले भारतीय निवासियों को अगर वे चाहें तो नेपाल की नागरिकता लेने के समय की अवधि को बढ़ाने के उद्देश्य से नेपाल नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1967 पास किया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फिजी द्वीपसमूह

2031. **श्री योगेन्द्र शर्मा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन ने फिजी द्वीपसमूह में एक ऐसी शासन प्रणाली आरम्भ की है जिसके अनुसार इस द्वीपसमूह की अर्थ-व्यवस्था तथा प्रशासन पर वहां बसे हुए अति अल्प संख्यक यूरोपीय लोगों का प्रभुत्व बना रहेगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय लोगों को, जिनकी संख्या वहां की जनसंख्या का 51 प्रतिशत है, विधान परिषद में एक तिहाई से भी कम प्रतिनिधित्व दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय लोगों के साथ किये जाने वाले इस भेदभाव पूर्ण रवैये के विरुद्ध भारत ने ब्रिटेन को विरोध-पत्र भेजा है ;

(घ) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मामले को उठाने के कोई प्रयत्न किये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) वर्तमान संविधान में साम्प्रदायिक तथा त्राम वोटिंग प्रणालियों के संयोजन के आधार पर निर्वाचित विधान परिषद की व्यवस्था है। इससे यूरोपीय समुदाय को (जिसमें कुछ यूरोपियन और चीनी भी शामिल हैं) निर्वाचित 36 सीटों में से 10 सीटें मिलती हैं। यह इस ग्रुप के आकार के समूचे अनुपात में से है जिनकी संख्या लगभग 476·730 की कुल आबादी में लगभग 33·5९0 है।

(ख) जी, हां, विधान परिषद में 40 सीटों में से भारतीय मूलक लोगों के पास केवल 12 सीटें है।

(ग) और)घ) भारत ने "एक आदमी, एक वोट" के सिद्धान्त के आधार पर फिजी को स्वतंत्र करने के व्यापक संदर्भ में अपने विचारों वाले देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र सघ में फिजी का प्रश्न उठाया है।

(ङ) संयुक्त राष्ट्र महासभा और 24 देशों की संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष समिति 1963 से फिजी के प्रश्न पर विचार कर रही है और इस विषय पर अनेक संकल्प पारित किये गये हैं। महासभा का नवीनतम संकल्प 12 दिसम्बर, 1966 को और 24 देशों की विशेष समिति का संकल्प 15 सितम्बर, 1967 को पारित हुआ था। इन संकल्पों में फिजी के लोगों के आजादी के अधिकार की पुष्टि की गई है और शासीदेश (अर्थात ब्रिटेन) से कहा गया है कि "एक आदमी, एक वोट" के सिद्धान्त के अनुसार आम चुनाव कराये जांय। फिजी की आजादी के लिये शीघ्र तारीख निश्चित की जाय ताकि इस क्षेत्र में साम्प्रदायिक और राष्ट्रीय एकता स्थापित की जा सके। भारत ने इन संकल्पों का समर्थन किया है।

इमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी

2032. **श्री रणधीर सिंह** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेना के इमरजेंसी कमीशन प्राप्त विकलांग अधिकारियों और जवानों को रोजगार देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) उन्हें सेवा में कार्य पर लगाये रखने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) और (ख) दुश्मन की फौजी कार्यवाही के कारण "सी"० से ऊँची श्रेणी में स्थायी निम्न डाक्टरी श्रेणी में रखे गये इमरजेंसी कमीशन प्राप्त

विकलांग अधिकारियों को स्थायी कमीशन अधिकारियों के रूप में सेवा में रखने पर विचार किया जा रहा हैं यदि वे अन्यथा उपयुक्त हों और संशोधित सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा पास करने के बाद योग्य पाये जायं। "सी" श्रेणी से ऊँची स्वार्या डाक्टरी श्रेणी में रखे गये विकलांग जवानों को बिना किसी अपवाद के सेवा में रखा जा रहा हैं। स्थायी मेडिकल श्रेणी "सी" में रखे गये विकलांग जवानों को भी सेवा में रखा जा रहा है बशर्ते उनके लिये अस्थायी नियुक्तियाँ उपलब्ध हों ।

संयुक्त राज्य अमरीका से संचार उपकरण

2033. **श्री रणधीर सिंह :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हवाई सुरक्षा और राडार उपकरण के जो पुर्जे संयुक्त राज्य अमरीका से आते थे वे अब आने बन्द हो गये हैं और उनके स्टाक को पूरा करने में बड़ी कठिनाई अनुभव हो रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन पुर्जों और उपकरणों को अन्य साधनों से प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) और (ख) अमरीका ने अनुदान और सहायता के आधार पर सप्लाई बन्द कर दी है तथापि अमरीका सरकार भुगतान के आधार पर अपेक्षित पुर्जों को सप्लाई करने के लिये तैयार है और नगद खरीद आधार पर अपेक्षित पुर्जों को प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की गई है ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये रिहायशी मकान

2034. **श्री रणधीर सिंह :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के अफसरों तथा जवानों, वायु सैनिकों तथा नौसैनिकों के लिये रिहायशी मकानों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कोई सरकारी योजना अथवा गृह-निर्माण समिति है;

(ख) ऐसी योजना से कितने जवानों, वायु सैनिकों, नौसैनिकों तथा अफसरों को लाभ हुआ है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो; तो क्या सरकार का विचार ऐसी योजना बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह):

(क) दिल्ली में एक सैनिक सहकारी गृह-निर्माण समिति है।

(ख) इस समिति को पीतमपुर और नरोला में 400 एकड़ भूमि देने का हाल में निर्णय किया गया है । कितने व्यक्ति को लाभ होगा, यह तो भूमि की प्लान पर निर्भर करेगा, जो अभी बनाई जानी है।

(ग) और (घ) यदि भूतपूर्व सैनिक पर्याप्त रुचि लें, तो अन्य राज्यों में भी कुछ चुने हुए नगरों में ऐसी सैनिक सहकारी गृह निर्माण समितियों की स्थापना को प्रोत्साहन देने का विचार है।

Tour of Drought Affected Areas and Communal Riots by Former Minister Without Portfolio

2035. **Dr. Surya Prakash Puri:** **Mahant Digvijai Nath:**
Shri Shiv Kumar Shastri: **Shri Prakash Vir Shastri:**

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the former Minister without Portfolio toured the drought-affected areas and such areas of the country where communal riots had broken out recently;

(b) if so, whether a report in this regard was submitted by him to her; and

(c) if so, the details thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi):

(a) The Minister recently visited the cyclone-affected areas of Orissa, and also some flood-affected villages in U. P. He did not go to any area affected by drought or communal riots.

(b) and (c) Do not arise.

महात्मा गांधी की कृतियां

2036. **श्री रवि राय:** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय द्वारा महात्मा गांधी की कृतियों के कितने भाग अब तक प्रकाशित किए जा चुके हैं; और

(ख) क्या उन्हें सभी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) अभी तक सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय के अंग्रेजी में 25 भाग और हिन्दी में 22 भाग प्रकाशित हो चुके हैं।

(ख) जी, नहीं। अंग्रेजी में पहला भाग प्रकाशित होने के बाद, 1958 में राज्य सरकारों से इन भागों को सम्बन्धित प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित करने की प्रार्थना की गई थी। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आन्ध्र-प्रदेश और पंजाब की सरकारें इन भागों को बंगला, मराठी तेलुगू और पंजाबी भाषाओं में प्रकाशित करा रही है। वाङ्मय का गुजराती रूपान्तर नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है।

Import of Defence Equipment

2037. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the items of defence equipment imported at present and the number of items out of them for which steps are being taken for indigenous production;

(b) whether it is a fact that a far larger number of items than manufactured in the country have to be imported; and

(c) the steps taken by Government to ensure that the defence raquirements are met indigenously?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) to (c) A statement is laid on the Table of the House. **(Placed in Library. See no. LT—1750/67)**

भारतीय वायु सेना के पुराने विमानों का प्रयोग में लाया जाना

2038. **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायु सेना के पुराने विमानों को किस उपयोग में लाया जा रहा है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इनमें से कुछ विमान अनुसंधान छात्रों के इस्तेमाल के लिये तकनीकी संस्थाओं को देने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन)राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) भारतीय वायु सेना के पुराने विमानों को सामान्यतः निम्न प्रयोजनों के लिये प्रयोग किया जाता है :

(1) अन्य विमानों में प्रयोग के लिये उपयोगी पुर्जे निकालना;

(2) हवाई अड्डों पर पाशानयक (डिकाय) के रूप में;

(3) भारतीय वायु सेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में;

(4) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी जैसे अन्तर्राज्यीय प्रशिक्षण स्कूलों में;

(5) वायु सेना संग्रहालयों में।

(ख) सरकार तकनीकी संस्थाओं की प्रार्थना पर सहानुभूति पूर्वक विचार करती है और उपयुक्त मामलों में विशेष मूल्यों पर प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिये चलाये जा सकने योग्य विमान देती है।

तिब्बती शरणार्थी

2039. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में लाल रक्षकों की हिंसात्मक कार्यवाहियों के फलस्वरूप तिब्बत से बहुत से शरणार्थी भारत में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष के आरम्भ से अब तक भारत में कितने तिब्बती शरणार्थी आये हैं और क्या उन्हें बसा दिया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि जलवायु के परिवर्तन तथा अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उनमें से बहुत से व्यक्ति राहत शिविरों में ही मर गये हैं;

(घ) यदि हां, तो शिविरों में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(ङ) कष्टों को काम करने के लिये तथा संकटग्रस्त विस्थापितों के लिये समुचित व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी):

(क) जी हां।

(ख) 31-10-1967 तक 745 तिब्बती लद्दाख, उत्तर प्रदेश, नेफा और हिमाचल प्रदेश होते हुए भारत आ चुके थे। जब यह ठीक-ठीक पता चल जाता है कि वे वाकई शरणार्थी हैं तो उन्हें पुनर्वास के स्थलों पर भेज दिया जाता है।

(ग) और (घ) जी नहीं। बहुत नहीं। भर पेट खाना न मिलने से और खुले में रहने के कारण उत्पन्न रोगों की वजह से कोई 46 व्यक्ति मर गए हैं।

(ङ) चिकित्सा का प्रबन्ध कर दिया गया है। केन्द्रीय राहत समिति (भारत) मल्टी विटामिन की गोलियाँ और दवाइयां पहले ही भेज चुकी है। कुछ सूती कपड़े भी भेजे गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से जैसे ही ये शरणार्थी ठीक पाए जाते हैं, वैसे ही उन्हें पुनर्वास के स्थलों पर भेज दिया जाता है।

Transmitter for Madhya Pradesh

2040. **Shri G.C. Dixit:** Will the Minister of **Information and Boardcasting** be pleased to state:

(a) whether Government have decided to instal a transmitter in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the date by which it is likely to be installed?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K.K. Shah):

(a) and (b) There are at present transmitting stations at Bhopal, Indore, Jabalpur, Gwalior and Raipur. In addition the A.I.R. Draft Fourth Five—Year plan provides for the installation of two transmitters in Madhya Pradesh—One in the area near Jagdalpur and the other in Satna/Rewa region. The actual date of their installation depends on the availability of resources and necessary foreign exchange.

भाव बुलेटिनों का प्रसारण

2041. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** **श्री प्र० न० सोलंकी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री 10 जुलाई, 1967 को दिए गए अतारांतिक प्रश्न संख्या 5097 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी द्वारा बाजार भावों सम्बन्धी बुलेटिनों के प्रसारणों में सुधार करने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां।

(ख) भावों सम्बन्धी बुलेटिनों के प्रसारण में सुधार करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है, क्योंकि उसमें वित्तीय पहलू भी निहित है।

HAJ PILGRIMS

2043. **Shri Ram Gopal Shalwale:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a)the number of pilgrims who went for Haj this year and the amount of foreign exchange spent on them;

(b) whether it is a fact that the number of pilgrims going to Haj is increasing every year;

(c) whether it is also a fact that there are many Haj pilgrims who have not come back to the country;

(d) if so, the number of such pilgrims and the action Government propose to take in this matter?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi):

(a) During 1967 Haj 15,544 pilgrims including children and infants went for Haj and foreign exchange of Rs.2,39,40,000 was spent.

(b) Due to foreign exchange difficulties Government fixes a ceiling on the number of pilgrims who may proceed to Haj during any year. The total number of applications received every year since 1964 has shown a slight decrease.

(c)and (d) The pilgrims who proceed to Saudi Arabia are allowed only on the basis of return tickets obtained in advance. Some of them die. Some change route and return after sometime after visiting other holy places in the neighbouring countries. Government do not have any account of such persons who have not returned. If and when such persons are apprehended by the Saudi Authorities, consular assistance is given by our Embassy in Jeddah to repatriate them to India. The number if any, of such persons who have not returned is being ascertained and will be laid on the Table of the House.

Closure Of Suez Canal

2044. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the loss sustained by our country so far on account of the closure of the Suez Canal ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi):

It is not possible to estimate the loss which has been incurred by India on account of the closure of the Suez Canal. It can, however, be stated that India is incurring an additional expense of about 3 million dollars per month on account of higher freight charges that have to be paid for our imports from the West.

आकाशवाणी द्वारा प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण

2045. **श्री सीताराम केसरी :** **श्री भोगेन्द झा :**
श्री शिव चन्द्र झा : **श्री धीरेश्वर कलिता :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव मैथिली, मघही और गोरखाली जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण सेवाएँ, जो सीमांवर्ती क्षेत्रों में शत्रु-देशों के प्रचार का प्रतिकार करने के लिए महत्वपूर्ण है, शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) मैथिली और मघही भाषाओं में कार्यक्रम आकाशवाणी के पटना केन्द्र से पहले ही

प्रसारित हो रहे हैं, जब कि गोरखाली कार्यक्रम दिल्ली केन्द्र मे जवानों के लिए कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रसारित हो रहे हैं । आकाशवाणी के गोहाटी, कुर्सियाँग और सिलागुड़ी केन्द्र भी सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नेपाली भाषी लोगों के लिए नेपाली में कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना काल में विस्तार योजना के अंग के रूप में दरभंगा और गोरखपुर में ट्रांसमिटर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Chinese National Day Celebrations

2046. **Shri Ram Avatar Sharma**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the Indians who went to the Chinese Embassy in Delhi to attend the Chinese National Day Celebrations; and

(b) whether Government propose to take any action against them and, if so, the nature thereof?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning aud Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gaadhi)

(a) A list of Indians who went to the Chinese Embassy in New Delhi to attend the Chinese National Day Celebrations is laid on the Table of the House. **[Placed in library. see No. LT—1751/67]**

(b) No, Sir.

Released Emergency Commissioned Officers

2047. **Shri Ram Singh Ayarwal**: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether during 1962 Emergency, different States had given an assurance to the effect that the released Emergency Commissioned Officers would be extended facilities for selection by the Public Service Commissions and other posts according to their ability; and

(b) the extent to which the said assurance has been fulfilled by the states concerned ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) and (b) Most of the State Governments have only recently issued orders reserving certain percentages of Class I and Class II (non-technical) vacancies in the various State services and posts as indicated in the statement laid on the table of the House. **[Placed in library. See No. LT—1752/67]**

Their actual implementation will depend on the occurrence of vacancies from time to time.

Raising of Age Limit For Released Emergeny Commissioned Officers

2048. **Shri Ram Singh Ayarwal**: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Government have taken any steps so far to raise the upper age-limit for the released Emergency Commissioned Officers for employment through the Union Public Servic Commission from 24 to 29 years; and

(b) if not, whether Government propose to take some steps in this regard now?

The Minister Of Defence (Shri Swaran Singh):

(a) and (b) There is already relaxation of the maximum age limit of 24 years to the extent of the period of service in the Army. The Emergency Commissioned Officers released or due to be released are eligible to appear at the restricted competitive examination for reserved vacancies in the various All India and Central Services provided they were not overage at the time of their joining the Army i.e. not above 24 years of age.

Dehu Road Cantonment Depot

2049. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of permanent civilian employees in Dehu Road Cantonment Depot; and

(b) the number of employees who have been provided with quarters so far and when the rest of the employees are likely to get the quarters?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh):

(a) and (b) The number of permanent civilian employees working in the four Ordnance Depots in the Dehu Road Cantonment is 6,471. Of these, 221 have been provided accommodation by Government. A project for the construction of 1,232 quarters to provide married accommodation for defence civilians at an estimated cost of Rs. 133,74 lakhs is under execution, and these quarters on completion will be allotted to the Defence civilians working in the four Ordnance Depots and in the various other defence installations on station basis. There is no proposal at present under Government consideration to construct further accommodation, and the Defence civilians not provided with Government accommodation are entitled to claim house-rent allowance according to the rules.

Amendment of Cantonments Act, 1924.

2050. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Goverment have asked the Cantonment Boards to recommend amendments in the Cantonments Act, 1924;

(b) whether the Cantonment Board of Danapur at in its sitting held on the 28th July, 1967 sent the proposals regarding amendments to Government ;

(c) if so, the main features thereof and the reaction of Government thereto; and

(d) when Government propose to amend the Cantonment Boards Act?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) No, Sir. However, it is proposed to make comprehensive amendments to the Cantonment Act, 1924, with a view, among others, to introduce free and compulsory primary education in accordance with the directive principles of State policy, further democratisation of the Cantonment administration consistent with the nature of Cantonment as military station, rectifying defects in certain provisions of the Act brought out in the judicial pronouncements and remove difficulties experienced in administering the Act, and all the suggestions received will be considerd while finalising the proposed bill.

(b The Cantonment Board, Dinapore at its meeting held on 4th September 1967 considered the amendments proposed by the elected members and forwarded the same to the Director, Military Lands and Cantonments on 11th September 1967.

(c) and (d) The main features of the proposals are to increase the normal term of the Boards, to increase the number of elected members, to provide for election of the President, to enhance the powers of the board, to restrict the powers of the President and GOC-in-C, to remove the obligation to undertake periodical revision of assessment list, to provide for appeal to GOC-in-C in certain matters, to transfer certain powers from GOC-in-C to District Judge, and to provide for non-confidence motion against the President and Vice-President.

The aforesaid suggestions along with other proposals will be considerd by Government and a Bill is proposed to be introduced in Parliament as soon as the examination of the amendments and the Bill are finalised.

Visit by Film Stars To Nathu La Pass

2051. **Shri Arjun Singh Bhadoria :**

Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) whether it a fact that some film artistes had gone to Nathu La border recently;

(b) if so, the names thereof;

(c) whether they asked for permission to go there by the authorities concerned; and

(d) if not, the action taken by Government against them?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) to (c) Shri Dev Anand, a Film Star, visited Nathu La on 20-3-1967 on the strength of a permit issued by the Sikkim Durbar in cousultation with the local Army authorities.

(d) Does not arise.

Censor of Films-Indian and Foreign

2052. **Shri Arjun Singh Bhadoria :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it a fact that the Central Board of Film Censors have either banned certain Indian and foreign films or refused the issue of certificate to them during the last two years; and

(b) if so, the names of such films?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) The number of films refused certificate by the Board during 1965-66 and 1966-67 is as under:—

	1965-66	1966-1967
Indian		
(1) Features	1 (Revised version was subsequently approved)	2 (Revised versions were subsequently approved)
(2) Shorts	Nil	1
Imported		
(1) Features	17	22 (In the case of 4 films, revised versions were subsequently approved.
(2) Trailers	9	21 (In the case of 2 trailers, the revised versions were subsequently approved).
(3) Shorts	8	3

The Board has no power to ban a film already certified. In exercise of the powers vested with the Central Government under sub-section (2) of section 6 of the Cinematograph Act, 1952, eleven Night series films depicting night life abroad have been banned. Exhibition of a Bengali feature entitled "Neel Aaksher Neeche" was temporarily suspended with effect from 1st February, 1966 to 23rd March, 1966.

(b) A list showing the names of films is laid on the Table of the House. [**Placed in Library. See No. LT 1753/67**]

Exemption of Films from Entertainment Tax

2053. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the number and names of films exempted from Entertainment tax during the last three years?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) :

This is a matter which concerns the State Governments. Information is being collected from them and will be laid on the Table of the House in due course.

1968-69 की योजना के लिये उड़ीसा को धन का नियतन

2054. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968-69 के लिये उड़ीसा में योजना के लिये राशि नियत की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि नियत की गई है और उसमें से कितनी राशि केन्द्र तथा कितनी राशि राज्य वहन करेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

1967-68 में उड़ीसा के लिये योजना सम्बन्धी राशि का नियतन

2055. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में उड़ीसा के लिये योजना में कुल कितने धन का नियतन किया गया ; और

(ख) उसमें केन्द्र का हिस्सा कितना था और राज्य का कितना ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 46 करोड़ रुपए ।

(ख) केन्द्रीय सहायता—26 करोड़ रुपए, राज्यों के अपने साधन-20 करोड़ रुपए ।

मास्को में पाकिस्तानी दूतावास

2056. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मास्को स्थित पाकिस्तानी दूतावास द्वारा 6 सितम्बर, 1967 को जिससे दो वर्ष पहले भारत ने पाकिस्तानी आक्रमण को विफल किया था, आयोजित 'रक्षा दिवस' समारोह में भाग लेने के लिये भारतीय दूतावास के सैनिक कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया था;

(ख) क्या भारतीय दूतावास के कर्मचारियों ने वह निमंत्रण स्वीकार किया था ;

(ग) क्या ताशकन्द घोषणा की भावना के विरुद्ध भारत ने विरोध-पत्र भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री अण-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) 1 सितम्बर 1967 के नोट में, इस्लामाबाद-स्थित भारत के हाई कमीशन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को बताया कि इस प्रकार का समारोह ताशकंद घोषणा की भावना के विपरीत है और उनसे आग्रह किया कि वे ऐसा न करें ।

(घ) पाकिस्तान सरकार ने 5 सितम्बर के नोट में हमारे नोट को अस्वीकार कर दिया, और कहा कि इस समारोह का करना न करना पूरी तरह पाकिस्तान सरकार की मर्जी पर निर्भर है ।

27 नवम्बर, 1967 को होने वाली सदन की बैठक के लिये भारत-जापान सहयोग

2057. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि परमाणु ऊर्जा के शान्तिमय उपयोग के क्षेत्र में विकास के लिए सरकार जापान के साथ एक करार करने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब निर्णय होने की सम्भवना है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है ।

नौसैनिक प्रशिक्षण संस्थान को पारादीप ले जाया जाना

2058. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान नौसैनिक प्रशिक्षण संस्थान को पारादीप में ले जाने के प्रस्ताव पर अंतिम रूप से निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह संस्था कब तक पारादीप में स्थापित हो जाने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह):

(क) प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

Annual Plan For Bihar (1968-69)

2059. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Rs. 545 crores will be spent on the Annual Plan of Bihar for 1968-69;

(b) whether Rs. 253 crores would be provided by the State Government and Rs. 292 crores by the Central Government respectively;

(c) whether the Bihar Government have expressed its inability to provide this amount in view of famine, drought, floods etc. befalling the State one after the other;

(d) whether the State Government have requested the Central Government to meet this expenditure too because of their inability to do so; and

(e) if so, the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi):

(a) No, Sir.

(b) to (e) Do not arise.

आगरा में रेडियो केन्द्र

2061. **श्री अचल सिंह :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आगरा में एक रेडियो केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके कब चालू हो जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क) जी, अभी कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आजाद हिन्द फौज के शहीदों के प्रति कलकत्ता मैदान में श्रद्धाजलि अर्पण

2062. **श्री समर गुह :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष कलकत्ता में बनाई गई आजाद हिन्द सरकार स्थापना दिवस समारोह समिति ने फोर्ट विलियम, कलकत्ता, में भारतीय सेना के अधिकारियों से प्रार्थना की थी कि वे सिंगापुर में नेताजी द्वारा स्थापित किये गये आजाद हिन्द फौज के शहीदों के स्मारक की मूर्ति के समक्ष आजाद हिन्द फौज के शहीदों के प्रति कलकत्ता मैदान में श्रद्धांजलि अर्पित करने के समारोह में सम्मिलित हो;

(ख) क्या सैनिक अधिकारी उक्त प्रस्ताव मे सहमत हो गये थे और समारोह समिति के प्रतिनिधियों के साथ कई बार मुलाकात करने के पश्चात् उन्होंने 21 अक्तूबर, 1967 को आजाद हिन्द फौज के स्मारक के समक्ष "लास्ट पोस्ट" और "रेविले" बिगुलधुन बजाने का सारा कार्यक्रम तैयार कर लिया था;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार से अनुमति-पत्र प्राप्त न होने पर समारोह समिति के अध्यक्ष ने आवश्यक अनुमति-पत्र भेजे जाने के लिये गृह-कार्य मन्त्री को तार दिया था; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह):

(क) से (घ) स्थानीय सेना अधिकारियों को शून्य-स्मारक (सेनोटैफ) के अनावरण के लिये तथा "लास्ट पोस्ट" और "रेविले" बिगुल धुन बाजने के हेतु कुछ विगुल वादकों की सेवाओं के लिये प्रार्थना मात्र प्राप्त हुई थी। किसी भी अवस्था में वे समारोहों का ब्यौरा तैयार करने में सहायता करने के लिये सहमत हुए थे, अथवा इसका वचन दिया था। इसका अधिकार न होने के कारण सैनिक अधिकारी इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकते थे।

इस मामले में पहल करना गृह-कार्य मंत्रालय ने आवश्यक नहीं समझा क्योंकि उसने सोचा कि सम्बन्धित मंत्रालय अर्थात् प्रतिरक्षा मंत्रालय को भी साथ-साथ लिखा ही गया होगा, जो उचित कार्यवाही करेगा ।

भारतीय आयुध कारखानों में कारतूसों का उत्पादन

2063. **डा० कर्णी सिंह :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय आयुध कारखानों में कम प्रवेग के .22 लांग राइफल मैच कारतूस बनाने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) पश्चिमी देशों में बने मैच मार्क 3 तथा अमरीका में बने ई० जैड० एक्स० एस० कम प्रवेग के कारतूसों की तुलना में भारत में बने .22 मैच कारतूसों का प्रवेग कितना कम व अधिक है; और

(ग) भारतीय आयुध कारखानों ने इस प्रकार के मैच कारतूसों का क्या नाम रखा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):

(क) आयुध कारखानों में अभी तक .22 लांग राइफलों के लिये मैच कारतूस बनाना आरम्भ नहीं किया गया है। थोड़ी आवश्यकता के लिये इन कारतूसों का उत्पादन अलाभकर होगा।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

आयुध कारखानों में बनाये गये 12 बोर के कारतूस

2064. **डा० कर्णी सिंह:**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आयुध कारखानों में बनाये गये .$2\frac{3}{4}$" के 12 बोर के कारतूसों का क्षेत्र में प्रयोग किये जाने के बाद कोई रिपोर्ट आई है और क्या यह कारतूस राष्ट्रीय माँग को पूरा कर सकेगा ;

(ख) क्या $2\frac{3}{4}$" के कारतूस का प्रत्याधक्का (रिकॉयल) $2\frac{1}{2}$" के कारतूस के प्रत्याधक्का से बहुत अधिक है, किन्तु पैटर्न की दृष्टि से इसमें कोई विशेष उन्नति नहीं है; और

(ग) क्या राइफल एसोसिएशन आफ इंडिया ने $2\frac{1}{2}''$ के कारतूसों की तुलना में इन $2\frac{3}{4}''$ के कारतूसों का काम अच्छा न होने के बारे में भारतीय आयुध कारखाने को कोई रिपोर्ट भेजी है?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) जी, नहीं। यद्यपि नेशल राइफल एसोसिएशन आफ इंडिया, नई दिल्ली $2\frac{3}{4}''$ के 12 बोर के कारतूसों की थोड़ी सी मात्रा, जो शाट गन के 'प्रूफ' के लिये बनाये गये थे, दी गई थी इस समय आयुध कारखानों द्वारा ये कारतूस नहीं बेचे जाते हैं।

(ख) यह मालूम है कि $2\frac{3}{4}''$ के 12 बोर के कारतूस का प्रत्याधक्का $2\frac{1}{2}''$ के कारतूस से अधिक है।

(ग) इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित कारतूसों के बारे में नेशनल राइफल एसोसिएशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि वे संतोषजनक नहीं हैं। अमरीकी 'क्ले पीजन' निशाने बाजी के कारतूसों से तुलना की गई थी जबकि आयुध कारखानों द्वारा सप्लाई किये गये कारतूस "क्ले पीजन" निशानेबाजी के लिए नहीं थे तथापि इस संस्था ने इस बात की पुष्टि की थी कि कारखाने द्वारा दिये गये कारतूस शिकार के लिये उपयुक्त थे।

राइफलों के कारतूसों का निर्माण

2065. **डा० कर्णी सिंह**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 12 बोर, .22 लाँग राइफल, ·22 शॉर्ट और .315 राइफलों के कारतूसों का कुल कितना निर्माण होता है तथा यह निर्माण तत्सम्बन्धी असैनिक मांग की तुलना में कितना कम है; और

(ख) क्या माँग निर्माण से अधिक है और यदि हां, तो सारी मांग को कैसे पूरा करने का सरकार का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) 1 अप्रैल, 1967 से 31 अक्तूबर, 1967 तक 12 बोर के कारतूसों का उत्पादन 64 लाख था। निर्माण क्षमता 10 लाख प्रति मास है। वर्तमान असैनिक मांग को पूरा करने के लिये यह क्षमता पर्याप्त समझी जाती है।

चालू वित्तीय वर्ष में असैनिक व्यापारियों को अब तक .22 बोर लांग कारतूस दी गई मात्रा 30 लाख थी। सैनिक तथा असैनिक दोनों ही माँगों को पूरा करने के लिये क्षमता विद्यमान है असैनिक मांग को पूरा करने में कोई कठिनाई आने की आशा नही है।

इस समय .22 शॉर्ट कारतूसों का निर्माण नही हो रहा है। यदि लाभकर निर्माण कर सकने योग्य पर्याप्त मांग होगी, तो इसका निर्माण करना संभव होगा।

.315 कारतूसों का पहले आयुध कारखानों में निर्माण किया गया था। असैनिक आवश्यकता के लिये निर्माण की सिफारिश करने के लिये कदम उठाए जा रहे है। जब इनका निर्माण होने लगेगा पूर्ण असैनिक मांग के पूरा हो जाने की आशा है।

मैच कारतूसों को फिर से भरना

2066. **डा० कर्णी सिंह :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इंडिया ने लागत घटाने के उद्देश्य से राइफल क्लबों द्वारा राइफलों तथा शाँट गनों दोनों के मैच कारतूसों को फिर से भरने के काम को लोकप्रिय बनाने के बारे में सरकार को कोई प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो कारतूसों के फिर से भरने का अधिकार देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) और (ख) हमें राइफल क्लबों से मैच कारतूसों को फिर से भरने को लोकप्रिय बनाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

तथापि फिर से भरने के लिये बारूद की सप्लाई के लिये नेशनल राइफल एसोसिएशन के एक उप-प्रधान से प्रार्थना प्राप्त हुई है। इस पर विचार किया जा रहा है ।

शाँटगन के कारतूस

2067. **डा० कर्णी सिंह :**

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित कागज की जगह पर पोलिथेलीन प्लास्टिक के खोल का प्रयोग करके भारतीय आयुध कारखानों में शाँटगन के कारतूस बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या सरकार का विचार क्रिम्प क्लोजर वाले ट्रैप तथा स्कीट कारतूस बनाने का है ताकि उसकी किस्म आयातित कारतूस की किस्म का मुकाबला कर सके, क्योंकि क्रिम्प क्लोजर वाले कारतूस बेहतर तथा समान पैटर्न देते हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):

(क) पोलिथेलीन खोलों का प्रयोग करके 12बोर के कारतूस बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । देश में पोलिथेलीन ग्रेन्यूल की कमी को ध्यान में रखते हुए पोलिथेलीन के खोलों के मूल्य अत्यधिक रहे होंगे और इसलिए फिलहाल प्रस्ताव को त्याग दिया गया होगा ।

(ख) विशेष $2\frac{3}{4}$" के कारतूस, रोल और क्रिम्प क्लोजर वाले दोनों ही, की एक कैप दोनों प्रकार के क्लोजरों के काम करने के तुलनात्मक अध्ययन करने के हेतु परीक्षण करने के लिये नेशनल राइफल एसोसिएशन को भेजी गई है। रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद क्रिम्प क्लोजर वाले ट्रैप और स्कीट कारतूस बनाने के प्रश्न पर अग्रेतर विचार किया जायेगा ।

चण्डीगढ़ में टर्मिनल बेलिस्टिक्स अनुसंधान वेधशाला

2068. **श्री स० कुन्दू :**

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान वेधशाला स्थापित करने के काम पर कितना धन व्यय हुआ है;

(ख) इस वेधशाला में इस समय किस प्रकार का अनुसंधान कार्य किया जा रहा है और क्या अनुसंधान के काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):

(क) चन्डीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधानिक वेधशाला स्थापित करने के काम पर अब तक 177.72 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार, पंजाब विश्वविद्यालय और सेंट्रल साइटिफिक इंस्ट्रमेंट आरगेनाइजेशन से लगभग 23 लाख रुपए की सहावता प्राप्त हुई थी ।

(ख) और (ग) चन्ड़ीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान वेधशाला के निर्धारित कार्यक्रम कारतूसों के डिजाइनों के विभिन्न पहलुओं के बारे में हैं।

इस वेधशाला द्वारा किया गया काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार है।

Reservation of Seats For S.C.& S.T. Candidates In Sainik Schools

2069. **Shri G.C. Dixit.** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether any reservation of seats has been made for the schedule caste and schedule tribe candidates for their admission to Sainik Schools in Madhya Pradesh;

(b) if so, the number of applications submitted for admission by the Schedule Caste and Scheduled Tribe candidates during 1967-66 and 1967-68 and the number of candidates among them who were given admission;

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons therefor ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L.N. Mishra):

(a) to (c) The relevant information is being collected and a statement will be placed on the Table of the House in due course.

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

फिल्म फाइनेंस कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ :—

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत

फिल्म फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) उक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखे गए । देखिये संख्या एल० टी० 1742/67]

राजभाषा (संशोधन) विधेयक 1967

OFFICIAL LANGUAGES (AMENDMENT) BILL. 1967

गृह-कार्यमंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजभाषा अधिनियम, 1963 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्य अपने स्थानों पर बैठ जायें । मैं सब को बोलने का अवसर प्रदान करूंगा ।

Dr.Govind Das (Jabalpur): I oppose this Bill. In this Bill English has been imposed even on the Hindi-speaking States. This is quite improper. I have no objection if the non Hindi speaking State do not want to learn Hindi they may not do so but English should not be imposed on the Hindi speaking people. This Bill is also against the spirit of the Constitutiion where in it has been clearly stated that after 26th January, 1965 Hindi will be the offictial language of India and English will be used only for the purpose where it is absolutely needed. It would have been better had the Hon. Home Minister called a round table conference of Chief Ministers of all the States and the matter discussed there before moving this Bill in the House.

Shri Madhu Limaye (Monghyr). I would like to draw your attention to rule 72 where in it has been said that "Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation out side the legislative competence of the House, the speaker may permit a full discussion thereon."

It seems that the Bill has been moved under Article 343, sub clause (3) The Article 343, sub—clause (3) of the Constitution which says,

"Not with standing anything in this Article, Parliament may by law provide for the use, after the said period of fifteen years, of (a) the English language, or (b) the Devanagari form of numerals,

For such purposes as may be specified in the law."

So it is clear that the use of English, for all the purposes mentioned in the present Bill is illegal. It is also clearly mentiond in the Constitution that after 26th January 1965, that is, after the said period of fifteen years English can be used only for the purposes specified by law and not for all purposes. The Commission should have also been appointed under Article 344(2) of the Constitution to make recommendations to the President as to the Progressive use of Hindi language for the official purposes of the Union and also to suggest restrictions on the use of the English language for all or any of the official purposes of the Union. Under Article 351 of the Constitution it was also the duty of the Union Government to promote Hindi and develop it as a medium of expressions.

In this connection, I would also like to say that Pt. Nehru was not my leader and

I am not concerned with the assurances given by him to the people. No leader can impose restiction on the posterity, whenever he may be.

This issue of languages should be handed over to the states. They can pass resolutions as to what language the would choose for interstate and State-Centre communications. English should not be imposed on the Hindi speaking States. I oppose this Bill as it violates the Constitution.

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक दल से एक एक व्यक्ति को बोलने की अनुमति दूँगा। माननीय सदस्य विधेयक के गुणदोषों में न जाकर केवल उसके कानूनी पहलू ही बोलेंगे। हमें इस समय इस बात पर चर्चा करनी है कि विधेयक संविधान के विरुद्ध है अथवा नहीं।

Shri Surendra Nath Dwivedy (Kendrapara) : We should also be given an opportunity to speak.

अध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्यों ने लिख कर मुझसे इस अवस्था में बोलने की अनुमति ली है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : नियम के अनुसार इस अवस्था में केवल एक सदस्य ही इस का विरोध कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर पुनः बातचीत करूंगा। माननीय सदस्य ने जिस प्रक्रिया का उल्लेख किया है वह एक अच्छी प्रक्रिया है।

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : इस समय केवल संविधानिक बातें अथवा व्यवस्था के प्रश्न उठाये जा सकते हैं। विधेयक पर विचार करने की व्यवस्था में माननीय सदस्य विधेयक के गुणदोषों पर विचार व्यक्त कर सकते हैं।

श्री सोनावने (पंठरपुर) : पहले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिये। उसके बाद ही इस पर चर्चा हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं खड़ा हूँ तो सभी माननीय सदस्यों को अपने अपने स्थानों पर बैठ जाना चाहिये। नियम 72 के परन्तुक में यह कहा गया है कि यदि विधेयक में ऐसा कानून बनाने की बात कही गई हो जो सभा की क्षमता से बाहर हो तो अध्यक्ष पूरी चर्चा के लिये अनुमति दे सकता है, इससे कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया है।

श्री मोरारजी देसाई : यदि आपने पूरी चर्चा की अनुमति दे दी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मेरे विचार में अभी अनुमति नहीं दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने कहा कि केवल एक व्यक्ति को विरोध में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिये परन्तु पूर्ण चर्चा की अनुमति दी जा सकती है। अतः मैं माननीय सदस्यों से कहूँगा कि वे केवल संवैधानिक तथा कानूनी पहलुओं पर ही अपने विचार व्यक्त करें।

अतः अध्यक्ष कानूनी विषय पर चर्चा करने के लिये भी अनुमति दे सकता है। सामान्यतः पद्धति यह है कि केवल एक सदस्य को विरोध करने की अनुमति दी जाती है।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : नियम में यह स्पष्ट है कि यदि विधेयक संविधान के अन्तर्गत नहीं आता तब ही अध्यक्ष अपने विवेक के अनुसार उस पर चर्चा करने की अनुमति दे सकते हैं । राज भाषा अधिनियम, 1963 के सम्बन्ध में पिछले कानून हैं । वर्तमान अधिनियम उस विधेयक में संशोधन है । अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता कि इस विधेयक पर चर्चा करना संसद् की संवैधानिक शक्ति से परे है । यह नया कानून नहीं है ।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : कृपया नियम 27 की ओर ध्यान दीजिये जिसमें उल्लेख किया गया है कि यदि किसी प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाता है कि संसद् में उस पर चर्चा करना उसकी कानूनी शक्ति से परे है तो उस मामले में अध्यक्ष महोदय उस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दे सकते हैं ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मेरे व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में आपका क्या विनिर्णय है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं बता चुका हूँ कि इस स्तर पर मैंने उन्हें संवैधानिक और कानूनी पहलू पर बोलने की अनुमति दी है । बाद में हम इस विषय पर पूरी चर्चा करेंगे ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) It is a black Bill. English is being forced upon 98 percent of the people who speak Indian languages. I think this effort is being made by the I.A.S. and I.C.S. officers they want to suppress the sentiments of the people for all time to come. This is against the Constitution,

"Section 5 of the Bill" reads:

"The provisions of Clause (a) of sub-section (1), and the provisions of sub-section (2) sub-section (3) and sub-section (4) shall remain in force until resolutions for the discontinuance of the use of the English language for the purposes mentioned there in have been passed by the legislatures of all the States which have not adopted Hindi as their official language and until after considering the resolutions aforesaid, a resolution for such discontinuance has been passed by each House of Parliament."

This Section clearly indicates that if even a single non-Hindi speaking State wants that English should continue, it will continue. Secondly, English will continue till the non-Hindi speaking states desire. Thirdly it will continue until a resolution for such discontinuance is passed by each House of Parliament.

All these three things are against the Constitution.

Article 246 reads:—

"Not withstanding anything in Clauses (2) and (3), Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List I in the Seventh Schedule (in this Constitution referred to as the Union List)"

Parliament has got this right. This article imposes this restriction and it is against Consititution.

An amendment of this Constitution may be initiated only by the introduction of a Bill for the purpose in either House of Parliament, and when the Bill is passed in each House by a majority of not less than two thirds of the Members of that House present and Voting, but in thls Bill the provision has been made that until all the states pass a resolution for the

discontinance of the use of English, English cannot be removed. So my objection is that giving such a right to non Hindi-speaking states is against the Constitution.

I am not against regional languages. I want that they should develop and they should be used for all purposes in the country.

By introducing this Bill discremination is being made against some States in the country. Formerly, there were Part A, Part B and Part C states, but afterwards they were abolished and all the states were given the same Status.

In this Bill special powers have been given to the non-Hindi speaking states. English cannot be discontinued unless they so desire.

The Constitution provides equal rights to all the States.

We do not support that Hindi should be imposed upon any one. With the help of this Bill, English is forcibly being imposed.

In the end I would say that we are in favour of regional languages. If the D.M.K. and other non-Hindi speaking people accept that they are prepared to remove Hindi, we are prepared to have some agreement with them.

Shri Chandrajeet Yadav (Azamgarh) :Two objections have been raised aginst this Bill, Firstly, it is against the Constitution and secondly, Parliament have not got the right to make amendments like that. In my opinion both the objections are baseless.

It was admitted, before that after fifteen years, Hindi will be the official language.

Article 348(1) A clearly states that:

"Not-with-standing anything in the forgoing provisions of this Part until Parliament by law otherwise provides:

(a) All proceedings in the Supreme Court and every High Court shall be in English language".

It has been provided in the Constitution that if the Parliament considers necessary it may make provision for introduction of Hindi or other regional languages.

This Bill is not against the Constitution. But there is provision in the Constitution that the Parliament may introduce Bill like that and amendment may be made in them. So the Bill can be introduced and it is not against the Consitution.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : सामान्यतया विधेयक की पुरःस्थापना के समय उसका कभी विरोध नहीं किया जाता, परन्तु इस विधेयक का बहुत विरोध किया गया है और इस सम्बन्ध में संविधान और कानून के बहुत से नियमों का उल्लेख किया गया है। विधेयक को पुरःस्थापित किया जा सकता है अथवा नहीं इस बात को विधि मंत्री पर छोड़कर हमे विधेयक की अच्छाइयों की ओर ध्यान देना चाहिये । 1963 में विधेयक पहले ही पास किया जा चुका है । उस समय यह शक्ति से बाहर नहीं था। यह विधेयक तो उसका संशोधन मात्र है। हमें इस विधेयक के सम्बन्ध में स्वतन्त्र और स्पष्ट विचार व्यक्त करने चाहिये । अतः मैं सदस्य और अध्यक्ष महोदय से कहूँगा कि विधेयक पुरःस्थापित किये जाने की अनुमति दी जानी चाहिये ।

श्री मनोहरन (मद्रास उत्तर) : पिछले कई वर्षों से देश का ध्यान इस ओर है । श्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में राज भाषा विधेयक पुरःस्थापित किया था और वह अधिनियम बन गया था । वर्तमान विधेयक अधिनियम में संशोधन करने के उद्देश्य से लाया गया है । यह संवैधानिक संशोधन नहीं है । इसको पुरः स्थापित किया जाना चाहिये अथवा नहीं यह सभा पर छोड़ दिया जाना चाहिये । जहां तक द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम का प्रश्न है तामिलनाड के लोग जब तक इसमें संवैधानिक संशोधन नहीं किया जायेगा, तब तक संतुष्ट नहीं होंगे । अनुच्छेद 343 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार की राजभाषा हिन्दी है और वह भी देवनागरी लिपि है । इस सम्बन्ध में अहिन्दी भाषा भाषियों की ओर से कहना चाहूँगा कि इस अनुच्छेद में संशोधन किया जाना चाहिये ।

श्री मनुभाई पटेल (डभाई) : ये केवल तामिलनाड या द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम के विचार हो सकते हैं ?

इससे समस्त दक्षिण में रहने वाले व्यक्तियों के विचारों का बोध नहीं होता ।

इस अनुच्छेद में अवश्य संशोधन किया जाना चाहिये । हम यह कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि केवल हिन्दी ही भारत की राज भाषा हो ।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : दो संवैधानिक बातों के आधार पर इस विधेयक का विरोध किया गया है । सर्वप्रथम यह कहा जाता है कि यह अनुच्छेद 343 के विरुद्ध है ।

अनुच्छेद 343 खंड (3) में कहा गया है कि :—

"इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद् उक्त पन्द्रह साल की अवधि के पश्चात् विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबन्धित कर सकेगी जैसे कि ऐसी विधि में उल्लिखित हों" ।

इस सम्बन्ध में जो दूसरी आपत्ति की गई है वह यह कि यह अनुच्छेद 246 के भी विरुद्ध है । अनुच्छेद 246 में कहा गया है कि :

"खण्ड (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी संसद् के सप्तम अनुसूची की सूची (i) में (जो इस संविधान में "संघ सूची" के नाम से निर्दिष्ट है) प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है ।

इस विधेयक द्वारा संसद् की अधिनियम बनाने की शक्ति को नहीं छीना गया है बल्कि संसद् स्वयं कानून बना रही है ।

ससद् ने ही इस बात की व्यवस्था की है कि राजकीय प्रयोजनों के लिये केवल हिन्दी को राज्यों में राजकीय भाषा बनाया जा सकता है । अतः यह संसद् की शक्ति के अन्तर्गत है ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : The Communist Party has made their policy very clear in regard to Hindi language. We do not want that Hindi be imposed forcibly upon those who do not like it. At the same time English should also not be imposed forcibly upon

Hindi speaking people. A Natinal Conference may be held for this purpose with the cooperation of all the political parties.

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : श्री राम मूर्ति द्वारा अनुच्छेद 343 के खण्ड (3) की उचित व्याख्या करने के पश्चात मेरे लिये उत्तर देने के लिये कुछ नहीं रह गया है। इस में यह उल्लेख किया गया कि 15 वर्षों के पश्चात भी संसद् को अंग्रेजी को जारी रखने के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार है।

जहाँ तक केन्द्र में हिन्दी के प्रयोग किये जाने का प्रश्न है, वह भी "इन प्रयोजनों" के के अन्तर्गत आता है। इस समय हम कानूनी शक्ति से सम्बन्धित हैं, पहले ही इस उद्देश्य से विधेयक की जांच की गई है और मैं यह कहूँगा कि संसद् इस सम्बन्ध में कानून बनाने में सक्षम है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि अब राज भाषा अधिनियम, 1963 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये। जो इस विधेयक के पुरःस्थापित करने के पक्ष में हैं वे हाँ कहें, जो इसके पक्ष में नहीं हैं वे नहीं कहें।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) मैं पुरःस्थापित करते समय ही इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसके विरुद्ध मत दे सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यदि किसी सदस्य ने विरोध की सूचना दी है तो वह.....

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने विरोध की सूचना नहीं दी है।

श्री बलराज मधोक : जब श्री रंगा ने कानूनी मसलों पर इनका विरोध किया था.....। यदि आप इसकी अनुमति न देंगे तो हमें सदन छोड़ कर जाना पड़ेगा।

Shri Yashpal Singh (Dehradun) : I gave a notice to oppose it.

अध्यक्ष महोदय : आप का नाम पुकारा गया, परन्तु आप सदन में उपस्थित नहीं थे।

Shri Kanwar Lal Gupta : Nobody has spoken as its merits. Every member has a right to oppose it at introduction stage. There is a provision for this in Rule 72.

So Shri Balraj Madhok may please be permitted to oppose it at the introduction stage of the Bill.

अध्यक्ष महोदय : इस समय नहीं। यदि आप नियम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

प्रश्न यह है :

"कि राज भाषा अधिनियम, 1963 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
Lok Sabha Divided
पक्ष में 181, विपक्ष में 25
Ayes—181, Noes—25

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बज कर सात मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Seven minutes past fourteen of the Clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair

सभा में गणपूर्ति के बारे में
Re:QUORUM IN THE HOUSE

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय आप जानते हैं कि गणपूर्ति में 10 मिनट लगे हैं। यह शासक दल का कर्तव्य है कि गणपूर्ति पूरी रखे ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप संबंधित मंत्री जी को पत्र लिख सकते थे । सदन कुछ देर में स्थगित हुआ था और इस कारण सदस्यों को भोजन के लिये और समय चाहिये था ।

न्यायालय-शुल्क दिल्ली (संशोधन) विधेयक
COURT FEES (Delhi Amendment) BILL.

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि न्यायालय-शुल्क अधिनियम, 1870, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू रूप में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये" ।

इस विधेयक का उद्देश्य 1870 के न्यायालय शुल्क अधिनियम में संशोधन करना है ।

दिल्ली में अब एक नया उच्च न्यायालय स्थापित किया है । इस विधेयक से पहले

25,000 रु० की राशि के मुकदमें जिला न्यायालय में पेश होते थे और सामान्य शुल्क लिया जाता था। इस प्रश्न की जाँच की तो पता चला कि इस धारा के अन्तर्गत उच्च न्यायालय कोई शुल्क नहीं ले सकता। सरकार की इच्छा यह नहीं है कि 25,000 रु० से अधिक राशि के मुकदमों पर कोई शुल्क नहीं लिया जाये। इसी कारण यह विधेयक लाये हैं।

सरकार को इसके न होने से 1 लाख रु० मासिक राजस्व में घाटा होता था।

यह विधेयक गैर राजनीतिक तरीका का है और आशा है कि सदन इसे पास कर देगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव है :

"कि न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू रूप में, अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : Sir, I know that thr ordinary people of the country have to go to courts and they do not get cheep justice.

I also know that on small matters the cases linger on in the Courts.

I oppose this Bill and I want that this should be withdrawn. A new Bill may be brought forward which may abolish court fees.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : महोदय दिल्ली में एक उच्च न्यायालय स्थापित करके सरकार ने व्यय में बढ़ोतरी की है। आजकल बचत की आवश्यकता है और यह उसके विरुद्ध है।

दूसरी बात यह है कि इसके द्वारा न्यायालय शुल्क बढ़ा दिया गया है यह भी ठीक नहीं है।

तीसरा प्रश्न यह है कि सरकार ने अध्यादेश पहले पास किया और इतने समय बाद इसे नियमित करने के लिये विधेयक लाये हैं। क्या कारण है कि इसे लाने में इतनी देर कर दी है ?

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : The cases in Delhi Courts are pending for the last so many years. The Justice for the poor people is very costly. The language of the courts is still English when ever the ordinary people in Delhi do not know that language. I want the proceedings in Courts to be conducted in Hindi.

There is so much of corruption in Courts and ordinary people are victims of that.

I would request the Hon. Minister to lessen the Court fees. The Cases should not take long to finish off.

Shri George Fernandes (Bombay South) : Sir, I am opposing this Bill as it will add to the burden on the people.

About the proceedings of the Court in English language, I support Shri Kachwai that it should be in Hindi.

There are thousands a cases pending in Courts, I know of Bombay High Court. Where about 20,000 cases are pending for the last five years and more. The big and moneyed people harass the poorer people by taking cases to Supreme & High Courts. Where they linger on for years and the poorer people have to suffer as a result thereof.

I want people to get quick justice.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri V. C. Shukla) : Sir, I agree with some of the arguments put forward by some of the Hon. members. I

also agree that justice should not be costly. It is for this purpose that we have appointed the Law Commission to go into such Commissions.

The matter of Court fees has also been raised. The imposition of Court fees is to protect the poorer people from the rich who in the absence of any fees will launch prosecution against the poorer people on trivial grounds. Hence the fee goes in favour of the poorer people.

The rate of Court fee is different in different states. In Delhi it is Rs. 50.

The Law Commission will go into other aspects of the problem pertaining of justice to the poorer people.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि न्ययालय-शुल्क अधिनियम, 1870, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू रूप में, अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2,3,4 तथा 5 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 2,3,4 तथा 5 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 2, 3, 4 and 5 were added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 1, the **Enacting Formula and the title were added to the Bill.**

श्री विद्याचरण शुक्ल : मै प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये" ।

उपध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Mr. Deputy Speaker, normally it takes very long for the disposal of cases in Higher Courts. Seven to eight years are consumed in only hearing. It also happens that a person may not have his case finalised duringh his life time. In Allahabad and other High Courts from 20,000 to 30,000 cases are still pending. About Bombay High Court my friend Shri Fernandes gave a very lucid picture. I therefore want the Hon. Minister to tell the House what he is going to do to get these cases lying in arrears disposed of.

Similarly we find that the appointment of judges even to High Courts is done on political considerations. This was borne out by a recent speech of the Chief Minister of U.P. Where there is a non-Congress Government. This should not be so.

Shri V. C. Shukla : Sir, I may say that shortage of Judges may at the most be only one of the reasons for the arrears in Courts. The main reason is the complications in the laws .

Shri Hukam Chand Kachwai : The justice should be available at early date to people and the language of the Courts should be the one intelligible to the ordinary litigants. It should be in Hindi language.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सूत कपड़ा कम्पनियाँ (उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था तथा परिसमापन अथवा पुनः स्थापन) विधेयक

COTTON TEXTILE COMPANIES (MANAGEMENT OF UNDERTAKINGS AND LIQUIDATION OR RE-CONSTRUCTION) BILL.

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ;

"कि जनहित में कतिपय मामलों में सूती कपड़ा कम्पनियों के परिसमापन के लिये, उनके उपक्रमों को चालू रखते हुए, अथवा सूती कपड़ा कम्पनियों के पुनः स्थापन तथा तत्संबंधी विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"।

कपड़ा उद्योग हमारे देश में बहुत ही पुराना उद्योग है । पुराने समय में बहुत से विदेशी तो यहाँ आए भी यहां के कपड़ा उद्योग के कारण । बहुत ने अच्छे कारीगरों को जो बहुत अच्छा कपड़ा बनाते थे, उन्हें अपनी कला के कारण बड़ी हानि उठानी पड़ी । इस उद्योग के कारण बहुत से लोगों को बड़ा लाभ भी हो रहा है ।

आज हमारे पास 618 मिलें हैं जिन्हें बड़ी मेहनत से बनाया है । इनमें बहुत से मिल तो बड़े पुराने हैं, उनकी मशीनरी बड़े पुराने ढ़ंग की है तथा वह नवीनतम नहीं कही जा सकती । इस उद्योग में 9 लाख व्यक्तियों को काम मिला हुआ है । इसके कारण अन्य और उद्योग चल रहे हैं और इस प्रकार कुल मिलाकर 60 लाख व्यक्तियों को काम मिला हुआ है । इसके साथ ही कपड़ा-उद्योग को कच्चा-माल देने के लिये कृषकों को भी कार्य मिला हुआ है । इस कारण इस उद्योग का बहुत महत्व है ।

कुछ व्यक्ति कहते हैं कि सरकारी क्षेत्र के कारखाने ठीक प्रकार नहीं चल रहे । परन्तु कपड़ा उद्योग एक ऐसा उद्योग है जहाँ गैर-सरकारी क्षेत्र हैं और उसके कारण यह उद्योग नीचे गिरता जा रहा है । हमें इस उद्देश्य को पुनः अपनाना पड़ेगा ।

जापान अपने उद्योग के नवीनकरण के लिये 27.7 करोड़ डालर व्यय करने वाला है। इसी प्रकार ब्रिटेन 3 करोड़ पौंड व्यय कर रहा है। हमारे यहाँ भी नवीनकरण के लिए बहुत रुपया चाहिए। इसका अनुमान 550 करोड़ से 1000 करोड़ रुपया तक है।

लाभ के बारे में यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि 1960-61 में कपड़ा उद्योग में 13.7 % लाभ हुआ जब कि अन्य सब उद्योगों में औसत रूप से 10.9 % लाभ हुआ। परन्तु 1965-66 में यह लाभ गिरकर 3.7 % रह गया। अन्य उद्योगों में यह लाभ उस वर्ष 8.3 % था। इससे पता चलता है कि कभी इसमें अन्य उद्योगों से भी अधिक लाभ हुआ और कभी कम लाभ हुआ।

कुछ मिलों को जोकि बहुत घाटे में जा रहे थे, सरकार ने अपने नियन्त्रण में ले लिया और बाद में उनको ठीक रूप से चलाया तो लाभ होने लगा और उन्हें उनके मालिकों को वापस कर दिया।

इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि यदि सरकार समझे कि कोई मिल मालिक अपने मिल के सारे लाभ को अपनी जेब में रख रहा है और नवीनकरण पर कुछ व्यय नहीं करता अथवा मिल की स्थिति खराब हो रही है तो सरकार उसे अपने नियन्त्रण में ले ले। बाद में यह सरकार के हाथ में होगा कि उसे स्वयं चलाये अथवा उसके मालिक को वापिस करे।

मिलों के परिसमापन के बारे में विधेयक में दिया हुआ है। इसी प्रकार पुनः स्थापन के बारे में भी दिया हुआ है। पुनः स्थापन की स्थिति में सरकार ही निदेशकों का बोर्ड गठित करेगी।

जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ सरकार एक कपड़ा निगम बनाने जा रही है। इसके द्वारा सरकार के पास इस उद्योग के जानकार होंगे जो मिलों को ठीक प्रकार से चला सकें।

सरकार निगम तथा प्रबन्धकों को जिस मिल को चलाने के लिये कहेगी उसका काम उसे चलाना है। दूसरी बात यह है कि यह निगम सरकारी क्षेत्र में अपनी मिलें स्थापित करेगा। निगम का तीसरा काम हम यह सोच रहे हैं कि मिलों का आधुनिकीकरण करने के सम्बन्ध में धन देने के लिये एक एजेंसी स्थापित की जाए। इस समय बहुत सी संस्थाएँ धन दे रही हैं। हमने यह विधेयक काफी ध्यानपूर्वक तैयार किया है और यह कपड़ा उद्योग के लिए तथा इस उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा।

महोदय, मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री नन्दकुमार सोमानी (नागौर) : सरकार ने इस विधेयक में कोई नया दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। मंत्री महोदय ने जो बातें कही हैं वे आज से 15-20 वर्ष पहले की परिस्थितियों के अनुरूप हो सकती थीं। इन बातों से यह प्रतीत होता है कि सरकार को सत्ता का लोभ है और इस षडयन्त्र में वे दफ्तरशाह भी शामिल है जो यह चाहते हैं कि उनका शासन चलता रहे।

आज कपड़ा उद्योग पर सबसे गम्भीर आरोप, यह लगाया जा रहा है कि वे अपना धन बेकार खर्च करते हैं और भारी मात्रा में लाभांश दिए जाते हैं जिससे वह धन-राशि उद्योगों के आधुनिकीकरण में नहीं लगायी जा सकती। परन्तु यदि लाभांश देने के लिए न हों और कपड़े की मिलों से जो लाभ होता है, उसमें से वेतन और मजदूरी न दी जा सके तो मिल मालिक फिर से पूंजी कैसे लगायेंगे ? क्योंकि पूंजी लगाने के लिये फालतू धन नहीं होगा। वास्तव में कपड़े की मशीनरी के निर्माताओं को बहुत ही सीमित क्षेत्र की सहायता करने के स्थ न पर सरकार को ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था जिससे कपड़ा उद्योग के कार्य तथा लाभ की स्थिति में सुधार करने में मदद मिल सके। यह कहा गया है कि कपड़ा मिलों को कानूनी रूप से बदलने से सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मेरे विचार में यह बात ठीक नहीं है। इस सम्बन्ध में इण्डिया यूनाइटेड मिल्स का उल्लेख किया जा सकता है जिसका प्रबन्ध कई वर्षों से अधिकृत नियन्त्रक के हाथ में है और बम्बई में इन मिलों के समुदाय को 15 लाख रुपए प्रति मास का घाटा हो रहा है। यही बात महबूबशाही मिल्स की कम्पनियों के सम्बन्ध में कही जा सकती है। यह तो सबसे भद्दा उदाहरण है क्योंकि ये मिलें बन्द हो गई हैं। सरकार ने इन मिलों को कई प्रकार की सुविधाएँ भी दी थी फिर भी उनके कार्य-संचालन तथा कर्मचारियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।

इस सभा में मार्च के महीने में इस विषय पर चर्चा की गई थी। उस समय मैंने वाणिज्य मंत्री से कहा था कि उन्हें कमजोर मिलो की सहायता करनी चाहिए और इन कमजोर मिलों में लगभग आधी दर्जन मिलें और बन्द हो गई हैं। वाणिज्य मंत्री को अब उन मिलों का कार्यभार सम्भाल कर उनमें अधिकृत नियन्त्रकों को नियुक्त करना होगा। जब हम इस बात से चिन्तित हैं कि हमारे निर्यात में कमी हो रही हैं और हम यह समझते हैं कि इस उद्योग में कार्य करने वाले लाखों कर्मचारियो के रोजगार का प्रश्न है और जब शेयर होल्डरो का इसमें धन लगा हुआ है तो हमें इस सम्बन्ध में अनुकूल तथा यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

बम्बई में एक गोष्ठी हुई थी जिसमें कपड़ा उद्योग से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों ने भाग लिया और उन सबने एक मत से यह सिफारिश की थी कि इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए समय पर वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। ये कठिनाइयाँ उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाने, उत्पादन-शुल्क अधिक बढ़ जाने और लोगों की क्रय-शक्ति में कमी हो जाने के कारण पैदा हुई हैं उस गोष्ठी में सिफारिश की गई थी कि इस उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए 600 से 800 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

कुछ मिलें ऐसी भी हैं जो अच्छी किस्म का कपड़ा तैयार करती है और जिनका बनाया कपड़ा निर्यात किया जाता है। वे अच्छी प्रकार से चल रही हैं। परन्तु दुर्भाग्य से इन मिलों के साथ भी वही व्यवहार किया जाता है। जो कमजोर मिलों के साथ किया जाता है। गत एक वर्ष के दौरान उत्पादन की लागत में 16 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले में सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में उसका 4.5 प्रतिशत दिया है और 4.5 और 16 प्रतिशत में या उससे

भी आगे का जो अन्तर है वह भण्डारों में जमा माल वेतनों, मजूरी और जीवन निर्वाह के सूचकांक में वृद्धि तथा बहुत-सी अन्य बातों के कारण जारी है उसका बोझ कपड़ा उद्योग पर अभी बना हुआ है। बम्बई में जो गोष्ठी हुई थी उनमें 600 से 800 करोड़ रुपये की सिफारिश की थी जबकि उन्हें केवल 25 या 30 करोड़ रुपया मिला है। इस सम्बन्ध में गोष्ठी में यह सिफारिश की गई थी की प्रस्ताविक वस्त्र निगम को कमजोर मिलों का कार्य-भार सम्भालने पर ध्यान न दे कर उनकी तकनीकी कठिनाइयों का पता लगाना चाहिये और कम ब्याज पर अर्थात 6 प्रतिशत ब्याज पर धन उपलब्ध करने की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे वे मिलें अपना कार्य नियमित रूप से कर सकें और अपना माल प्रतियोगी मूल्यों पर बेच सकें।

अवमूल्यन के बाद हमारे निर्यात में कमी होने का कारण यह है कि वाणिज्य मंत्रालय बिलकुल अयर्थाथवादी नीति का अनुसरण कर रहा है। वह संसार के बाजार की बदलती हुई परिस्थितियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। यदि समय पर कोई कार्यवाही न की गई तो निर्यात के मामले में श्रीलंका, पाकिस्तान, मलयेशिया तथा हमारे अन्य पड़ोसी देश हमसे आगे निकल जायेंगे। श्रीलंका ने चाय के मामले में पिछले वर्ष ऐसा ही किया था। यदि सरकार यह महसूस करती है कि वस्त्र उद्योग इस देश का मुख्य एवं बुनियादी उद्योग है जिस पर लाखों कर्मचारियो का जीवन निर्वाह निर्भर है और यदि वे चाहते हैं कि निर्यात की स्थिति में सुधार हो तो उन्हें वित्तीय विनिययों के सम्बन्ध में इसे प्राथमिक उद्योग घोषित करना चाहियें और इस उद्योग को भी सभी प्रकार की सुविधाएँ जुटानी चाहिये।

अब प्राधिकृत नियंत्रक को असाधारण शक्तियाँ दे दी जायेंगी। मेरे विचार में यह अच्छा होता यदि शेयर होल्डरों और कम्पनी के सदस्यों की इच्छा का अधिक ध्यान रखा जाता और उन्हें प्राधिकृत नियंत्रक के स्वविवेक पर नहीं छोड़ देना चाहिये।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : वस्त्र उद्योग को हम लोगों ने बड़े-बड़े बलिदान देकर जीवित रखा है परन्तु इस उद्योग के बड़े-बड़े व्यापारियों ने सदा भारी लाभ अर्जित किया है। परन्तु वे तो वैध लाभ हैं और हम जानते है कि इसके अतिरिक्त छिपा धन भी काफी है। इस देश में जितना छिपा धन है वह अधिकतर वस्त्र उद्योग से आया है।

[**श्री मनोहरन पीठासीन हुए**
Shri Manoharan in the Chair]

मैंने स्वयं कई हडतालों का संचालन किया है और मुझे यह अच्छी प्रकार से पता है कि प्रबन्धक वर्ग द्वारा बताये गये आंकड़े ठीक नहीं होते इसलिये मैं इन खातों की परवाह नहीं करता। यह ठीक है कि कुप्रबन्ध के कारण देश में बहुत सी मिलें बन्द हो गई हैं। परन्तु यह कुप्रबन्ध कैसे हुआ ? मद्रास में प्रबन्धक ऐजेन्टों ने मिल का ऐसा खराब प्रबन्ध किया कि वे कानूनी तौर पर की जाने वाली अदायगियों को भी अदा नहीं कर सकते [वे कानूनी तौरपर की जाने वाली आदयगियों को अदा करने से इन्कार करते हैं] हालाँकि इन अदायगियों को अदा न करने से गलत ढंग से लाखों रुपये एकत्र हो जाते हैं, भारत सरकार उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करती। यह कानूनी रूप से विश्वासघात है।

मंत्री महोदय ने वचन दिया था कि एक निगम स्थापित किया जायेगा। मैंने यह सोचा था कि जो मिलें दोषी है उनका कार्यभार सम्भालने के लिये कुछ कार्यवाही की जायेगी। परन्तु इस विधेयक में किस बात का उल्लेख किया है? इस में लिखा हैं कि किसी उद्योग या कपड़े की मिल का कार्यभार उद्योग (विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत सम्भाला गया है। हमें पता है कि इस अनिनियम के अधीन किस प्रकार कार्य होता है, कपड़े के किसी मिल का कार्यभार सम्भालने के लिये कितने महीने लगते हैं। कई बार कई महीनों तक मिलें बन्द पड़ी रहती हैं हमारे राज्य में ही कितनी मिलें बन्द हो गई हैं मद्रास के मुख्य मंत्री ने वाणिज्य मंत्री से इन मिलों का कार्यभार सम्भालने के लिये प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की गई थी परन्तु इन तरीकों से काफी समय लगता है। इसलिये सर्व-प्रथम उद्योग (विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत कपड़ा मिलों का कार्यभार सम्भाल लेना चाहिये और उसे चलाना चाहिये यह पहली शर्त है। उसके बाद सरकारी अधिकारी सिफारिश करेगा या प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। फिर वाणिज्य मंत्रालय उस पर अपना समय लगायेगा। यदि सरकार परिसमापन की कार्यवाही करती है तो वह केवल बिक्री का न्यूनतम मूल्य निश्चित कर सकती है और यदि कोई इससे अधिक मूल्य देता है तो वह उस व्यक्ति को दे दी जायेगी। यदि कोई अधिक मूल्य नहीं देता तो भारत सरकार उस मिल को न्यूनतम मूल्य पर ले लेगी। यह बात भी उच्च न्यायालय की स्वीकृत से होगी। इस प्रकार इस कार्यवाही में कई वर्ष लग जायेंगे। इसलिये मंत्रालय की यह शेखी गलत है कि परिसमापन की यह कार्यवाही कपड़ा उद्योग के राष्ट्रीयकरण की दिशा में एक कदम है एक बार परिसमापन की कार्यवाही आरम्भ हो जाने के बाद यह पता नहीं चल सकता कि उस का क्या परिणाम निकलेगा।

दूसरी बात यह है कि यदि यह कार्यवाही नहीं की जाती है तो सरकार को कम्पनी के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में एक योजना तैयार करनी चाहिये। परन्तु सरकार का यह कहना है कि कम्पनी के पुनर्निर्माण के बारे में भी कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनसे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि इन मिलों का नियंत्रण सरकार के हाथों में आ जायेगा। सरकार इस बात का भी आश्वासन देने के लिये तैनार नहीं है कि जो लोग कम्पनी में इस समय कार्य कर रहे हैं वे सरकार द्वारा उस कम्पनी का कार्यभार सम्भाले जाने के बाद भी कार्य करते रहेंगे। उनके रोजगार की भी कोई गारन्टी नहीं दी जा रही है। फिर इस विधेयक में इस बात की भी व्यवस्था है कि उन्हें नौकरी से निकालने के लिये भी नोटिस दी जा सकती है और उन्हें औद्योगित विवाद अधिनियम के अनुसार क्षतिपूर्ति देकर उनको मुक्त किया जा सकता है। जहाँ प्रबन्धक वर्ग ने काफी घोटाला किया हुआ है वहाँ भी इस बात का आश्वासन नहीं दिया जाता कि उनके काम करने की शर्तें वही बनी रहेंगी। इस बात की भी कोई गारन्टी नहीं है।

यह कुप्रबन्ध दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और इस विधेयक के अन्तर्गत उसका कोई उपचार नहीं किया गया जिससे श्रमिकों अथवा जनता का हित हो सके। मिल मालिक केवल अपने लाभ को दृष्टि में रखते रहे हैं और अपनी जेबे भरते रहें। गत 12 वर्षों में सरकार के समर्थन से कपड़ा मिलों के मालिकों ने केवल अपने मुनाफे का ध्यान रखा है और जनता की ओर कभी

ध्यान नहीं दिया । इसके अतिरिक्त अब वे कह रहे हैं कि हमें सरकारी कोष से सहायता दी जाये । ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिये था कि एक विधेयक पेशकर के कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीकरण किया जाता और यदि किसी कारण से सरकार ऐसा नहीं करना चाहती तो उसे हमें बुलाना चाहिये था ताकि हम सब मिलकर कोई तरीका निकाल लेते । परन्तु ऐसा नहीं किया गया। मैं समझता हूँ कि जिन मिलों में कुप्रबन्ध है, उन्हें जब्त कर लिया जाना चाहिये और मालिकों को कोई प्रतिकर नहीं दिया जाना चाहिये । उन्होंने सार्वजनिक धन को लूटा है, इसलिये उन्हें जेल भेजा जाना चाहिये । इसलिए उन मिलों को बारे में यह सिद्ध हो गया है कि वहाँ कुप्रबन्ध हैं उन्हें सरकार द्वारा जब्त किया जाना चाहिये और यदि सरकार उन्हें जब्त नहीं करना चाहती तो उसे कम से कम उनका नियंत्रण तो अवश्य अपने हाथ में ले लेना चाहिये । यह उपांय जो पेश किया गया है, इससे श्रमिकों को कोई लाभ नहीं होगा, अपितु इससे उन्हें उल्टी हानि होगी, क्योंकि वे लोग सोचेंगे कि सरकार श्रमिकों के हितों पर गम्भीरता से विचार कर रही है और वास्तव में होगा कुछ नहीं । सरकार के लिये यही उचित है कि इस विधेयक को वापस लिया जाये तथा हमसे विचार विमर्श करके इसके स्थान पर दूसरा उपयोगी विधेयक लाया जाये ।

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : सभापति महोदय, एक ओर तो सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने कोई कार्यवाही नहीं की है और दूसरी ओर कुछ व्यक्तियों द्वारा सरकार पर कुछ कार्यवाही करने का आरोप लगाया गया है । सामान्यतः ऐसी स्थिति में यही होता है कि कुछ लोग सरकार पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाते हैं और कुछ लोग उस पर कुछ कार्यवाही करने का आरोप लगाते हैं । हमें देखना यह है कि क्या यह उपाय किया जाना चाहिये था । इस दृष्टि से मैं यह कहना चाहता हूँ कि यद्यदि यह विधेयक देर से लाया गया है, तथापि यह सही दिशा में एक कदम है, क्योंकि गत 20 वर्ष में इस उद्योग की दशा नहीं सुधरी है ।

श्री सोमनी ने यह सन्देह प्रकट किया है कि यदि उस उद्योग को सामन्तशाही के हाथ में सौप दिया गया, तो इसका सुधार नहीं होगा । मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य ने सन्देह प्रकट किया हैं, वह उचित है क्योंकि इस उद्योग के प्रति सामन्तशाही का जो रवैया रहा है, वह सहायक सिद्ध नहीं हुआ है, और यदि कपड़ा मिलों को सामन्तशाही के हाथ में छोड़ दिया गया, तो उनका सुधार नहीं होगा । मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कपास की उपलब्धता में कठिनाई रही है । परन्तु इस बात के स्वीकार करने के बाद भी कपड़ा उद्योग पर जो यह आरोप लगाया गया है कि जनता की माँग होते हुए भी भारत में कपड़ा उद्योग आर्थिक दृष्टि से अलाभप्रद रहा है, इसे दूर नहीं किया जा सकता है । यह एक अलग बात है कि गरीबी तथा वर्षा न होने के कारण कपड़े की उतनी मांग न रही हो, जितनी पहले थी, परन्तु कपड़े की पर्याप्त माँग तो रही ही है, क्योंकि जन साधारण के लिये कपड़ा और भोजन दोनो अत्यावश्यक वस्तुएं है और वह कपड़ा तो अवश्य ही खरीदेगा, जब तक कि इसके दाम बहुत ज्यादा न कर दिये जायें । इसके अतिरिक्त एक परस्पर विरोधी बात और है । एक ओर तो कपड़ा उद्योग यह माँग करता रहा है कि मोटे कपड़ें के दाम बढ़ा दिये जायें और दूसरी ओर कहता रहा है कि उत्पादन शुल्क में वृद्धि न की जाये । उत्पादन शुल्क का भार वास्तव में जन साधारण पर पड़ता है ।

उत्पादन शुल्क का मूल्य जन साधारण को चुकाना पड़ता है। इसलिये पूँजीमूलक प्रणाली गैर सरकारी उद्यम द्वारा प्रस्तुत किये गये इस तर्क को कि मोटे कपड़े के मूल्य में वृद्धि की जाये और उत्पादन शुल्क में वृद्धि न की जाये, कभी भी नीतिसंगत नहीं कहा जा सकता।

कपड़ा उद्योग के पतन का एक कारण यह है कि उद्योगपतियों ने अधिक धन कमाने की इच्छा से इस उद्योग से पूंजी निकाल कर दूसरे ऐसे उद्योगो में लगादी है, जिनसे उन्हें अधिक मुनाफा होता है। इसके परिणामस्वरूप बहुत सी कठिनाइयाँ पैदा हुई हैं। जब कि मिल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत मुनाफा कमा रहे हैं, कुछ मिल ऐसे हैं जिनके मुनाफे का स्तर बहुत कम है और मंदी आदि के कारण उन्हें बहुत हानि हुई है। इसलिये ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि सरकार इस उद्योग में प्रवेश करें।

जो कारखाने सार्वजनिक नियंत्रण में लिये गये हैं, उन्हें नये निदेशक बोर्डों को सौंपना हमारी नीति में एक नया परिवर्तन है। वास्तव में लोहा तथा इस्पात के बारे में ऐसा किया जाता रहा है, परन्तु सोचना यह है कि क्या इन कारखानों को भी ऐसे निदेशक बोर्डों को सौंपना उचित होगा। यह आवश्यक है कि हमें ये कारखाने चलाने के लिये सामन्तशाही पर निर्भर नहीं रहना चाहिये।

हम ने इस बात को स्वीकार किया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र भी हमारी अर्थ व्यवस्था का एक अंग है। अतः यदि गैर-सरकारी क्षेत्र को रहना ही है, तो हमें सरकारी क्षेत्र में भी गैर-सरकारी क्षेत्र के व्यक्तियों को शामिल करना चाहिये और उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि उन बड़े बड़े उद्योगपतियों को इसमें शामिल किया जाये, जिन्हें हम "टाइकून" कहते हैं, अपितु मैं कहना चाहता हूँ कि उन व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिये जिनकी अवस्था समाजवाद स्थापित करने में है, जिन का दृष्टिकोण प्रगतिवादी है तथा जो यह चाहते हैं कि गैर सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र का भी विकास हो। हमें प्रगतिवादी व्यापारियों तथा अन्य व्यक्तियों को जो गैर-सरकारी क्षेत्र से सम्बन्धित हैं, इस में शामिल करना चाहिये, क्योंकि मैं समझता हूँ कि समान्तशाही को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है।

हमें यह भी देखना है कि सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में स्वस्थ्य प्रतियोगिता है। उद्योगपतियों पर यह आरोप लगाया गया है कि उनका रवैया सन्देह पूर्ण रहा है। मैं स्वयं प्रगतिवादी होने के नाते यह समझता हूँ कि आरोप निराधार नहीं है। इस लिये सरकार को चाहिये कि वह इस क्षेत्र में प्रवेश करे और इन कारखानों का नियंत्रण ईमानदार व्यक्तियों के हाथ में सौंपे। इससे सचाई का पता लग जायेगा। इन कारखानों का नियंत्रण ऐसे व्यक्तियों के हाथ में नहीं सौंपा जाना चाहिये, जो बड़े-बड़े उद्योगपतियों से मिले हुए हैं।

मंदी एक अस्थायी घटना है, परन्तु इससे हमें एक शिक्षा मिलती है। देश में जब कि एक ओर कुछ उद्योगों में फालतू क्षमता बेकार पड़ी है, दूसरी ओर कुछ उद्योगों में आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो रहा है तथा देश की उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है जिस के परिणामस्वरूप बेरोजगारी आदि फैली हुई है। हमें चाहिये कि देश की उत्पादन क्षमता

का पूरा उपयोग करें। इंजीनिरी उद्योग में हम देश में कुछ करके बना सकते हैं और उन्हें कारखानों को दे सकते है। यदि हमारी उत्पादन लागत अधिक पड़ती है, तो हमें इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिये। उत्पादन लागत हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये, क्योंकि हमारी अर्थ व्यवस्था ही इस प्रकार की है। यह सच है कि लागत अथवा वित्त की दृष्टि से देश में करघे बनाना महगा पड़ेगा, परन्तु इससे इंजीनियरी उद्योग की इस क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा, जो बेकार पड़ी है और उन श्रमिकों को रोजगार मिल सकेगा, जो बेरोजगार बेठे हैं। इन करघों को उन मिलों को दिया जा सकता है, जो उत्पादन बढ़ाने में हमें उचित सहयोग दें।

इस समस्या का हल मूलतः कारखानों की कार्यप्रणाली में सुधार करने तथा उनका आधुनिकीकरण करने में है। हमारे मिलों को आर्थिक दृष्टि से लाभ प्रद होना चाहिये तथा उन में प्रतियोगिता की क्षमता होनी चाहिये। कोई उद्योग तभी जीवित रह सकता है, जब वह आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हो, परन्तु हमारा कपड़ा उद्योग आर्थिक दृष्टि से लाभ प्रद नहीं रहा है। जहाँ तक सरकार की वाणिज्यिक तथा आर्थिक नीति का सम्बन्ध है, सरकार द्वारा बढ़िया कपड़े के उत्पादन पर कभी कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। हमें इस दशा में भी कुछ करना चाहिये। हो सकता है ऐसा करने में हमारे रास्ते में कुछ कानूनी रुकावटें हो, परन्तु हमें उन्हें दूर करना होगा। हमारे देश में बहुत किस्म के कपड़े बनाये जाते हैं और भाँति-भाँति की किस्मों के कपड़े की हमारी भूख बढ़ती जा रही है। हमारा मध्यवर्ग अजीब तरह से रहता है और उसे अलग से अलग किस्म का कपड़ा चाहिये। हमें हजारों किस्म के कपड़े की आवश्यकता नहीं है। सरकार को चाहिये कि वह इस बारे में प्रतिबन्ध लगाये।

हमें 80 अथवा 90 करोड़ रुपये के कपड़े का निर्यात करने के लिये 50 अथवा 60 करोड़ रुपये की कपास का आयात करना पड़ता है। जहां तक हमारे निर्यात के आंकड़ों का सम्बन्ध है, मुझे इस बात में सन्देह है कि हमारे निर्यात के आंकड़े शुद्ध हैं, क्यों विदेशी मुद्रा कमाने के लिये हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। मैं समझता हूँ कि यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ परन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि हमें उसके सब पहलुओं पर अच्छी तरह से गौर की जानी चाहिये। मिलों की स्थिति सुधारने के बाद उन्हें पुनः गैर-सरकारी क्षेत्र को नहीं सौंपा जाना चाहिए अपितु जनता को स्वीकार्य शर्तों पर अत्यावश्यक वस्तुएं देने के लिये सरकार को कपड़ा उद्योग में अपना स्थान बनाना चाहिये।

Shri Brij Bushan Lal (Bareilly): Mr.Chairman, I oppose the Cotton Textile Companies (Management of Undertakings and Liquidation or Reconstruction) Bill presented by the Hon. Minister to the House. While presenting this Bill the Hon. Minister has tried to show that this measure has been brought to save the interests of labour. He has also stated that certain mills are likely to be closed. It is obivous if the cotton textile mills are closed the production of cotton cloth will automatically go down.

Now the question arises as to why these cotton textile mills have been running in loss. The mills which are in financial difficulty have been requesting the Government for last many years for financial assistance, but no attention has been paid to their request in all these year, despite the fact that there is National Industrial Development Corporation which helps such mills on behalf of Government.

I want to know from the Hon. Minister as to why no attention has been given to the declining production and financial difficulties of these mills, and why no financial help was given to them.

The main reason of the decline in the production of cloth is that taxes have been increased many times and as a result of this heavy increase in duty the cost of production is going up day by day. Now it was natural for our exports to decline, because our cost of production has increased too much that we are unable to compete with other cloth exporting countries in the world market. So it is obvious that Government is responsible for all this disaster. I think this problem will not be solved by getting this bill passed and taking over the powers by Government, which are contemplated in this Bill.

So far as the question of mismanagement is concerned, I want to point out that under the present Industrial Act Government is fully empowered to interfere in the management of those mills which are mismanaged Government is empowered under the said Act to suggest improvements in the management of sick mills and get them implemented. But nothing has so far been done by Government. Now by passing this bill Government wants to have the power of compulsory liquidation or reconstruction of those cotton textile mills which are mismanaged or financially weak. The main reason put forward by Government in support of this Bill is that they want to arrest the fall in production of cloth. But I want to point out if the process of compulsory liquidation laid down in this bill is followed it will take such a long time, that it would not be possible for Government to arrest the decline in production and the very purpose of this bill will be defeated.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Secondly I would like to point out that compulsory liquidation will not serve any useful purpose. It is evident from the Public Sector Undertakings that Government is unable to run any industry on profit. The fact that we are suffering continous loss in Government Undertaking which are completely under Government control proves that Government will not be able to run this industry on profit. In my opinion the condition of cotton textile mill will further deteriorate, if they are taken by Government in its control.

I would again stress the point that Government take over of these mills will not serve any useful purpose, because the private enterpriser takes great pains and interest in running. his industry on profit, where as this interest is lacked when it is taken over by Government. If you are really interested in improving the condition of textile mills, then I suggest that a conference of the management there, their labour representatives and the experts in this line should be called and thier problems should be considered sympatheticaly. Loans should be given to those mills which need them; the draw backs of the managements should be removed and other facilities should be given to the to improve their conditions. This is the way how you can help this industry. The Hon Minister has stated that modernisation and rehabilitation of these mills would be uudertaken and a sum of 550 crores to 1000 crores would bey required for this purpose. I fail to understand as to from where this huge money would be provided for, when Government is already short of funds and its budget is in deficit. So it would be better to help the mills financially and otherwise instead of taking over them.

It has been stated in the bill that Government would take action on the report of an authorised person, but it has not been defined any where in the bill as to who is that authorised person is. It is necessary to give clear definition of the authorised person in the bill.

Due to above reasons I oppose this bill.

Shashibhushan Bajpai (Amethi): Mr. Deputy speaker, the textile industry is an old industry of India. But it has not progressed much. In this connection I would like to say a few words about those who own this industry. The textile industry in India was mostly set up by those who are engaged in stock exchange or commission agent business. The main aim of their setting up this industry was to earn more and more profit. They have been successful in thier object. They have made enormous wealth from this industry. In every country of the world a hugh portion of the profit is spent on the research and development of the industry, but nothing was done in this regard in India, because the aim of Indian iudustrialists was to earn more and more money and they had no regard for the development of the industry. The result was that this industry could not make any head way. This is not all, they also deprived the cultivators of their proper due because they have the control over cotton prices. They have also made huge money in their stock exchange business and the main aim of their running this industry was to make profit in stock exchanges. I am petty sure that had they no opportunity of carning money from the other source, they would not have run this industry. Now they have shifted to other industries, which are more profitable. It is a fact that they have earned huge profits in this industry and India is one of those countries which has been able in earning the highest profit in this country, but they have left this industry, because the other industries are mroe profitable to them and their motive is profit only and nothing else. They have no regard for their industry. It may go to dogs, they are not bothered for that.

Government has always been giving protection to mill owners only and they never bothered for the labour. In every measure which was enacted protection was given to the industrialists. The Indian labour is cheapest in the world and he has laboured hard for the profit of his mill owner. It is only due to his hard labour that the mill owners have made crores of money. But even then these mill owner shifted to other industries leaving their old industry and the labour in the lurch, because the new industry was more profitable to them. Indian industrialists have never helped in country in hour of need. Their only motive has been profit and nothing else. I charge these people to be responsible for our present bad state of economy.

The industrialists are responsible of the devaluation of our rupee. They depended more and more on foreign collaboration, but at the same time they never bothered for the development of research in their industry, so that their industry may improve. No researh centre was ever opened any where. Their main aim was profit. All this contributed to adverse effect on our economy which ultimately lead to devaluation.

So far as the question of modernisation is concerned it is a right step in right direction and it should be properly implemented with the cooperation of labour and co-operative societies.

If Government succeeds in improving the condition of those mills which are going to be taken over, I think it would be a good lesson to those industrialisis whose only motive has been profit.

श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई मध्य दक्षिण) : मैं यह समझने में असमर्थ रहा हूँ कि इस विधेयक का वास्तविक उद्देदय क्या है। यदि इस विधेयक में यह दावा किया गया है कि इससे कपड़ा उद्योग का सुधार होगा तथा कपड़ा मिल मजदूरों की बढ़ती हुई बेरोजगारी रुकेगी, तो मैं समझता हूँ कि यह विधेयक इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकेगा ।

इस विधेयक को लाने के औचित्य को सिद्ध करने के लिये जो विवरण दिया गया है उसमें बहुत सी गलत बातें हैं तथा उससे सही बातों का पता नही चलता । विवरण में कहा गया है कि कपड़ा उद्योग एक महत्वपूर्ण है । मैं स्वीकार करता हूँ कि यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, क्योंकि देश का प्रत्येक उद्योग महत्वपूर्ण है । उसमें ही क्या विशेषता है । विवरण में

आगे कहा गया है कि इस से बहुत सी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है । परन्तु यह सच नहीं है। यह एक गलत बात है । भारत सरकार द्वारा दिये गये आंकड़ों से ही यह सिद्ध होता है कि कपास तथा मशीनें आदि खरीदने पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है वह उस विदेशी मुद्रा से कहीं अधिक है जो कपड़ा उद्योग द्वारा कमाई जाती है। विवरण में दी गई यह बात कि आधुनिकीकरण की कमी के कारण कपड़ा उद्योग की दशा खराब होती जा रही है, गलत है । यदि हम गत वर्ष कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में किये गये अध्ययन के आधार पर प्रकाशित "कपड़ा उद्योग में बड़ी कम्पनियों का एक अध्ययन" नामक पुस्तिका को देखें तो हमें ज्ञात होगा कि गत इन मिलों को कुल मुनाफा लगभग 54 प्रतिशत हुआ है और यदि इस मुनाफे से करों की राशि निकाल दी जाये तो यह मुनाफा 81 प्रतिशत हो जाता है। इसके अतिरिक्त पूंजी विनियोजन की राशि में भी वृद्धि हुंई है। उपर्युक्त आँकड़ों से उद्योग की समृद्धि सिद्ध होती है। अतः यह कहना सही नहीं है कि आधुनिकीकरण की कमी के कारण उद्योग में गिरावट आ रही है ।

इस विवरण में जो कारण बताये गये है, उनमें केवल एक सही कारण बताया गया है और वह है-कपड़ा उद्योग का कुप्रबन्ध। इस कुप्रबन्ध का प्रभाव सारे देश की अर्थ व्यवस्था तथा सब श्रमिकों के जीवन पर पड़ा है। इसलिये इस कुप्रबन्ध को रोका जाना चाहिये, जो नियोजक द्वारा किया जा रहा है। परन्तु मैं नहीं समझता कि इस विधेयक द्वारा कुप्रबन्ध को रोका जा सकेगा। इस के लिये तो एक सीधा विधेयक लाया जाना चाहिये था, जिसका पहला काम मिलों का राष्ट्रीयकरण, दूसरा कुप्रबन्ध तथा धोखाबाजी के जिम्मेदार व्यक्तियों को जेल भेजना और तीसरा उनकी निजी सम्पत्ति को जब्त करना होना चाहिये था ।

सीमित कम्पनियों की विधि के अनुसार ये लोग सारा घाटा कम्पनी के नाम दिखा देते है, तथा धोखदेही से अपने घर भर लेते हैं। अत; यदि आप इन मिलों को अपने हाथ में ले लेंगे तो इनका कोई नुकसान नहीं होगा और इनके घर तो ज्यों के त्यों भरे रहेंगे, नुकसान होगा केवल बिचारे श्रमिकों को। इस लिये मैं पुनः अपनी यह मांग दोहराता हूँ कि इस विधेयक में श्रमिकों के हितों के संरक्षण का उपबन्ध होना चाहिये और नियोजकों को सीमित कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अपने घर भरने की आज्ञा नहीं होनी चाहिये । इसलिये मैं कहता हूँ कि उपरोक्त तीन उपाय किये जाने चाहिये, अन्यथा इस विधेयक का कोई लाभ नहीं होगा । यह सोचना कि इन नियोजकों को कैसे ठीक किया जा सकता है, सरकार का काम है। जब सरकार बंगाल, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों की निर्वाचित सरकारों को खत्म करने का रास्ता निकाल सकती है, तो क्या वह इन नियोजकों को ठीक करने का रास्ता नहीं निकाल सकती ?

यह विधेयक केवल एक दिखावा है। कपड़ा उद्योग के श्रमिकों में व्यापक असंतोष है । कपड़ा उद्योग के श्रमिक सक्रिय हैं। उन्होंने बम्बई के उन कपड़ा मिलों में, जिन में नियोजकों की धोखादेही के कारण संकट आया हुआ है, अपने मंहगाई भत्ते में कटौती करने की घोषणा की है । यह सिद्ध हो चुका है कि बम्बई के यूनाइटेड मिल्स के नियोजकों द्वारा 97 लाख रुपये

का गोलमाल किया गया था। भारत सरकार का एक विशेषज्ञ वहां भेजा गया था, जिसने लेखों की जांच पड़ताल की थी और यह सिद्ध हो गया था कि गोलमाल हुआ है। फिर भी सरकार द्वारा नियोकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई अपितु श्री मोरार जी के हस्तक्षेप से उस मिल का पुनः चालू कर दिया गया। यदि सरकार का यही रवैया रहा, तो क्या स्थिति में सुधार हो सकता है? इसलिये में कहता हूँ कि इस विधेयक से कोई लाभ नहीं होगा। इसमें बहुत सी खामियां है। इस विधेयक में श्रमिकों की मजूरी अथवा जीवन स्तर की कोई गारंटी नहीं दी गई है। यदि वे मजूरी अथवा मंहगाईतभत्ते में की गई कटौती का विरोध करते हैं तो उन्हे नौकरी से निकाला जा सकता है और उनके स्थान पर नये श्रमिकों को रखा जा सकता है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ और बातें कहना चाहता हूँ। यह प्रश्न केवल इस विधेयक का नहीं है, अपितु कपड़ा उद्योग के पुनर्गठन का है और यदि सरकार अपने कथन पर दृढ़ हैं, तो वह कपास को खरीद के लिये आगे क्यों नहीं आती।

रुई के व्यापार में जो सट्टा व्यापार होता है उसे रोका जाना चाहिये क्योंकि मिल के मालिक इस व्यापार में उन्हें जो घाटा होता है, उसे मिल के ऊपर थोप देते हैं। परन्तु सरकार ऐसा नही करेगी। वह ऐसा क्यों नहीं करना चाहती? यह कहा जाता है कि सट्टा व्यापार पर उद्योग आधारित है परन्तु अनेक वस्तुएँ ऐसी है जिनके सम्बन्ध में सट्टा व्यापार नही होता। यदि सरकार कपड़ा उद्योग को पुनर्गठित करना चाहती है तो उसे रूई के आयात, निर्यात और सट्टे व्यापार को नियंत्रित करना होगा। ऐसा वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया जा सकता है। आज भी मिल मालिक अपने मिलों के लिये जापान इंगलैंड और अमरीका से मशीनरी और पुर्जे मंगाते हैं। क्या उन्हें इस बात के लिये बाध्य किया जायेगा कि वे अपने देश में बनी हुई मशीनरी का प्रयोग करें। इस उद्योग में अधुनिकीकरण के नाम पर स्वचालित करके लगाये जा रहे हैं जो बेरोजगारी बढ़ायेंगे। यदि कपड़ा उद्योग की बुराइयों को दूर करना है तो सरकार को रुई के सट्टा व्यापार पर नियंत्रण लगाना होगा, इसमें राज्य व्यापार शुरू करना होगा, तथा मिल मालिकों को कारागार में डालना होगा।

मैंने कपड़ा उद्योग के श्रमिकों के आन्दोलनों का नेतृत्व किया है। मुझे बम्बई के सब मिलों की स्थिति का पता है। मैं जो कह रहा हूँ, अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। मैं परिसमापन कार्यवाही के पक्ष में नही हूँ क्योंकि यह एक विलम्बकारी प्रक्रिया है। इसके विपरीत विधेयक में यह उपबन्ध होना चाहिये कि कपटी मिल मालिकों से किसी अच्छे तरीके से निबटा जाये। ये लोग प्रस्तावित महंगाई भत्ते का भी करेंगे। अब सरकार कहती है कि जिन मिलों का प्रबंध ठीक नहीं होगा उसे वह अपने हाथ में ले लेगी। परन्तु इससे सरकार को कोई लाभ न होगा मिल-मालिक उन मिलों को अपने पास रखेंगे जिनसे लाभ होता है और जो मिल घाटे में जा रहे हैं उनको सरकार को सौंप दिया जायेगा। जब तक पूरे उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा तब तक अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति न होगी।

इसकी क्या गारंटी है कि जो मिल सरकार अपने हाथ में लेगी उसका प्रबन्ध सुधर

जायेगा । आज सरकारी क्षेत्र में अनेक स्थानों पर कुप्रबन्ध हैं। केवल इंडियन सिविल सर्विस के स्तर के अधिकारियों को प्रबन्ध सौंपने से वह सब काम ठीक नहीं हो जायेगा जैसा कि हम भिलाई दुर्गापुर और हरिद्वार के सरकारी कारखानों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में देख चुके हैं। कुप्रबन्ध का एक मात्र इलाज यह है कि प्रबन्धकों में मजदूरों को भाग लेने का अवसर दिया जाये । मैं इसका इस दृष्टि से तो विरोध नहीं करता कि यदि सरकार इस विधेयक के द्वारा उद्योग की स्थिति सुधारना चाहती है तो उसे निस्संदेह सुधार करना चाहिये । परन्तु साथ ही मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इससे कोई लाभ नहीं होगा । इसलिये मेरा आग्रह है कि विधेयक में परिवर्तन किया जाये ताकि पूँजीपति वर्ग द्वारा श्रमिकों पर किये जाने वाले अत्याचार बन्द हो जायें ।

Shri Deorao Patil (Yeotmal): It has been the persistent demand that textile mills should be taken over by Government itself. This Bill provides that Government will take over those mills which are financially weak and will be entitled to run them. Hetherto it was the practice that such mills are returned to the mill owners back after the improvement in their management. But now the Government have gone further.

It is often said that mills, which are running at loss, do not get the facilities in time. But I want to point out that this industry has got all the necessary facilities. Above all raw materail ie. cotton to this industry is made available on the ceiling prices fixed by Government. While other industries have to puchase raw materials for themselves at market prices. Besides only 40 % of its total production is sold at controlled prices. These are some special facilities provided to the textile industry.

On the other hand the cotton producers are being neglected. Their request for increase in ceiling prices or removal of the ceiling is left unnoticed. The ceiling price is fixed by Government arbitrarily and it does not take even the cost of production of the cotton into account. The farmers should get the remunerative prices for their product. Only then they will produce long-staple cotton of which there is great demand in the industry these days. Government should pay due attention to the interests of farmers who are being looted by way of purchasing their cotton at less prices. They should be given place in the proposed corporation. If there will be no representatives of farmers in it it will be futile for farmers. I urge the Government to support the cooperative mills coming up in this industry. They should be properly financed by Government with these words, I support this Bill.

श्री स० कुन्दू (बालासौर): इस विधेयक के माध्यम से सरकार उन मिलों को लेना चाहती है जिनका प्रबन्ध ठीक नहीं है या जिनमें कोई बुराई आ गयी है। परन्तु कांग्रेस सरकार इनका प्रबन्ध अपने हाथ में लेगी और स्वयं काँग्रेस संगठन स्वस्थ नहीं है । यह एक विरोधाभास की स्थिति है । यह बुराई को दूर नहीं करेगी बल्कि उससे स्थिति और बिगड़ जायेगी। पहले एक विधेयक लाया गया था जिसमें यह व्यवस्था थी कि आर्थिक संकटग्रस्त मिलों का प्रबन्ध सरकार अपने हाथ में लेगी तथा 15 वर्ष की अवधि के पश्चात् वह मिल फिर मालिक को लौटा दी जायेगी । अब यह विधेयक लाया गया है कि ऐसे मिलों का प्रबन्ध सरकार के हाथो में ही रहेगा मेरे विचार से यह विधेयक पूर्ण सफल नहीं रहेगा और इससे वह कुप्रबन्ध दूर नहीं होगा जिसके लिये यह विधेयक लाया गया है ।

कुप्रबन्ध का कारण क्या है। कपड़ा उद्योग में संकट आने का कारण यह है कि इस क्षेत्र में चोर बाजारी जमाखोरी में अत्यधिक वृद्धि हुई है और इस उद्योग सम्बन्धी नीतियां जो सरकार ने बनाई, वे गलत रहीं। एक ओर निर्यात घटा दूसरों ओर मिलों के पास मांल का भन्डार बढ़ता गया। साथ ही प्रति व्यक्ति कपड़े की उपलब्धता भी पहले की अपेक्षा 1 मीटर कम हो गई हैं। 1951 में निर्यात 6690 लाख वर्ग-मीटर था जो 1966 में घटकर 4240 लाख वर्ग मीटर रह गया है। इसके विपरीत चीन, जापान तथा हाँगकांग जैसे देशों का विश्व मंडी में निर्यात बढ़ता जा रहा है। यह सब सरकार की गलत नीति और योजना के कारण हुआ है। ये कमियाँ तभी दूर हो सकती हैं, जब इस उद्योग का पूर्णतः राष्ट्रीयकरण किया जाये। मिलों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् वहां श्रमिकों की परिषद स्थापित की जायें, जो वहां प्रबन्धकर्त्ता का कार्य करें। मिलों के प्रबन्ध पर नौकरशाही न छाये।

इस विधेयक से तो मिल मालिकों को ही लाभ होगा। जो मिल घाटे में जा रहे हैं, मिल-मालिक उन मिलों को सरकार को देंगे। दूसरे जो व्यक्ति यह निश्चय करेगा कि कौन-कौन से मिल संकट ग्रस्त है, वह मनमानी से काम करेगा। इस प्रकार यह विधेयक अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति न कर सकेगा। यदि वाणिज्य मन्त्री वास्तविक समाजवाद के समर्थक हैं तो उन्हें इस उद्योग का आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण न करके उसका पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। साथ इसमें श्रमिक परिषदों की व्यवस्था लागू की जानी चाहिये।

श्री दत्ताश्रय कुन्टे (कोलाबा): मेरी समझ में तो यह ही नही आया कि इस विधेयक के माध्यम से सरकार क्या करना चाहती है। क्या सरकार उन मजदूरों की सहायता करना चाहती है जो मिलों के बन्द होने के कारण बेरोजगार होते जा रहे हैं या उन मिल मालिकों को आर्थिक सहायता देना चाहती है जिन्होंने अत्यधिक लाभ उठाया है और उद्योग में सुधार के लिये कुछ भी खर्च नहीं किया। यदि सरकार श्रमिकों की सहायता करना चाहती है तो संकटग्रस्त मिलों को हाथ में लेने की बजाय, सरकार को नये मिल खोलने चाहिये, और बेरोजगार मजदूरों को उनमें काम देना चाहिये। सरकार को उद्योग और मजदूरों के हितों पर ध्यान देना चाहिये न कि उद्योग प्रतियों के व्यक्तिगत हितों पर।

यह भी प्रश्न सामने आता है कि यह निश्चय कैसे किया जायेगा कि कौन सा मिल संकट ग्रस्त है। दूसरे यह निश्चय कौन करेगा क्या इस बात पर भी ध्यान दिया जायेगा। अमुक मिल पर कुप्रबन्ध के कारण संकट आया है अथवा आधुनिकी करण के आभाव की वजह से। क्या सूती कपड़ा आयुक्त इस प्रकार की जाँच पड़ताल करेगा या कोई अन्य अधिकारी इस बारे में सरकार का अभी कोई स्पष्ट दृष्टिकोण प्रतीत नहीं होता। इस अस्पष्टता के कारण प्रस्तुत विधेयक निरर्थक है। अतः इस पर सरकार को पुनः विचार करना चाहिये।

श्री कृष्णमूर्ति (कड्डलूर): उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान विधेयक में इतनी कमियां हैं कि इससे अपेक्षित उद्देश्य की प्राप्ति न हो सकेगी। इस विधेयक में यह व्यवस्था है कि सरकार परिसमापन कार्यवाही के माध्यम से संकटग्रस्त मिलों को अपने हाथ में ले लेगी। इसके अनुसार एक अधिकारी को ऐसे मिलों के प्रबन्ध की जांच करने के लिये नियुक्त किया जायेगा, जो

आवश्यक होगा तो परिसमापन कार्यवाही शुरू करेगा और फिर उसे अनिवार्य रूप से सरकार के नियंत्रण में लेने के लिये कार्यवाही शुरू करेगा । इस प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है । दूसरा पक्ष रोक आदेश भी ले सकता है और इस प्रकार यह मामला लम्बे समय तक चल सकता है । इस बीच उन हजारों श्रमिकों का क्या होगा जो मिल में लॉक-आउट होने के कारण बेकार हो जायेंगे । क्या सरकार उन्हें इस अवधि के लिये भी मजूरी देगी । विधेयक इस बारे में अस्पष्ट है । इसी दृष्टि से मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूँ । यदि यह विधेयक पारित भी हो जाता है तो इससे कोई लाभ न होगा । क्योंकि इसके माध्यम से मिल का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने की अनुमति ही मिल सकेगी, वह मिल का प्रबन्ध अनिवार्य रूप से अपने हाथ न ले सकेगी । इसके अतिरिक्त सरकार केवल कुछ मिलों को लेने के बाद ही, यह कहना शुरू कर देगी कि सरकार के पास धन का अभाव है । इस विधेयक से न तो कपड़ा उद्योग को कोई लाभ होगा और न श्रमिकों के हित की रक्षा होगी । अतः मेरा यह अनुरोध है कि सरकार इस विधेयक को वापिस ले ले और माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों जिसमें उद्योग का पूर्ण राष्ट्रीयकरण का सुझाव भी सम्मिलित है, पर विचार करके इसे नये रूप में फिर से सभा में पेश करे । विधेयक ऐसा होना चाहिये जिससे श्रमिकों पर दुष्प्रभाव न पड़े । यदि सरकार इसे वापिस नहीं लेना चाहती तो यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये ।

Shri George Fernandes (Bombay-South): It was expected that Government would bring a bill giving some new dimensions to textile industry. But this Bill has not been upto the expectations. It seems that the Government is in a fix and has not been able to face the mill owners more especially the corrupt mill owners.

It has been said that the present deteriorated condition of the cotton mills is due to the enchanced wages and increased rates of raw cotton. In this connection I would like to mention that the ex-commerce minister has stated on the 11th. November that from all accounts, it is quite obvious that the Indian cotton texlile industry had been a sick industry. Stating the reasons he further said that many of the mill owner never cared to modernise their mills or maintain their machines properly. Lack of entreeprenenial and management skill till the late 405 has also made the cotton mills change hands too freuqently between the so-called finances and speculations. Even the cotton textile Wage Board in its report in 1960 has stated that the average national expediture on the various heads of the cost of production has been estimated by the National council of Applied Economic Research i. e. on cotton is only 48 to 52 percent and wages and salaries etc. is 25 to 32 percent. These figures were given ten years earlier. Even to-day 50 percent is spent on the cotton and 25 to 30 percent on the wage. So it is clear from the figures given above that the cotton mills have not been placed in such a condition due to the increased rates of cotton and wages but it has been due to the mismanagement and frequent change of ownership. The workers of the Edward mill complained against the manhandling of the mills by the owners but no action has been taken against them.

So far as production of the raw cotton is cocerned I would say that in India per acre production is less as compared to U.A.R. and U.S.A. In other countries production of raw cotton is four to five times higher than India. So I would request the Hon. Minister to give more attention to this aspect. Steps should be taken to provide more facilities to the farmers for growing cotton. As no such provision has been made in the Bill I am unable to support it.

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain): We oppose the policy of the Government of taking over the textiles mills. Government has failed to run the Bhopal textile mill already taken over by them. The reason for this is that Government appoint such person in the mills which are ignorant of the weaving as well as of the spinning.

In this connection I would say that the industry should be modernised. New indigenous machines should be installed to brought the production. It will also give incentive to our machine producing industry.

I would also suggest that workers should be given due share in the profit. If that is done the workers will put more labour which will remet in more production. When happy they will produce quality goods which can fetch the world market. I may suggest the declaration to this effect should be made immediately.

No mention of the Handloom industry has been made in the Bill. I will request that more facilities should be provided to this industry also.

Excise duty on the power looms should be reduced as it has affected the large number of labourers.

In the end I would like to say that the textile industry should not be taken over by the Government. The Government should simply see that the loans advanced to these mills are properly utilized. So far as sick mills are concerned I would suggest that a committee consists of representations of workers, and share holder should be constituted to run the mills.

Shri Dinesh Singh: We have been trying our best to see that benefits accruing from this industry are distributed amongst all section. We are also trying to check the malpractices as it has been complained that loans advanced to the mills for their improvement are being utilized for other purposes.

It has also been said by one of the Hon. Members that the procedure of taking over the sick mills is cumbersome. Therefore the mills have to close down for some time. But it is not correct We do not close down the mills. The examination will go on side by side.

So far at the question of retrenchment is concerned, I would like to say that Government has no intention of retrenching any member of the staff. There might have been some difficulties in the process of modernistation. But I would say that the labourers would be benefitted ultimately by this.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

Mr. Speaker in the Chair

Shri Hukan Chand Kachwai has also suggested that we should not import machinery for modernisation of the mills. I agree to this suggestion and I assure that we will not import machinery for that purpose.

The management of the mills which have been taken over by the Government will be entrusted to the experts. The idea in setting up textile corporation is to create an expert agency to run these mills we will also see that less varieties of cloth are produced.

It has also been stated that we are spending more on the import of cotton than what we earn from the export of cloth. We are trying to import less cotton, if long staple cotton is grown is our country for internal consumption as well as far export it wll be beneficial both to the Government and cultivators.

So far as the question of the nationalization of industry is concerned the Government is following the Industrial Policy Resolution. It will be our endeavour to see that industry is progressd to the maximum benefit of the country and workers.

I would appeal to the House to approve the Bill to enable the Government to tide over the present difficulties.

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : मंत्री महोदय को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कुछ प्रश्नों का उत्तर देना चाहिये था । मैंने सूती कपड़ा सेमिनार में की गई सिफारिशों का उल्लेख किया था जिस में कहा गया था कि कारपोरेशन को अन्य कार्यों के बजाय घाटे में ज रही मिलों को वित्तीय सहायता देने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये ।

सरकार द्वारा पहले हाथ में ली गई मिलों के कार्य के बारे में भी मंत्री महोदय ने कुछ नहीं बताया है । माननीय मंत्री ने मेरे तीसरे प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया है ।

श्री दिनेश सिंह : जहां तक घाटे में जा रही मिलों को वित्तीय सहायता देने का प्रश्न है मैंने इस बारे में बताया कि हम विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि जनहित में कतिपय मामलों में सूती कपड़ा कम्पनियों के परिसमापन के लिये, उनके उपक्रमों को चालू रखते हुए, अथवा सूती कपड़ा कम्पनियों के पुनः स्थापन तथा तत्सम्बन्धी विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

शिव सेना के बारे

* Re : SHIV SENA

श्री उमानाथ (पुट्टूकोटै) : शिव सेना की गतिविधियों से भाषायी अल्प-संख्यकों, विशेषकर दक्षिण भारतीयों को, महाराष्ट्र के लोगों के लोकतन्त्रात्मक आन्दोलन तथा देश की एकता को बहुत खतरा है। यह संगठन और भी अधिक खतरनाक हो जाता है क्योंकि इसको बम्बई के कुछ धनी व्यक्तियों द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है । बम्बई के मि० राम कृष्ण बजाज द्वारा इस संगठन को वित्तीय सहायता दी जाती है । हाल ही में इन्डियन एक्सप्रैस में एक आलोचनात्मक अग्रलेख प्रकाशित हुआ था जिसमें इस संगठन की गतिविधियों की तीव्र आलोचना की गई थी । इस लेख के प्रकाशित होने के तुरन्त पश्चात् श्री राम कृष्ण बजाज ने समाचार पत्र के स्टाफ को टेलीफोन पर कहा कि वह शिव सेना की आलोचना करने वाले अग्रलेख न लिखे । इस बारे में मैं यह आरोप भी लगाना चाहता हूँ कि शिव सेना को श्री रामकृष्ण बजाज की मारफत सी० आई० ए० से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है ।

---

*आधे घण्टे की चर्चा

Half-an-Hour Discussion.

शिव सेना द्वारा दक्षिण भारतीयों को परेशान किया जा रहा है जिस प्रकार हिटलर द्वारा ज्यूस को परेशान किया गया था। आशा है कि राज्य सरकार शिव सेना की खतरनाक गतिविधियों को समाप्त करने के लिये कार्यवाही करेगी। पहले भी केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा इस बारे में आश्वासन दिये गये थे परन्तु ठीक इसके बाद इस संगठन ने दक्षिण भारतीयों पर अत्याचार किये। जनता में भाषणों द्वारा दक्षिण भारतीय लोगों की लुगियों को फाड़ने आदि के लिये महाराष्ट्र के लोगों को भड़काया गया मैं पूछना चाहता हूँ कि इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

शिव सेना के प्रकाशनों द्वारा झूठी अफवाहों को फैला कर दक्षिण भारतीयों पर अत्याचार करने के लिये भी महाराष्ट्र के लोगों को उकसाया जा रहा है। उदाहरणतया एक बार यह प्रकाशित किया गया है भातुंगा रेलवे दुर्घटनाग्रस्त लोगों के होंठ काट लिये गये और उन पर दक्षिण भारतीयों द्वारा उनकी मानहानि की गई। मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार ऐसे प्रकाशनों के परिचालन पर रोक क्यों नहीं लगाती।

दक्षिण भारतीय लोग वहां पर अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते। इसका एक कारण यह है कि वहां की पुलिस भी शिव सेना का ही पक्ष लेती है। इसका एक उदाहरण यह है कि पान कोली वाडा घटना से दो दिन पुलिस आयुक्त ने कहा था कि अभी इस बात को स्पष्टरूप से नहीं कहा जा सकता कि इस घटना में शिव सेना का हाथ है। हमने अपने लिखित प्रतिवेदन में ऐसे कई उदाहरण दिये हैं।

जो वहां पर अल्प-संख्यक-विरोधी नाटक खेला गया उसका उल्लेख 'भारमिक' के 28 अगस्त, 1966 के अंक में दिया गया है। उसे पढ़ने से नाटक के वस्तु विषय का अनुमान लगाया जा सकता है। यह भी देखा गया है कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री उस नाटक में ताली बजा रहे थे। जब मुख्य मंत्री ही ऐसे नाटक का समर्थन करते हैं तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं यदि पुलिस कर्मचारी 'भारमिक' का पुलिस कर्मचारियों में वितरण करें।

गृह मंत्री द्वारा शिव सेना को राष्ट्र-विरोधी संस्था घोषित किये जाने के कुछ ही दिन बाद महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रधान ने उसका स्वागत किया।

अब मैं यह बताना चाहूँगा कि 'भारमिक' पत्र को कैसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उस पत्र के 28 अक्तूबर के संस्करण में दो पृष्ठों का एक विज्ञापन है। यह पत्र उस विज्ञापन के कारण ही चल रहा है और वह भारत के स्टेट बैंक का विज्ञापन है। महाराष्ट्र सरकार भी मद्य-निषेध के बारे में उस पत्र को विज्ञापन देती है। अतः मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि केवल यह कहने से क्या लाभ होता है कि हम उसे अच्छा नही समझते जब तक कि उसके प्रति कार्यवाही न की जाये। यदि उसके प्रति कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो उसे प्रोत्साहन ही मिलेगा। अतः मेरा निवेदन यह है कि यदि शिव सेना की हिंसात्मक गतिविधियों को सरकार रोकना

चाहती है और अल्प-संख्यकों की वास्तव में रक्षा करना चाहती है तो उसे इस सारे मामले की न्यायिक जांच करनी चाहिये ।

गृह-कार्य मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि यदि वह अल्पसंख्यकों के मन की बात जानना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं उनसे बातचीत करनी चाहिये । मैं और श्री कृष्णमूर्ति वहां गये थे और हमने वहां के लोगों की वास्तविक स्थिति का पता किया है । हमें उन्होंने बताया है कि वे वहां पर अपने आप को असुरक्षित समझते हैं । अतः माननीय मंत्री को न्यायिक जांच करवानी चाहिये और हमें बताना चाहिये कि वह इस सम्बन्ध में क्या करना चाहते हैं । जहां तक सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का प्रश्न है वह बिल्कुल भिन्न है ।

श्री कृष्ण मूर्ति (कडुलूर) : माननीय मंत्री ने कई बार शिव सेना की निन्दा की है । उन्होंने इस सेना को राष्ट्र-विरोधी सेना कहा है । परन्तु इस तरह से, केवल किसी सेना की निन्दा करने से, ही कोई लाभ नहीं होता है । मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है । कुछ समय पहले यहां आधे घंटे की चर्चा हुई थी परन्तु उसके बाद भी वहां पर अत्याचार हुए हैं । अतः मैं जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है । केवल यह कह देने से कि महाराष्ट्र सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही है काम नहीं चल जाता है । क्या गृह-कार्य मंत्री इस बात से संतुष्ट है कि नायक सरकार कार्यवाही करेगी ? मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री ने क्या कार्यवाही की है ? क्या उन्होने संविधान का धारा 356 के अन्तर्गत राज्य सरकार को कोई विशेष कार्यवाही करने के लिये हिदायतें जारी की हैं ? उन्होंने दूसरे सदन में कहा था कि वह शिव सेना आन्दोलन को गैर-कानूनी घोषित करने को तैयार हैं वशर्ते कि यह कानूनी की दृष्टि से ठीक हो । अतः मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वह इस सम्बन्ध में कोई विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं । इन दो बातों के अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या वह न्यायिक आयोग नियुक्त करने को भी तैयार है जिसकी श्री उमानाथ ने मांग की हैं ? यदि माननीय मंत्री इन बातों के अनुसार चलने वाले हीं हैं तो और फिर मी यह कहते हैं कि यह आन्दोलन राष्ट्र-विरोधी है तो हम इनके बयान को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं । चूंकि माननीय मंत्री बम्बई के रहने वाले हैं इसलिये उन्हें यह धमकी देनी चाहिये कि वह इस आन्दोलन पर प्रतिबन्ध लगाने वाले हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : It has generally been observed that a tendency of provincialism is increasing in our country at a rapid speed. Now supposing the General Manager of any company hails from Punjab he would like to take all his employees from Punjab. Similarly is the case of other officers. This creates heart burning in the native people. At the same time the economic condition of those persons detriorates. I understand that this is not a good tendency. Our country is one and every citizen should get equal opportunities.

But we will not be in a position to check this tendency unless and until we improve the economic condition of the people. As far as the lower posts are concerned local people should be given preference. The feeling that Maharashtra is for Maharashtrian and Madras or Madrasies should be put an end to.

Secondly, it has been mentioned in the newspapers that the Ministers and big officers in that State have a soft eorner for this movement which according to the Home Minister,

himself has fascist tendency. I am of the opinion that such as organistion should not remain. An enquiry should be instituted by the C.B.I. Whether the activities of this organisation create lawlessness or not and whether they create a tendency of separation or not and the report of C.B.I. Should be presented in the House.

Shri George Fernades (Bombay South) :

I find that Shiv Sena or similar organisations are working in the country in one form or the other. They say that preference should be given to local people and there should be local development. This tendency is developing in Nagpur that an Automobile workshop be set up there in which local people should be appointed. But the basic thing behind it is that there is unemployment on account of which the young people feel frustrated for which our Government is responsible. Hence Shiv Sena want that Congress Government should be removed.

I would like to know from the Home. Minister whether Government have chalked out any plan to remove the disparity in the economic development of different states.

श्री स० कुंदू (बालासौर) : महाराष्ट्र के लोग बहुत बहादुर लोग हैं । उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोंलन में अग्रनीय रूप से भाग लिया था । मेरे मन में उन लोगों के प्रति बहुत आदर है । परन्तु जहां तक शिव सेना अथवा किसी भी ऐसी संस्था का सम्बन्ध है जो संस्था अलगाव आदि की भावना बढ़ाये हमें उसकी निन्दा करनी ही होगी क्योंकि यह लोकतंत्रात्मक और सामाजिक सिद्धान्तों के विपरीत की बात है ऐसी भावना उत्पन्न होने के दो पहलू हैं । एक तो यह है कि हमारी योजना में असंतुलन है । एक सामाजिक समस्या है और दूसरी राजनैतिक । इसलिये मैं चाहता हूँ कि इस मामले की किसी समिति द्वारा जाच की जानी चाहिये जो इसकी अन्दरूनी बातों का पता लगाये और यह सुझाव दे कि इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस प्रश्न का सम्बन्ध सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से है । यह प्रश्न केवल महाराष्ट्र का प्रश्न ही नहीं है । ऐसी प्रवृति देश के सभी भागों में पनप रही है । शिव सेना प्रतिक्रियात्मक है । जिस प्रकार से वे गैर-महाराष्ट्रीयों के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं वह बात निन्दनीय है । तथापि मैं श्री फरनेंडीज द्वारा दिये गये सुझाव से सहमत नहीं हूँ ।

साथ ही साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि जो आरोप महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ लगाये गये हैं वे निराधार हैं । मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ कि वहां के मुख्य मंत्री का इस बारे में क्या दृष्टिकोण है । मैं यह भी जानता हूँ कि वह इस समस्या का कैसे हल निकालना चाहते हैं ।

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रधान के भाषण का भी उल्लेख किया गया था । मैं ने उस सारे भाषण को पढ़ा है । उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया, वहाँ पर गये और लोगों को बताया कि वे गलती पर हैं और कहा उन्हें यह रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये ।

यदि किसी नगर में कोई गलत चीज हो तो इसके सम्बन्ध में न्यायिक जांच करना भी ठीक नहीं है । किसी विशेष चीज की जांच हो मैं यह आश्वासन नहीं दे सकता । हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता परिषद् बनाई जाये जो इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या समझ कर विचार करेगी और यह भी सोचेगी कि इस सम्बन्ध में कौन से उपाय करने आवश्यक हैं ।

जो रिपोर्ट मुझे भेजी गई है मैंने उसे महाराष्ट्र सरकार को विचारार्थ भेज दिया है । जहां तक हिंसात्मक कार्यवाहियों का सम्बन्ध है वे उसकी जांच कर रहे हैं और अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं ।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं इस आन्दोलन के बारे में सार्वजनिक राय ले रहा हूँ और सामाजिक एवं आर्थिक पहलू के बारे में रचनात्मक कार्यवाही करने का प्रयत्न कर रहा हूँ ।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 28 नवम्बर, 1967/7 अग्रहायण 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, November 28 1967/Agrahayana 7, 1889 (Saka).

Printed by Job Printers, 119, Swami Vivekanand Marg, Alld.